


संस्कृत के अर्थों के  
परिचय पर परीक्षा  
दिनांक 30 AUG 2012

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन

मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार (सिविल)  
अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां  
2012-13 की सं. 13

Vertical line on the left side of the page.




## विषय सूची

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		vii
विहंगावलोकन		ix
<b>अध्याय I : प्रस्तावना</b>		
इस रिपोर्ट के संबंध में	1.1	1
लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार	1.2	2
लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन	1.3	2
<b>अध्याय II : संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय</b>		
<b>डाक विभाग</b>		
संगठनात्मक ढांचा एवं वित्तीय प्रबंधन	2.1	3
डाक घरों के माध्यम से राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (नरेगस) वेतन का संवितरण	2.2	7
नकद प्रमाणपत्रों, टिकटों एवं डाक लेखन सामग्री का भण्डारण	2.3	25
ब्याज का अनियमित भुगतान	2.4	29
राजस्व टिकटों के क्रय पर कमीशन की कम कटौती	2.5	30
डाक परिसर के निर्माण में विलम्ब के कारण निष्फल व्यय	2.6	33
<b>दूरसंचार विभाग</b>		
दू.वि. के कार्य	2.7	34
लेखापरीक्षा के बताये जाने पर अधिक इमदाद की वसूली	2.8	40
<b>अध्याय III : विदेश मंत्रालय</b>		
वाणिज्यदूत स्कंध का निष्पादन	3.1	43
लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूली	3.2	59

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं की अनुपालना में विफलता के कारण अधिक भुगतान	3.2.1	59
अनुबंध प्रदान करने में विवेकपूर्णता का अभाव	3.2.2	60
कमजोर आंतरिक नियंत्रण के कारण अधिक भुगतान	3.2.3	60
स्पीड पोस्ट शुल्क की थोक बुकिंग पर योग्य छूट हेतु दावे का अनुसरण न करना	3.2.4	61
<b>अध्याय IV : गृह मंत्रालय</b>		
<b>भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल</b>		
संस्वीकृतियों का विभाजन	4.1	63
<b>आसूचना ब्यूरो</b>		
अनुपयुक्त प्रापण योजना के कारण परियोजना के निष्पादन में विलम्ब तथा उपकरणों का निष्क्रिय पड़े रहना	4.2	64
स्टाफ मकानों के निर्माण में असाधारण विलम्ब	4.3	66
<b>राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड</b>		
लेखापरीक्षा दृष्टांत पर कर्मचारी कल्याण उपकर की वसूली	4.4	69
<b>अध्याय V : मानव संसाधन विकास मंत्रालय</b>		
<b>उच्च शिक्षा विभाग</b>		
लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर संशोधक कार्रवाई	5.1	70
<b>अध्याय VI : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय</b>		
किराया बकायों की गैर-वसूली	6.1	72
<b>अध्याय VII : कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय</b>		
<b>कार्मिक प्रशिक्षण विभाग</b>		
<b>संघ लोक सेवा आयोग</b>		

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर लाइसेंस शुल्क की वसूली	7.1	75
<b>अध्याय VIII : संघ शासित क्षेत्र</b>		
<b>अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन</b>		
<b>जहाजरानी सेवाएं निदेशालय</b>		
कार्य-मुक्त किए गए एक जलयान के विक्रय में विलम्ब के कारण हानि	8.1	76
एक अतिजीवित पोत पर परिहार्य व्यय	8.2	77
<b>लक्ष्यद्वीप प्रशासन</b>		
एक्स-रे बैगेज जाँच प्रणाली का प्रापण	8.3	79
<b>अध्याय IX : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय</b>		
लेखापरीक्षा दृष्टांत पर अनुदान की अधिक निमुक्ति की वसूली	9.1	81
एकीकृत शिशु संरक्षण योजना के अंतर्गत केन्द्रीय अंश की अनियमित निर्मुक्ति	9.2	82
<b>अध्याय X : परमाणु ऊर्जा विभाग</b>		
₹ 3.32 करोड़ का परिहार्य व्यय	10.1	84
<b>अध्याय XI : अंतरिक्ष विभाग</b>		
माँग प्रभारों का परिहार्य भुगतान	11.1	88
<b>अध्याय XII : सामान्य</b>		
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई -संक्षिप्त स्थिति	12.1	90
ड्राफ्ट पैराग्राफो के संबंध में मंत्रालयों/विभागों की प्रतिक्रिया	12.2	91
<b>अनुबंध</b>		
I	राजस्व प्राप्ति तथा राजस्व व्यय का विवरण	93
II	31 मार्च 2011 को राज्य प्राधिकरणों द्वारा एकबारी जमा राशि की गैर/कम राशि	94

अनुबंध		पृष्ठ
III	30 सितम्बर 2011 को अप्राप्त नरेगस चैकों की संख्या एवं राशि	95
IV	30 सितम्बर 2011 को अस्वीकृत नरेगस चैकों की संख्या एवं राशि	96
V	31 मार्च 2011 को सी.एस.डी. तथा मु.डा.घ. में नक़द प्रमाण-पत्रों के अधि-भण्डारण की विवरणिका	97
VI	31 मार्च 2011 को सी.एस.डी. में स्टांप तथा डाक स्टेशनरी के अधि-भण्डारण की विवरणिका	98
VII	ब्याज के अनियमित भुगतान का विवरण	99
VIII	लेखापरीक्षित मिशन/केन्द्रों की सूची	101
IX	व्यवसाय वीजा शुल्क का कम उदग्रहण	102
X	भारतीय समुदाय कल्याण निधि के अतिरिक्त शुल्क का गैर-उदग्रहण	104
XI	पारपत्रों, वीजाओं, ओ.सी.आई कार्डों, पी.आई.ओ. कार्डों तथा विविध भारतीय मिशनों/केन्द्रों द्वारा सं.रा.अ. में मई 2010 से मार्च 2011 के दौरान प्रदत्त अन्य सेवाओं का विवरण जहाँ भा.स.क.नि. प्रभारों का उदग्रहण नहीं हुआ	107
XII	शुल्क के प्रेषण में विलम्ब	108
XIII	लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर मिशनों/केन्द्रों के संदर्भ में प्रभावित वसूलियाँ	109
XIV	अधिक भुगतान के मामले	112
XV	कम्प्यूटर सिस्टमों, सॉफ्टवेयर तथा संबंधित उपसाधनों के प्रापण के विवरण	113
XVI	स्टाफ क्वार्टर के निर्माण तक की घटनाओं का कालानुक्रम	115
XVII	रोके गए और बंद किए गए थिएटरों का विवरण	116

परिशिष्ट		पृष्ठ
I	मार्च 2012 को वर्ष समाप्त तक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्रतीक्षित कार्यवाही टिप्पणियों की संक्षिप्त स्थिति	119
II	ड्राफ्ट पैराग्राफों पर मंत्रालयों/विभागों की प्रतिक्रिया	129






## प्राक्कथन

मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में सिविल मंत्रालयों, में लेन-देनों की लेखापरीक्षा से उद्भूत निष्कर्ष सम्मिलित है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले उनमें से हैं, जो कि 2010-11 में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए। तथापि, पूर्ववर्ती वर्षों से सम्बन्धित मामलों जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किया जा सकता तथा 2010-11 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों, जहां कहीं आवश्यक समझा गया, को भी शामिल किया गया है।



## विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल है जो सिविल मंत्रालयों के वित्तीय लेन-देनों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उजागर हुए। इसमें 12 अध्याय शामिल हैं। अध्याय I एक संक्षिप्त प्रस्तावना प्रदान करता है जबकि अध्याय II से XI विस्तृत लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां प्रस्तुत करते हैं। अध्याय XII मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत कार्रवाई टिप्पणियों की एक सारांशीकृत स्थिति प्रस्तुत करता है।

इस प्रतिवेदन में शामिल कुल महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

### संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

#### डाक विभाग

#### डाक घरों के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगस) वेतनों का संवितरण

संचालन में 4.90 करोड़ नरेगस खातों सहित, डाक विभाग नरेगस के अंतर्गत वेतनों के संवितरण हेतु बड़ा नेटवर्क प्रदान करता है। ₹ 4284 करोड़ की पर्याप्त राशि मार्च 2011 को कर्मचारियों के खातों में पड़ी थी। डाकघरों में प्रक्रियाओं के गैर-अनुपालन सहित दोनों मुख्यालय तथा परिमण्डल स्तरों में कमजोर मानीटरिंग क्रियाविधि का परिणाम मुख्य डाक घर में राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले एक बार जमा में 31 मार्च 2011 को ₹ 1920 लाख की सीमा तक की कमी में हुआ। नरेगस खातों के संचालन में वेतन के संवितरण में विलम्ब, सत्यापन के बिना खाते खोले जाना, खाता बहियों में अपूर्ण डाटा प्रविष्टियाँ, डाटा मिलान में गलतियाँ, ब्याज का न डाला जाना तथा अशिक्षित वेतन कमाने वालों के बायें हाथ के अंगूठे के निशानों के अनुप्रमाणन के बिना वेतन का संवितरण किया जाना जैसी अनियमिततायें भी पाई गई थीं।

#### पैराग्राफ 2.2

#### नकद प्रमाणपत्रों, टिकटों तथा डाक लेखन सामग्री का भण्डारण

डाक विभाग नकद प्रमाणपत्रों, टिकटों तथा डाक लेखन सामग्री को नियत करने तथा पूर्वानुमान लगाने में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने में विफल रहा। इसके साथ कमजोर आंतरिक नियंत्रण का परिणाम ₹ 3840.66 करोड़ के अंकित मूल्य के नकद प्रमाणपत्रों के अधिक भण्डारण तथा 31 मार्च 2011 को ₹ 498.52 करोड़ के अंकित मूल्य वाली टिकटों तथा डाक लेखन सामग्री के अधिक भण्डारण में हुआ जिसने इस प्रकार इन मूल्यवान वस्तुओं को दुरुपयोग/चोरी तथा हानि के जोखिम में डाला।

#### पैराग्राफ 2.3

### ब्याज का अनियमित भुगतान

छः परिमण्डलों में डाकघरों ने सार्वजनिक भविष्य निधि योजना (पी.पी.एफ.) से संबंधित प्रावधानों का सावधानीपूर्वक पालन नहीं किया परिणामस्वरूप अभिदाताओं को ₹ 2.26 करोड़ के ब्याज का अनियमित भुगतान हुआ।

**पैराग्राफ 2.4**

### राजस्व टिकटों के क्रय पर कमीशन की कम कटौती

राज्य सरकार से राजस्व टिकटों के क्रय पर अग्रिम में कमीशन में कटौती करने पर मुख्य महाडाकपाल दिल्ली की विफलता से ₹ 98.36 लाख के राजस्व की कम वसूली हुई।

**पैराग्राफ 2.5**

### डाक परिसर के निर्माण में विलम्ब के कारण निष्फल व्यय

1990 में प्राप्त किये प्लॉट पर डाक परिसर का निर्माण करने में डाक विभाग विफल रहा। इसका परिणाम ₹ 64.62 लाख के निष्फल व्यय में हुआ।

**पैराग्राफ 2.6**

### दूर संचार विभाग

#### लेखापरीक्षा के बताये जाने पर अधिक सब्सिडि की वसूली

पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश (पूर्व) परिमंडलों द्वारा रूरल कम्युनिटी फोन (आर.सी.पी.) के लिये सेवा सम्भरकों को ₹ 2.17 करोड़ की सब्सिडि का गलत भुगतान किया था जिसमें से ₹ 1.62 करोड़ लेखापरीक्षा के बताये जाने पर वसूल किये गये थे।

**पैराग्राफ 2.8**

### विदेश मंत्रालय

#### वाणिज्यदूत स्कंध का निष्पादन

कुछ मिशन तथा केन्द्र मंत्रालय द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार वीजा तथा अन्य वाणिज्यदूत सेवाओं हेतु शुल्कों का उद्ग्रहण नहीं कर रहे थे जिसका परिणाम ₹ 37.26 करोड़ के कम उद्ग्रहण में हुआ। मिशनों तथा केन्द्रों द्वारा भारतीय समुदाय विकास निधि योजना के कार्यान्वयन में विलम्बों का परिणाम ₹ 21.55 करोड़ के शुल्कों के गैर-

उद्ग्रहण में हुआ। सरकारी खाते में वाणिज्यदूत प्राप्तियों के धन प्रेषणों में पर्याप्त विलम्ब थे। विदेश में मिशन ने निर्धारित प्रावधानों के उल्लंघन में वीजा सेवाओं की आउटसोर्सिंग की थी जिसका परिणाम वित्तीय अनुपयुक्तता तथा सेवा प्रदाताओं के चयन में पारदर्शिता की कमी में हुआ।

### पैराग्राफ 3.1

**निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं का पालन करने में विफलता अधिक भुगतानों का कारण बनी**

निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं का पालन करने में विदेश में मिशनों/केन्द्रों की विफलता 263 मामलों में 56 मिशनों द्वारा कुल ₹ 91.96 लाख की राशि तक के वेतन एवं भत्तों तथा अन्य विविध भुगतानों के अधिक भुगतान का कारण बनी। इन्हें 2009-11 के दौरान लेखापरीक्षा दृष्टांत पर वसूला गया था।

### पैराग्राफ 3.1.1

**अनुबंध देने में समुचित अध्यवसाय का अभाव**

इंडोनेशिया में एक सू.प्रौ. प्रयोगशाला के संस्थापन हेतु बोलियों के मूल्यांकन में समुचित विवेकपूर्णता का अभाव, अनुचित वार्षिक अनुरक्षण प्रभार एवं अतिरिक्त मूल्य वर्द्धित कर में छूट, के बावत 51.67 लाख के अतिरिक्त राशि पर अनुबंध को सौंपे जाने का कारण बना। लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर, मिशन ने ₹ 30.56 लाख की वसूली की तथा ₹ 21.11 लाख के भुगतान को रोका।

### पैराग्राफ 3.1.1

**गृह मंत्रालय**

**भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल**

**संस्वीकृतियों का विभाजन**

महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने जून 2010 तथा मार्च 2011 के बीच ₹ 4.72 करोड़ की कुल मूल्य की 19 विभाजित संस्वीकृतियाँ प्रदान की। प्रत्येक संस्वीकृति, मंत्रालय को मामला प्रेषित करने की आवश्यकता से बचने के उद्देश्य से, ₹ 25 लाख की वित्तीय शक्ति के भीतर सीमित की गई थी।

### पैराग्राफ 4.1

## आसूचना ब्यूरो

अनुपयुक्त प्रापण योजना के कारण परियोजना के निष्पादन में विलम्ब तथा उपकरणों का निष्क्रिय पड़े रहना

आसूचना ब्यूरो द्वारा इनक्रिप्टर्स का प्रापण करने से पूर्व इंटरनेट नेटवर्क के संस्थापन हेतु विभिन्न संबंधित कार्यों को समक्रमिक करने की विफलता दो वर्षों की अवधि तक ₹ 2.89 करोड़ के व्यर्थ पड़े रहने का कारण बनी।

### पैराग्राफ 4.2

#### स्टाफ मकानों के निर्माण में असाधारण विलम्ब

सहायक आसूचना ब्यूरो, लखनऊ द्वारा स्टाफ आवासों के निर्माण में असामान्य विलम्ब से लागत में ₹ 2.17 करोड़ की वृद्धि हुई। इसका परिणाम अपने स्टाफ सदस्यों को आवास किराया भत्ता के भुगतान के प्रति ₹ 86.59 लाख के परिहार्य व्यय में भी हुआ।

### पैराग्राफ 4.3

#### मानव संसाधन विकास मंत्रालय

##### उच्च शिक्षा विभाग

#### लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर संशोधक कार्रवाई

मंत्रालय वर्तमान नियमों के अनुवर्तन में विफल रहा और आई.आई.टी. मद्रास के रिसर्च पार्क को प्रयोज्य ब्याज दर 11.5 प्रतिशत के स्थान पर तीन प्रतिशत पर ₹ 100 करोड़ का ऋण दिया। लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर मंत्रालय ने ब्याज दर को परिवर्तित करने की संशोधक कार्रवाई की जिससे ₹ 46.75 करोड़ का घाटा होने से रोका गया।

### पैराग्राफ 5.1

#### सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

##### किराया बकायों की गैर-वसूली

फिल्म प्रभाग, मुंबई बंद तथा समाप्त प्रदर्शकों से कुल ₹ 60.73 लाख के किराया प्रभागों की वसूली करने में विफल रहा।

### पैराग्राफ 6.1

**संघ शासित क्षेत्र**

**अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन**

**जहाजरानी सेवाएं निदेशालय**

**कार्य-मुक्त किए गए एक जलयान के विक्रय में विलम्ब के कारण हानि**

एक अतिजीवित जलयान के उचित आरक्षित मूल्य निर्धारित करने के लिए समय से कार्यवाही प्रारम्भ करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹ 6.29 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

**पैराग्राफ 8.1**

**एक अतिजीवित पोत पर परिहार्य व्यय**

अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा निष्प्रभावी सहयोग एवं अनुवर्तन के कारण एक अतिजीवित पोत की वापसी में विलम्ब हुआ तथा परिणामतः ₹ 3.69 करोड़ के परिहार्य व्यय का कारण बना।

**पैराग्राफ 8.2**

**लक्षद्वीप प्रशासन**

**एक्स-रे बैगेज जाँच प्रणाली का प्रापण**

आवश्यक अवसंरचना के सृजन सहित दो एक्स-रे बैगेज जाँच प्रणाली की आपूर्ति, संस्थापन तथा चालू करने को समकालिक बनाने में संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप प्रशासन की विफलता के परिणामस्वरूप प्रणालियों की खरीद पर ₹ 61 लाख व्यय करने के बावजूद यात्रियों के बचाव एवं सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकी।

**पैराग्राफ 8.3**

**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**

**लेखापरीक्षा दृष्टांत पर अनुदान की अधिक निर्मुक्ति की वसूली**

राज्य सरकारों को अनुदान जारी करते समय उचित तत्परता का प्रयोग करने में मंत्रालय की विफलता का परिणाम ₹ 3.45 करोड़ की अधिक निर्मुक्ति में हुआ इसे बाद में लेखापरीक्षा दृष्टांत पर वसूला गया था।

**पैराग्राफ 9.1**

### एकीकृत शिशु संरक्षण योजना के अंतर्गत केन्द्रीय अंश की अनियमित निर्मुक्ति

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अम्बाला एवं हिसार में दो अवलोकन गृहों के निर्माण हेतु दो केन्द्रीय योजनाओं अर्थात् फरवरी 2008 में किशोर न्याय कार्यक्रम तथा दिसम्बर 2010 में एकीकृत शिशु संरक्षण योजना के अंतर्गत कुल ₹ 1.08 करोड़ के अनुदान दो बार जारी किए।

**पैराग्राफ 9.2**

### परमाणु ऊर्जा विभाग

#### ₹ 3.32 करोड़ का परिहार्य व्यय

क्रय प्रक्रिया का अनुपालन करने में परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन क्रय एवं भण्डारण निदेशालय की विफलता तथा वैधता अवधि के भीतर क्रय प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में परिणामी विलम्ब का परिणाम ₹ 3.32 करोड़ के परिहार्य व्यय में हुआ।

**पैराग्राफ 10.1**

### अंतरिक्ष विभाग

#### माँग प्रभारों का परिहार्य भुगतान

सही प्रकार से अपनी विद्युत खपत आवश्यकताओं का निर्धारण करने में इसरो उपग्रह केन्द्र तथा इसरो टेलीमेटरी, ट्रेकिंग एवं कमांड नेटवर्क की विफलता के साथ अनुबंधित माँग को कम करने हेतु कार्यवाही करने में विलम्ब का परिणाम विद्युत की खपत हेतु ₹ 3.72 करोड़ के परिहार्य भुगतान में हुआ।

**पैराग्राफ 11.1**



## अध्याय I : प्रस्तावना

### 1.1 इस रिपोर्ट के संबंध में

अनुपालन लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाई के व्यय, प्राप्तियों, परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों से संबंधित लेन-देनों की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या भारत के संविधान, लागू विधि, नियमों, विनियमों के प्रावधानों तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विभिन्न आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है, का उल्लेख करता है। अनुपालन लेखापरीक्षा में उनकी वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य तथा विवेक हेतु नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों की जांच भी शामिल है।

लेखापरीक्षाएं नियंत्रक महालेखापरीक्षक (भा.नि.म.ले.प.) की ओर से उनके द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षा मानकों<sup>1</sup> के अनुसार की जाती हैं। ये लेखापरीक्षा मानक उन प्रतिमानों को निर्धारित करते हैं जिनकी लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा करने में अनुसरण करने की अपेक्षा की जाती है। लेखापरीक्षा मानक गैर अनुपालन और दुरुपयोग के व्यक्तिगत मामलों के साथ-साथ उन कमजोरियों को सूचित करने की अपेक्षा करता है जो वित्तीय प्रबन्धन एवं आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली में विद्यमान हैं। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से उपचारी कार्यवाही करने के लिए कार्यपालिका को सक्षम बनाने तथा ऐसी नीतियां तथा निर्देश बनाने की अपेक्षा की जाती है, जो संगठन के सुधारोंमुक्त वित्तीय प्रबंधन तथा बेहतर शासन में सहायक होगा।

रेल एवं रक्षा मंत्रालय को छोड़कर संघ सरकार के लगभग 50 मंत्रालय/स्वतंत्र विभाग हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन 50 मंत्रालयों तथा विभागों का सकल व्यय नीचे दिया गया है:

( ₹ करोड़ में)

वर्ष	व्यय
2008-09	₹ 31,59,075
2009-10	₹ 41,31,321
2010-11	₹ 40,37,399

<sup>1</sup> डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू. सीएजी.जीओवी.आईएन./एच.ई.एम.एल/ लेखापरीक्षा मानक.एच.टी.एम.

इस प्रतिवेदन में नौ मंत्रालयों/विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को इस प्रतिवेदन के विभिन्न अध्यायों में सम्मिलित किया गया है।

## 1.2 लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार

भा.नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षा तथा संसद को सूचित करने का प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद क्रमशः 149 एवं 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 से प्राप्त हुआ है। नि.म.ले.प. भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. (क.श.एवं से.श.) अधिनियम<sup>2</sup> की धारा 13<sup>3</sup> एवं 17<sup>4</sup> के अन्तर्गत करता है। अनुपालन लेखापरीक्षा के सिद्धान्त और विधि-तंत्र भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियमावली 2007 में नियत है।

## 1.3 लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया समग्र रूप में मंत्रालय/विभाग/संगठन तथा उनकी प्रत्येक ईकाई में किए गए व्यय, कार्रवाइयों की समीक्षा/जटिलता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के स्तर, उनके समग्र आंतरिक नियंत्रण के निर्धारण तथा पणधारकों के हितों पर आधारित जोखिम के मूल्यांकन के साथ प्रारम्भ होती है। पूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर भी इस प्रक्रिया में विचार किया जाता है। इस जोखिम के मूल्यांकन के आधार पर, लेखापरीक्षा की आवृत्ति और सीमा निर्धारित की जाती है। ऐसे जोखिम मूल्यांकन के आधार पर लेखापरीक्षा करने के लिए एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना को बनाया जाता है।

प्रत्येक ईकाई की लेखापरीक्षा पूर्ण होने के पश्चात, लेखापरीक्षा निष्कर्षों को अन्तर्विष्ट करके निरीक्षण प्रतिवेदनों को इकाई के प्रमुख को जारी किया जाता है। इकाइयों से निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के एक माह के अन्दर लेखापरीक्षा निष्कर्षों का उत्तर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है। जब भी उत्तर प्राप्त होता है, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निपटान हो जाता है या अनुपालन हेतु पुनः कार्रवाई का सुझाव दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से उद्भूत प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्षों को, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, में सम्मिलित करने हेतु तैयार किया जाता है।

<sup>2</sup> नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971

<sup>3</sup> (i) भारत की समेकित निधि से सभी व्यय (ii) आकस्मिक निधि एवं लोक लेखा से संबंधित सभी लेन-देन और (iii) सभी व्यापार, विनिर्माण, लाभ एवं हानि लेखे, तुलन पत्र एवं अन्य सहायक लेखे

<sup>4</sup> संघ या राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे भण्डार एवं स्टॉक की लेखापरीक्षा एवं लेखे पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

## अध्याय II : संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

### डाक विभाग

#### 2.1 संगठनात्मक ढांचा एवं वित्तीय प्रबंधन

##### 2.1.1 विभाग के कार्य

भारत में डाक प्रणाली का देश के लिए लगभग 150 वर्षों से संचार अवसंरचना को सम्भालने का एक इतिहास है तथा वर्तमान में विश्व में इसका सबसे बड़ा नेटवर्क है।

डाक विभाग (डा.वि.) द्वारा दी जाने वाली मुख्य सेवाएं नीचे दी गई हैं:

- संचार सेवाएं-पत्र, पोस्टकार्ड, आदि
- परिवहन सेवाएं-पार्सल, लोजिस्टिक्स, आदि
- वित्तीय सेवाएं-बचत बैंक, मनीआर्डर, बीमा आदि
- मूल्य वर्द्धित सेवाएं-स्पीड डाक सेवा, व्यापार डाक, सीधी डाक, आदि

इसकी सार्वभौमिक सेवा बाध्यता के भाग के रूप में, डाक प्रणाली से समस्त देश में सभी उपभोक्ताओं को समर्थनीय मूल्य पर प्रभावी डाक सेवाओं के प्रावधानों को सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है। मेल का प्रेषण तथा सुपुर्दगी डाक विभाग का मुख्य परम्परागत कार्य है। पिछले वर्षों में डा.वि. द्वारा थोक मेल, व्यवसाय डाक तथा स्पीडपोस्ट जैसी कई मूल्यवर्द्धित सेवाओं को आरम्भ किया गया है।

डाकघर बचत बैंक योजना डा.वि. द्वारा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, की ओर से निष्पादित किया गया एक अभिकरण का कार्य है जिसके लिए वित्त मंत्रालय समय-समय पर निर्धारित दरों पर डा.वि. को क्षतिपूर्ति करता है। अपने अभिकरण कार्यकलापों को करने में डा.वि. देश में सबसे पुराने तथा बड़े बैंकिंग नेटवर्क का प्रतिनिधित्व करता है तथा मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से लघु बचतों के संचालन में आलोचनात्मक भूमिका निभाता है।

डाक विभाग जीवन बीमा भी प्रदान करता है। डाक जीवन बीमा (डा.जी.बी.) सरकारी कर्मचारियों को 1884 से जीवन बीमा आवृत्त प्रदान कर रहा है। 1995 से डा.जी.बी. का ग्रामीण डाक जीवन बीमा नई योजना के अंतर्गत देश की ग्रामीण जनता तक विस्तार किया जा चुका है।

डा.वि. सेना तथा रेलवे पेंशनधारियों को पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन, कर्मचारी भविष्य निधि योजना द्वारा आवृत्त किए गए कोयला खान कर्मचारियों तथा उद्योगों के परिवारों को पारिवारिक पेंशन के संवितरण के काम में लगा हुआ है।


### 2.1.2 संगठनात्मक ढांचा

डाक विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार का एक भाग है। सचिव, डाक विभाग, विभाग के मुख्य कार्यकारी के रूप में डाक सेवा बोर्ड का अध्यक्ष तथा महानिदेशक, भारतीय डाक भी होता है। बोर्ड के छः सदस्य होते हैं जो कार्मिक, प्रचालन, प्रौद्योगिकी, डाक जीवन बीमा व अध्यक्ष निवेश बोर्ड, मानव संसाधन विकास व आयोजना विभाग सम्भालते हैं।

बोर्ड, 22 परिमंडलों में मुख्य महाडाकपालों तथा डाक महानिदेशालय में वरिष्ठ/उप महानिदेशकों की सहायता से देश भर में डाक सेवाओं के प्रबंधन को निदेशित और पर्यवेक्षित करता है। डा.वि. में व्यवसाय विकास निदेशालय (व्य.वि.नि.) की स्थापना 1996 में मूल्यवर्द्धित सेवाओं, जैसे:- स्पीडपोस्ट, स्पीडपोस्ट पासपोर्ट सेवा, व्यवसायिक डाक, एक्सप्रेस पार्सल डाक, मीडिया डाक, मेघदूत डाक पत्र, बधाई डाक, डाटा पत्र, ई-बिल डाक एवं ई-डाक, का केन्द्रीकृत प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए हुई थी। डाक जीवन बीमा (डा.जी.बी.) तथा ग्रामीण डाक जीवन बीमा (ग्रा.डा.जी.बी.) योजनाएं मुख्य महाप्रबंधक, डा.जी.बी. की अध्यक्षता में डा.जी.बी. निदेशालय द्वारा मॉनीटर की जाती हैं।

### 2.1.3 वित्तीय निष्पादन

पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 के दौरान कुल राजस्व प्राप्ति में 11.10 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि उसी अवधि में राजस्व व्यय में 3.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विगत तीन वर्षों के लिए राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय को निम्न चार्ट में दर्शाया गया है:



डाक विभाग की कुल राजस्व प्राप्ति व राजस्व व्यय नीचे तालिका में दिया गया है और विवरण अनुबंध- I में दिये गये हैं:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व प्राप्ति	वसूली	राजस्व व्यय	घाटा (2)+(3)-(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2008-09	5862.33	300.82	9756.23	3593.08
2009-10	6266.70	438.94	13346.94	6641.30
2010-11	6962.33	485.72	13793.67	6345.62

वर्षों के दौरान विभाग का अर्जन 'राजस्व प्राप्ति' के रूप में था और 'वसूली' व्यय की तुलना में कम थी। घाटे के कारण मुख्य रूप से वेतन एवं भत्ते, महंगाई भत्ता, आकस्मिक व्यय और पेंशन प्रभारों आदि पर व्यय थे।

2010-11 में डाक सेवाओं<sup>1</sup> पर ₹ 6345.62 करोड़ का सकल घाटा था। 2008-09 से 2010-11 की अवधि के लिए तुलनात्मक स्थिति निम्न थी:

<sup>1</sup> सकल घाटे की गणना राजस्व प्राप्ति व वसूलियों तथा राजस्व व्यय के मध्य अन्तर के रूप की गई थी अर्थात् {₹6962.33+₹485-72}- ₹13793.67}



#### 2.1.4 लेखापरीक्षा की भूमिका

लेखापरीक्षा का संचालन प्राथमिक रूप से यह जांचने तथा निर्धारण करने के उद्देश्य से किया गया था कि क्या स्थापित प्रणालियां प्रभावी तरीके से कार्य कर रही थीं, अनुबंधित प्रक्रियाओं का अनुपालन किया गया था तथा क्या वित्तीय औचित्य का पालन किया गया था। अनुपालन लेखापरीक्षा हेतु विषय डाक इकाइयों द्वारा किए गए विभिन्न कार्यकलापों से संबद्ध जोखिमों के निर्धारण के आधार पर चयनित किए गए थे। लेखापरीक्षा प्रक्रिया, लेखापरीक्षित की वित्तीय तथा प्रबंधकीय नियंत्रणों के क्षेत्रों जिन्हें कुशल तथा प्रभावी प्रबंधन हेतु ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है, की पहचान करने में सहायता करती है। लेखापरीक्षा वस्तुतः राजस्व वसूलियां कराने में भी सहायक सिद्ध हुई है।

कुछ निरन्तर कमियां जो पिछले पांच वर्षों में डा.वि. से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकाशित हुई हैं, में शामिल हैं:

1. अन्य विभागों से पेंशन/पारिवारिक पेंशन देयों की गैर वसूली
2. ब्याज का अनियमित भुगतान
3. कमीशन का अनियमित भुगतान
4. सेवा कर की उगाही न करना

#### 2.1.5 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान, 1 अप्रैल 1995 से लागू नियमों के उल्लंघन में, उत्तर पूर्व डाक परिमंडल के अंतर्गत प्रधान डाकघर (प्र.डा.घ.), आइजोल ने जनवरी-फरवरी 2003 में एक संस्था को किसान विकास पत्र (कि.वि.प.) जारी किए थे और एजेंट को कमीशन के अनियमित भुगतान के अतिरिक्त ₹ 1.12 करोड़ का अनियमित भुगतान ब्याज के रूप में

किया। लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर, डाकपाल, प्र.डा.घ. आइजोल ने ₹ 1.12 करोड़ की मूल राशि वापिस कर दी थी। निवेशक को अनियमित रूप से भुगतान किये गये ब्याज की राशि को शून्य माना गया और राशि का पुनः निवेश रद्द कर दिया गया।

## 2.2 डाक घरों के माध्यम से राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (नरेगस) वेतन का संवितरण

### 2.2.1 प्रस्तावना

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) एक वित्तीय वर्ष में गारंटी रोजगार के एक सौ दिन उपलब्ध कराकर ग्रामीण घरेलू आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था ताकि प्रत्येक घरेलू प्रौढ़ सदस्य स्वैच्छिक हस्त कार्य कर सके। इस अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिये राज्य सरकारों को उत्तरदायी बनाया गया ताकि वे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाएं (नरेगस) तैयार कर सकें।

डाक विभाग (डा.वि.) के साथ परामर्श करके ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रा.वि.मं.) ने 2008 में समझौता ज्ञापन (स.ज्ञा.) का एक मॉडल तैयार किया ताकि डाक घरों के माध्यम से नरेगस वेतन के सामयिक तथा पारदर्शी संवितरण के लिये राज्य सरकार व डा.वि. के मध्य समझौता किया जा सके। 2008 व 2009 के मध्य 18 डाक परिमंडलों में 20 राज्य सरकारों के साथ स. ज्ञा. पर हस्ताक्षर किये गये थे। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, जम्मू एवं कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड व दिल्ली की राज्य सरकारों के साथ किसी स.ज्ञा. पर हस्ताक्षर नहीं किया गया था। उत्तर पूर्व परिमंडल में, तीन राज्य सरकारों उदाहरणार्थ मेघालय, मिजोरम व मणिपुर के साथ स.ज्ञा. पर हस्ताक्षर किये गये थे। असम परिमंडल में, यद्यपि केवल जिला स्तर पर स.ज्ञा. पर हस्ताक्षर किये गये थे, वास्तव में, ये केवल चार जिला में हस्ताक्षर किये गये। पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश व त्रिपुरा राज्यों में नरेगस वेतन का संवितरण स.ज्ञा. पर हस्ताक्षर किये बिना डाकघरों के माध्यम से किया गया था।

स.ज्ञा. का मुख्य उद्देश्य विशेष बचत खातों के माध्यम से सामयिक व पारदर्शी तरीके से नरेगा मजदूरों द्वारा अर्जित देय वेतन का भुगतान सुनिश्चित करना था। स.ज्ञा. के उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा डाकघरों के माध्यम से सफलतापूर्वक नरेगा योजना का क्रियान्वयन करने के उद्देश्य से, डा.वि. ने मॉडल प्रचालन कार्यपद्धति (एम.ओ.पी.) और समय-समय पर अन्य अनुदेश सभी परिमंडलाध्यक्षों को जारी किये थे (अप्रैल 2008)। इस सम्बंध में एम.ओ.पी. तथा अनुदेशों के साथ-साथ नकद भुगतान व्यवस्था से सम्बन्धित दिशानिर्देश, समय-सीमा का अनुपालन, राज्य सरकार के विभाग व डा.वि. के प्रतिनिधियों के मध्य


मॉनीटरिंग व समन्वय पर विचार किया गया था, डाक घर बचत बैंक के माध्यम से नरेगस के अंतर्गत वेतन-संवितरण के लिये कार्यपद्धति पर भी विचार किया गया था।

### **2.2.2 संगठनात्मक ढांचा**

राज्य/परिमंडल, जिला/मुख्य डाकघर, ब्लॉक/ उप कार्यालय तथा ग्राम पंचायत/ शाखा कार्यालय स्तर पर इस व्यवस्था के दोनों पक्षों अर्थात राज्य सरकार तथा डाक विभाग (डा.वि.) का संगठनात्मक ढांचा नीचे चार्ट में दर्शाया गया है:



राज्य सरकार तथा डा.वि. के संगठनात्मक ढांचे को दर्शाने वाला चार्ट



योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करने, समस्याओं से अवगत होने तथा उचित समाधान की खोज करने तथा योजना का निर्बाध कार्य करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों व डा.वि. दोनों के संगठनात्मक घटकों के लिए यह आवश्यक था कि वे राज्य, जिला व ब्लॉक स्तर पर व्यवस्थित की जाने वाली आवधिक समन्वय बैठक में भाग लें। राज्य स्तर पर, प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास को मुख्य महाडाकपाल (मु.म.डा.पा.) के साथ मासिक आधार पर या जब भी आवश्यकता हो, समन्वय बैठक बुलानी चाहिये थी। जिला स्तर पर, जिलों के जिला कार्यक्रम संयोजक (जि.का.सं.) को डाक मंडलों में अभिज्ञात नोडल अधिकारियों के साथ मासिक बैठक करनी थी। कार्यक्रम अधिकारियों/अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारियों (का.अ./अ.का.अ. ) से भी अपेक्षा की गयी थी कि वे ब्लॉक स्तर पर उपडाकपाल /शाखा डाकपाल (एस.ओ./बी.ओ.) के साथ पाक्षिक अधार पर समन्वय बैठक बुलायें। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें प्रत्येक जिला मुख्यालय में स्थित मुख्य डाक घरों (मु.डा.घ.) में प्रत्येक तिमाही के लिये एक बार जमा (ओ.टी.डी.) के रूप में औसत मासिक नरेगस वेतन रखने के लिये उत्तरदायी थीं।

2008-09 से 2010-11 की अवधि के लिये देश में सभी डाक परिमंडलों में नरेगस के लिये प्रचालित खातों की संख्या, जमा की गई राशि, आहरित व शेष राशि का विवरण नीचे की तालिका में दर्शाया गया है, इससे यह निर्दिष्ट हुआ कि नरेगस के अंतर्गत खातों की संख्या, जमा की गई व आहरित में अवधि के दौरान महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।

तालिका : 1

(₹करोड़ में)

वर्ष	खातों की संख्या (करोड़ में)	वर्ष में जमा की गई राशि	वर्ष के दौरान निकाली गई राशि	31 मार्च को खातों में शेष राशि	खातों में शेष राशि की प्रतिशतता
2008-09	2.92	उ./न.	3863	-	-
2009-10	4.25	8448	7900	548	6.49
2010-11	4.90	13463	9179	4284	31.82

(स्रोत:डा.वि. मुख्यालय से संग्रहीत डाटा)

खातों में शेष राशि जो लाभार्थी द्वारा आहरित न की गई राशि को दर्शाता है 2009-10 में ₹ 548 करोड़ से कई गुणा बढ़कर 2010-11 में ₹ 4284 करोड़ हो गई थी।

### 2.2.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

हमने मई से जुलाई 2011 के दौरान लेखापरीक्षा की थी और आठ डाक परिंडलों<sup>2</sup> में प्रत्येक में एक डाक क्षेत्र का चयन किया था सिवाय कर्नाटक परिमंडल<sup>3</sup> जहां केवल दो डाक क्षेत्रों का चयन किया गया था। प्रत्येक डाक क्षेत्र के अंतर्गत डाक मंडलों का चयन लेन-देन की मात्रा के आधार पर किया गया था। डाक प्रभागों के अंतर्गत चयन किये गये डाक घरों के लेन-देन की 2008-2009 से 2010-11 की अवधि हेतु नमूना जांच की गई थी। जैसाकि नीचे दिया गया है:

तालिका : 2

डाक परिमंडल	डाक क्षेत्र	डाक मंडल	मुख्य डाक घर (मु.डा.घ.)	उप-डाक घर (उ.डा.घ.)	शाखा डाक कार्यालय (शा.डा.का.)
8	9	18	29	57	233

### 2.2.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

हमने यह जांचने के लिये लेखापरीक्षा की थी कि:

- नरेगा योजना के अंतर्गत डाक नेटवर्क के माध्यम से वेतन का संवितरण केन्द्र में डा.वि. एवं ग्रा.वि.मं. के मध्य व फील्ड स्तर पर डाक परिमंडलाध्यक्षों और राज्य सरकारों के मध्य आदर्श स.ज्ञा. के निबन्धनों के अंतर्गत किया गया था।
- डा.वि. द्वारा डाक परिमंडलों को नरेगा खातों के खोलने व वेतन के संवितरण के लिये जारी आदर्श प्रचालन कार्यपद्धति (एम.ओ.पी.) के प्रावधान का अनुपालन किया गया था।
- योजना के क्रियान्वयन की समग्र रिपोर्टिंग, मॉनीटरिंग व प्रबन्धन पर्याप्त था।

### 2.2.5 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिये प्रयुक्त मापदंड के स्रोत थे:-

- राज्य सरकारों व सम्बन्धित डाक परिमंडलों के मध्य स.ज्ञा. करना
- योजना के क्रियान्वयन व डाक घर बचत खाता नियम 1981 के लिये डा.वि. जारी एम.ओ.पी. व अन्य अनुदेश।

<sup>2</sup> आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक व पश्चिम बंगाल

<sup>3</sup> एक डाक क्षेत्र में लेन-देन की मात्रा पर्याप्त नहीं थी इसलिए लेखापरीक्षा द्वारा दो क्षेत्रों का चयन किया गया था

## 2.2.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

डाक घरों के माध्य से नरेगस वेतन के संवितरण की हमारी संवीक्षा ने योजना के समग्र प्रचालन में बहुत सी त्रुटियों को उजागर किया। इसने कमजोर व अप्रभावी मॉनीटरिंग तंत्र के उदाहरणों को भी दर्शाया है।

### 2.2.6.1 नरेगस मजदूरों के सामायिक भुगतान के लिये निधि प्रवाह की व्यवस्था

योजना के अनुसार, डा.वि. को सभी उ.डा.घ. तथा शा.का. निधि पर्याप्त उपलब्धता रखने के लिये अपेक्षित था ताकि नरेगस मजदूरों का सामायिक भुगतान सुनिश्चित किया जा सके जैसाकि स.ज्ञा. तथा एम.ओ.पी. के अंतर्गत समय-सीमा की सहमति प्रदान की गई थी। यह मु.डा.घ. से उ.डा.पा. को शा.डा.पा. के माध्यम से आवश्यक निधि के सामायिक प्रवाह की पूर्व कल्पना थी। तथापि उ.डा.पा./शा.डा.पा. स्तर पर निधि की आवश्यकता को पूरा करने के लिये वांछित कदम मु.डा.पा. द्वारा न उठाये जाने से वेतन के भुगतान में विलम्ब हुआ जैसाकि निम्नलिखित उप पैराग्राफ में चर्चा की गई है:

### 2.2.6.2 राज्य सरकारों द्वारा मु.डा.घ. में एक बार जमा (ओ.टी.डी.) जमा न करना/कम जमा करना

स.ज्ञा. व एम.ओ.पी. के अनुसार डा.वि. का मंडलीय नोडल अधिकारी (मं.नो.अ.) से अपेक्षित था कि वह राज्य सरकार ग्रामीण विकास विभाग के जिला कार्यक्रम समन्वयक (डी.पी.सी.) के पास जायें तथा एक बार जमा (ओ.टी.डी.) प्राप्त करें जोकि जिला मुख्यालयों में नये खाते खोलने के लिये अपेक्षित न्यूनतम राशि सहित जिले में नरेगस मजदूरों को भुगतान योग्य लगभग मासिक वेतन के बराबर राशि हो। जिला स्तर पर मु.डा.घ. के साथ एक बार जमा करने को प्रयोजन था ताकि वेतन सूची के साथ प्राप्त वेतन चैक/डिमांड ड्राफ्ट की वसूली के लिये बिना प्रतीक्षा किये नरेगस वेतन संवितरण के लिये डाक घरों को समर्थ बनाया जा सके। मं. नो.अ. प्रत्येक तिमाही में भुगतान के लिये वेतन की स्थिति की समीक्षा करना भी अपेक्षित था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डी.पी.सी. आवश्यक मात्रा में एक बार जमा की वास्तव में भुगतान की गई मजदूरी के नवीनतम मासिक औसत मासिक के अनुसार पूर्ति करें।

हमारी संवीक्षा ने उजागर किया कि नमूना जांचित आठ परिमंडलों<sup>4</sup> के अंतर्गत 19 मु.डा.घ. ने या तो डाक परिमंडलों द्वारा ओ.टी.डी. से आग्रह नहीं किये गये थे या ₹12 लाख से ₹ 401 लाख तक विभिन्न मु.डा.घ. में कम प्राप्त किये गये थे। मं.नो.अ. ने ओ.टी.डी. की तिमाही समीक्षा नहीं की थी ताकि कार्यक्रम समन्वयक से इन जमाओं

<sup>4</sup> आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान व पश्चिम बंगाल

को उचित तरीके से पूर्ति करवाई जा सके। तथ्य से यह स्पष्ट है कि आठ नमूना जांचित परिमंडलों में 19 मु.डा.घ. ने 31 मार्च 2011 तक निधि की कुल कमी ₹1920 लाख बनती थी जोकि औसतन 59.48 प्रतिशत था। इन तीन परिमंडलों के अंतर्गत आठ मु.डा.घ. में डी.पी.सी. द्वारा कोई एक बार जमा नहीं किया गया था और दो परिमंडलों के अंतर्गत पांच मु.डा.घ. में यह या तो 50 प्रतिशत के लगभग या इससे अधिक था (अनुबंध-II) यह भी पाया गया कि चार परिमंडलों<sup>5</sup> में राज्य सरकार प्राधिकारियों के साथ अनुवर्ती कार्यवाही नियमित रूप से नहीं की गई थी।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर छः परिमंडलों<sup>6</sup> ने स्वीकार किया कि सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षित एक बार जमा उपलब्ध नहीं कराये गये थे। उत्तर में मंत्रालय ने बताया कि ग्रा.वि.मं. से नियमित अंतराल पर अनुरोध किया गया था कि वह अस्थिर निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करे और राज्य सरकारों को प्रत्येक मु.डा.घ. में अस्थिर निधि उपलब्ध कराने का निर्देश दें। इसके अतिरिक्त, यह मामला ग्रा.वि.मं. के माननीय मंत्री के साथ एक बैठक में सचिव, डा.वि. द्वारा उठाया गया था।

इस प्रकार, मु.डा.घ. में अपर्याप्त एक बार जमा से पर्याप्त निधि की गैर उपलब्धता का कारण बन सकती थी जो परिणामस्वरूप, वेतन के विलम्बित भुगतान का कारण बनी या वेतन बैंक के विलम्बित प्राप्ति के प्रकरण में, डा.वि.निधि के अस्थायी बहिर्गमन का कारण बनी।

### 2.2.6.3 बैंक प्रेषण में कमजोर मॉनीटरिंग के कारण मु.डा.घ. के बैंक खातों में नरेगस बैंक जमा करने में विलम्ब

नरेगस वेतन बैंक की सामयिक वसूली शा.का.पा. के लिये निधि के निर्बाध प्रदान करने हेतु एवं वेतन के सामयिक भुगतान सुनिश्चित करने हेतु पूर्व अपेक्षित थी। यह सुनिश्चित करने के लिये मंडलीय अध्यक्ष/मंडलीय नोडल अधिकारी और सम्बन्धित मुख्य डाकपाल बैंक खातों में सभी नरेगस बैंक के सामयिक प्रेषण और डाक घर खातों में अविलम्ब उसे जमा करने पर तीखी नजर रखता है। प्रत्येक बैंक के निपटान की निगरानी एक रजिस्टर जोकि प्राप्त किये गये और निपटान के लिये भेजे गये बैंक की तिथियों को दर्ज करने के लिये बनाया जाना था, के माध्यम से मुख्य डाकपाल द्वारा की जानी थी।

<sup>5</sup> बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम बंगाल

<sup>6</sup> आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक तथा उड़ीसा

आठ नमूना जांचित परिमंडलों में से सात<sup>7</sup> में हमारी संवीक्षा से पता चला कि मुख्य डाक घरों में चैक के भुनाने में मॉनीटरिंग व नियंत्रण में कमियों को उजागर किया जैसा कि नीचे वर्णित है:

- योजना के अनुसार, प्रत्येक मु.डा.घ. को प्राप्त किये गये व निपटान किये गये नरेगस चैक के एक अलग रजिस्टर का अनुक्षण करना अपेक्षित था। तथापि, बिहार<sup>8</sup>, कर्नाटक<sup>9</sup> और राजस्थान<sup>10</sup> परिमंडलों में प्रत्येक में तीन मु.डा.घ. और छत्तीसगढ़<sup>11</sup> परिमंडल के दो मु.डा.घ. ने प्राप्त व निपटान किये गये नरेगस चैकों का पृथक रजिस्टर नहीं बनाया था। परिणामतः हम गैर निपटान नरेगस चैकों का आयु-वार ब्यौरा और विवरण का मूल्यांकन नहीं कर सके थे।
- 30 सितम्बर 2011 तक, तीन परिमंडलों<sup>12</sup> में राज्य सरकार प्राधिकारियों से डा.वि. द्वारा ₹ 234.51 लाख के 371 बिना वसूली के चैक तथा ₹150.18 लाख के 150 अनादृत चैक क्षतिपूर्ति नहीं किये गये थे। (अनुबंध III व IV)
- राजस्थान परिमंडल के दो मु.डा.घ.<sup>13</sup> व तीन उ.डा.घ.<sup>14</sup> में ₹156 लाख रु. के 217 नरेगस चैक के निपटान में 7 से 52 दिनों का विलम्ब था।

सभी परिमंडलों से से प्राप्त व वसूल राशि व चैक की कुल संख्या की उपलब्धता न होने के कारण, गैर निपटान चैक व अनादृत चैक की प्रतिशतता तथा विलम्ब का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता था।

हमारे द्वारा यह इंगित किये जाने पर डाक परिमंडलों ने उत्तर दिया कि सभी लम्बित चैक के निपटान के लिये आवश्यक कार्रवाई की जा रही थी। राजस्थान परिमंडल के अंतर्गत मु.डा.पा. पश्चिमी क्षेत्र जोधपुर ने उत्तर दिया कि निपटान में विलम्ब खातों की संख्या में गलती करने, चैक राशि व वेतन सूची में अन्तर होने के कारण तथा बैंक द्वारा निपटान में विलम्ब होने के कारण भी था। मु.म.डा.पा. कर्नाटक, बिहार व छत्तीसगढ़ परिमंडलों ने उत्तर दिया कि आवश्यक कार्रवाई की जा रही थी।

<sup>7</sup> आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा और राजस्थान। पश्चिम बंगाल में पैसा डिमान्ड ड्राफ्ट के द्वारा प्राप्त किया गया है।

<sup>8</sup> पूरनीया, कटिहार और सहरसा

<sup>9</sup> चित्रदुर्ग, गलबर्ग, कोलर

<sup>10</sup> जोधपुर, नागौर और डिडवाना

<sup>11</sup> रायपुर और बिलासपुर

<sup>12</sup> बिहारा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा

<sup>13</sup> जैसलमेर और डीडवाना

<sup>14</sup> पोखरन, बोरावार और कुचमन

परिमंडलों का उत्तर संतोषजनक नहीं था। एक बार जमा में त्रुटि व नरेगा निधि बैंक भुनाने में विलम्ब का विचार करते हुए ज्ञात हुआ कि मॉनीटरिंग तंत्र प्रत्यक्ष रूप से अप्रभावी नहीं था।

#### 2.2.6.4 रोकड़ प्रवाह प्रबंधन में समस्याएं

डी.एन.ओ. पर्याप्त रोकड़ की व्यवस्था करने हेतु उत्तरदायी थे जिससे उपडाकपालों तथा शाखा डाकपालों की आवश्यकताओं को इस अनुमान के साथ पूरा किया जा सके कि 100 प्रतिशत साप्ताहिक/पाक्षिक वेतन, वेतन सूची की प्राप्ति के दो या तीन दिनों के भीतर आहरित किया जायेगा। उपडाकपालों को वेतन सूची की प्राप्ति पर व्यक्तिगत मजदूरों के खातों में शीघ्र ही वेतन क्रेडिट करना था और सम्बन्धित शाखा डाकपाल को सूचना भेजनी थी। प्रत्येक परिस्थिति में, एम.ओ.पी. के अनुसार, सभी भुगतान वेतन सूची की प्राप्ति की तारीख से तीन दिन के भीतर पूरे किये जाने थे।

2008-09 से 2010-11 की अवधि के दौरान नमूना जांच से पता चला कि सात परिमंडलों<sup>15</sup> में 3457 वेतन सूचियों से संबंधित संवितरण में काफी विलम्ब था। विलम्ब 15 से 30 दिनों और उससे अधिक की रेंज में था जैसाकि नीचे वर्णित है:

#### तालिका : 3

#### नरेगस मजदूरों को वेतन के संवितरण में विलम्ब

क्र.सं.	डाक परिमंडल	विलम्ब के दिनों की संख्या			विलम्बित वेतन सूची की कुल संख्या
		1 से 15	16 से 30	30 से अधिक	
		विलम्बित वेतन सूची की संख्या			
1.	बिहार	310	80	43	433
2.	गुजरात	238	217	35	490
3.	उड़ीसा	287	34	12	333
4.	पश्चिम बंगाल	148	8	2	158
5.	कर्नाटक	573	19	92	684
6.	छत्तीसगढ़	865	313	128	1306
7.	राजस्थान	38	12	3	53
कुल		2459	683	315	3457

(स्रोत: डाक घरों से संग्रहित डाटा)

विलम्ब के मुख्य कारण, जैसाकि डाक घरों द्वारा उद्धृत था, निम्नलिखित थे:

- उ.डा.घ. से शा.का. में अधिक मात्रा में नकद रोकड़ प्रवाह के संचालन हेतु तंत्र की कमी (मु.म.डा.पा. उड़ीसा)

<sup>15</sup> बिहार, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल

- बहुतायत में प्राप्त वेतन सूचियों के अंतर्गत भुगतान करने के लिए स्टाफ की कमी (मु.म.डा.पा. गुजरात)।
- रोकड़ की प्राप्ति में विलम्ब तथा रोकड़ की कम आपूर्ति (बिहार व पश्चिम बंगाल के शा.पा.)।
- वेतन सूची की प्राप्ति, खातों के खोलने एवं पासबुक आदि को जारी करने में विलम्ब, बड़ी संख्या में खातों का होना और परिमंडल कार्यालय द्वारा समय - सीमा पर परस्पर विरोधी अनुदेश (छत्तीसगढ़ परिमंडल)।

परिमंडलों द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि डा.वि. निदेशालय द्वारा वेतनों के संवितरण की नियमित समीक्षा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि, डाकघरों में पर्याप्त रोकड़ शेष उपलब्ध थे। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा द्वारा जांचित कर्नाटक परिमंडल के चित्रदुर्ग व कोप्पल मु.डा.घ. के अंतर्गत कुछ डाक घरों में वेतन सूची रजिस्टर निरपवाद रूप से नहीं रखे गये थे। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया था।

### 2.2.7 डाक घरों के माध्यम से नरेगस वेतन भुगतान

डाक घर पी.ओ.एस.बी. नियमों के अनुसार मजदूरों के लिये वेतन खाते खोलने, वेतन राशि क्रेडिट करने तथा आहरण की अनुमति देने के लिये अपेक्षित थे इसके साथ-साथ यह एस.बी. खाते खोलने और इसके प्रचालन के समय एक कार्यपद्धति अपनाए जाने को निर्धारित करता है। जॉब कार्ड, आवेदन पत्र के माध्यम से मजदूरी प्राप्त करने वालों की पहचान पूर्णरूप से सत्यापित करने, पूर्ण डेटा प्रविष्टि, डेटा शुद्धता एवं खातों में समय पर ब्याज क्रेडिट करने जैसे कुछ महत्वपूर्ण पहलू थे जिसके लिये डा.वि. स्टाफ को कार्रवाई की करनी पड़ी थी। सम्बन्धित राज्य सरकारों एवं मॉडल प्रचालन कार्यपद्धति के साथ हस्ताक्षरित स.ज्ञा. ने मजदूरों के खाते में वेतन राशि के शीघ्र क्रेडिट की व्यवस्था थी।

हमने नरेगस वेतन खातों के प्रचालन में निम्न गम्भीर कमियां देखी थीं।

#### 2.2.7.1 जॉब कार्ड के ब्यौरों का सत्यापन किये बिना ही खाते खोले गये

डाक घर बचत खाता नियम और डा.वि. द्वारा जारी किये गये अन्य आदेश अनुबंध करते हैं कि (एस.बी.-3) आवेदन पत्र में यथा इंगित नरेगस मजदूरों के ब्यौरों को प्रत्याशी के मूल जॉब कार्ड से डाकपाल द्वारा सत्यापित किये जाने चाहिए थे। डाकपाल के स्वयं के हस्ताक्षर से इसे प्रमाणित करना भी अपेक्षित था।



तथापि, हमारी संवीक्षा से पता चला कि आठ नमूना जांचित मंडलों में से चार<sup>16</sup> में, 78602 नरेगस खाते, आवेदन पत्रों (एस.बी.-3) का जॉब कार्ड से सत्यापन किये बिना ही खोले गये थे, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

**तालिका : 4**

**जॉब कार्ड से आवेदन पत्र (एस.बी.-3 फार्म) का सत्यापन किये बिना खोले गये खाते**

क्र.सं.	डाक परिमंडल	एस.बी.-3 फार्म की संख्या जिनकी जॉब कार्ड से प्रति जांच नहीं की गई थी।
1.	छत्तीसगढ़	45229
2.	गुजरात	31182
3.	बिहार	1278
4.	उड़ीसा	913
<b>कुल</b>		<b>78602</b>

(स्रोत: डाक घरों से संग्रहित आंकड़े)

डाकपाल द्वारा सम्बन्धित कार्य पद्धति के गैर अनुपालन से खातों के द्वारा अनियमित/कपटपूर्ण भुगतान की सम्भावना थी, जिनकी वास्तविकता पर संदिग्ध थी।

यह इंगित किये जाने पर, छत्तीसगढ़ परिमंडल के डाकपाल ने बताया कि एस.बी.-3 फार्म का सत्यापन ज्यादा कार्यभार होने की वजह से नहीं किया गया था; गुजरात परिमंडल के डाकपाल ने खाता खोलने के समय में जॉब कार्ड की अनुपलब्धता तथा उस विषय पर स्पष्ट अनुदेश की कमी का कारण बताया। डाक परिमंडलों<sup>17</sup> ने जवाब दिया कि मानक प्रचालन कार्य पद्धति के अनुसरण के लिए जरूरी निर्देश डाक घरों को जारी किए जाएंगे। मंत्रालय ने उत्तर दिया कि गुजरात और उड़ीसा परिमंडल में जॉब कार्ड इकट्ठे किये जाने हेतु सभी संबंधित को अनुदेश दिये जा चुके हैं।

मंत्रालय और परिमंडल कार्यालयों के उत्तर हमारी टिप्पणी की पुष्टि करते हैं कि पोस्ट आफिसों द्वारा खाता खोलते समय उचित सावधानी का पालन नहीं किया गया था जिससे अनियमित/कपटपूर्ण भुगतान आसानी से हो सके थे।

**2.2.7.2 वेतन भोगियों को बायें हाथ के अंगूठे की छाप (एल.एच.टी.आई.) का सत्यापन किये बिना वेतन का संवितरण**

पी.ओ.एस.बी. नियमावली के नियम संख्या 33(1) में यह प्रावधान था कि अंधे, निरक्षर या फिर जो लिख नहीं सकते, के संबंध में आहरण हेतु आवेदन पत्र पर अंगूठे की छाप

<sup>16</sup> बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात और उड़ीसा

<sup>17</sup> बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात और उड़ीसा

या निशान एक आदरणीय साक्षी द्वारा सत्यापित होना चाहिए। मॉडल प्रचालन कार्यपद्धति (एम.ओ.पी.) में वेतन के संवितरण के इस कार्यपद्धति को दोहराया गया था।

छ: परिमंडलों<sup>18</sup> की नमूना जांच के दौरान, निरक्षर वेतन भोगियों के बायें हाथ के अंगूठे के निशान के सत्यापन के बिना ही 6811 भुगतान के मामले पाये गये जो डाक घर बचत बैंक (पी.ओ.एस.बी.) नियमावली का उल्लंघन था। ब्यौरे नीचे तालिका मे दिये गये है:

तालिका : 5

मजदूरों के बायें हाथ के अंगूठे के निशान का सत्यापन किये बिना किए गए भुगतान

क्र.सं.	डाक परिमण्डल	प्रकरण की संख्या जहां एल टी आई सत्यापित नहीं किये गये (लेखापरीक्षा द्वारा जांचित)
1.	छत्तीसगढ़	3999
2.	गुजरात	1294
3.	उड़ीसा	897
4.	बिहार	553
5.	राजस्थान	36
6.	कर्नाटक	32
कुल योग		6811

(स्रोत: डाक घर से संग्रहित डाटा)

डाक घरों के कोडल प्रावधान का पालन करने में असफलता ने नरेगस में कपटपूर्ण भुगतान की समस्या को बढ़ा दिया।

परिमंडल कार्यालयों<sup>19</sup> ने उपर्युक्त तथ्यों का विरोध नहीं किया और उत्तर दिया कि उपचारी कार्रवाई की जाएगी और यह भी बताया कि कोडल प्रावधानों का पालन करने हेतु डाक घरों को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं। मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया कि भुगतान प्रक्रिया का नियमित रूप से पालन किये जाने हेतु सभी संबंधितों को आवश्यक निर्देश दिये गये थे।

### 2.2.7.3 श्रमिकों के वेतन खातों के संबंध में खाते बहियों का अनुरक्षण न करना

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग ने बचत खाते की विशेष श्रेणी अर्थात् नरेगस के अंतर्गत श्रमिकों के वेतन खाते को प्रारम्भ करने हेतु डाक घर बचत खाता नियमावली 1981 का संशोधन करते हुए अगस्त 2008 में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की थी।

<sup>18</sup> बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा और राजस्थान

<sup>19</sup> बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक और उड़ीसा

इसी माह में, डा.वि. ने नरेगस के अंतर्गत बचत खातों के नए प्रकार को खोलने हेतु खाता संख्याओं का एक अलग ब्लाक प्रारम्भ किया।

जैसे डाक घर बचत खाता नियमावली के अंतर्गत उप डाक घर स्तर पर प्रत्येक बचत खाते स्तर पर खाता बही कार्ड का अनुरक्षण अनिवार्य था उसी प्रकार उप डाक घर स्तर पर नरेगस खातों हेतु खाता बहियों का अनुरक्षण किया जाना था। इसके अतिरिक्त, वेतन सूची तथा संबंधित चैकों की प्राप्ति पर उप पोस्टमास्टर्स को मु.डा.घ. को वसूली हेतु चैक भेजना तथा व्यक्तिगत श्रमिक के खातों में वेतन राशियों का डाला जाना सुनिश्चित करना अपेक्षित था। क्रेडिट की सूचना प्रत्येक संबंधित शाखा पोस्टमास्टर को भेजी जानी थी।

अभिलेखों की हमारी संवीक्षा ने प्रकट किया कि सात परिमण्डलों<sup>20</sup> में नरेगस खातों के संबंध में खाता बहियों का या तो अनुरक्षण नहीं किया गया था या फिर अद्यतन नहीं किया गया था। कुछ उ.पा. तथा मु.डा.घ.<sup>21</sup> ने स्टाफ की कमी को इस परिस्थिति हेतु एक मुख्य कारण के रूप में जिम्मेदार माना। तथापि, पाँच परिमण्डल कार्यालयों<sup>22</sup> ने उत्तर दिया कि डाटा प्रविष्टि कार्य प्रगति में था तथा जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा।

नरेगस खाते के खाता-बही के अनुरक्षण तथा अद्यतन में बकया कार्य के कारण आश्वस्त नहीं हैं चूंकि डा.वि. ने नरेगस योजना के अंतर्गत हर परिमंडल/मु.डा.घ. निधि को प्रशासनिक व्यय के लिए दिए गए थे। यह निधि स्पष्ट रूप से डाटा प्रविष्टि कार्य तथा आवश्यक श्रमशक्ति के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी। आगे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्राप्त/संवितरण वेतन निधियों को समय पर उचित रूप से दर्ज कराने के लिए, खाता-बही में अनुरक्षण एवं डाटा का अद्यतन आवश्यक था।

प्रा.सं.प्र. की धारा 8.1 के अनुसार, स्कीम के अंतर्गत जमा राशि, अन्य डा.घ.ब.बैं. खातों पर लागू होने वाला ब्याज समय-समय पर अर्जित कर सकती है। 'नरेगस श्रमिक खाते' अन्य बचत खातों पर लागू होने वाला ब्याज अर्जित करने के पात्र हैं। कर्नाटक एवं छत्तीसगढ़ परिमण्डलों में देखा गया था कि, खाता बही के अधूरेपन के परिणामस्वरूप श्रमिकों के बैंक खातों में ब्याज जमा नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ परिमंडल में वेतन खातों में ब्याज जमा करवाने का कार्य तीन वर्षों से अधूरा था नामतः 2008-09 से 2010-11 कर्नाटक परिमंडल के मु.डा.घ. कोप्पल में, 31 मार्च 2011 तक के 260 लाख के अंतशेष पर 184091 खातों में ब्याज जमा नहीं किए गए थे। यद्यपि दूसरे

<sup>20</sup> आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल

<sup>21</sup> मु.डा.घ.- बारडोली, सूरी तथा बारासत; उ.पो.मा.-जमानकीरा, इक्खोदा, असीफाबाद, इंदरवैली तथा चैन्नूर

<sup>22</sup> छत्तीसगढ़, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक तथा उड़ीसा

परिमण्डलों/मु.डा.घ. के डाकघरों के हमारे द्वारा कराई गई नमूना जाँच में ऐसा कोई उदाहरण हमारे दृष्टि में नहीं आया, सभी परिमण्डलों में स्कीमों की सामान्यतः खराब मॉनिटरिंग के मद्देनजर, ऐसी अनियमितता की अन्य स्थानों में उपस्थिति को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता।

कर्नाटक तथा छत्तीसगढ़ परिमण्डलों के मु.म.डा.पा. ने आश्वस्त किया कि उपचारी कार्यवाही की जाएगी। मंत्रालय ने अपने जवाब में यह कहा कि कर्नाटक परिमण्डल में ब्याज की गड़ना प्रक्रिया में है।

#### **2.2.7.4 वेतन सूची की अपूर्ण और जीरोक्स प्रतियों में अनियमित भुगतान**

बाड़दोली एच.पी.ओ. गुजरात और अन्य तीन एच.पी.ओ.<sup>23</sup> जो कि कर्नाटक परिमंडल से है उनके नमूना जांच के रिकार्ड जो शा.पा. और उ.डा.घ. के थे वे बताते हैं कि प्राप्त 145 वेतन सूची की जीरोक्स प्रतियों के आधार पर 95.21 लाख रू. का वेतन बांटा गया था इनमें अनुक्रमांक संख्या, राज्य सरकार प्राधिकरण के हस्ताक्षर या मोहर नहीं थे।

कर्नाटक परिमंडल सी.पी.एम.जी. ने उत्तर दिया है कि पूर्ण पूछताछ के पश्चात, सम्बन्धित मंडलीय अध्यक्षों को निर्देश दिये गये कि वह खामियों के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करे व नरेगस गतिविधियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये उपचारी कार्रवाई करे। मंत्रालय ने सी.पी.एम.जी. कर्नाटक डाक परिमंडल द्वारा दिये गये आश्वासन को पुनः दोहराया था।

वेतन के संवितरण में आवश्यक छानबीन की कमी ने असमर्थ व्यक्तियों को वेतन देने और कपटपूर्ण प्रवृत्ति को बढ़ाया है। योजनाओं की देखरेख में कमी स्वयं में साक्ष्य है।

#### **2.2.7.5 आंकड़ों के संकलन में गलती**

मॉडल प्रचालन कार्यपद्धति (मा.प्र.का.) ने आवधिक विवरण जो कि विभिन्न प्रकार के आंकड़ों से युक्त है जैसे कि डाक घर में बचत खाता/खातों के क्रेडिट/जमा तथा आहरण के लिए अनुमत है और डाक लेखा कार्यालयों में जमा रजिस्टर देख रेख तथा एच.पी.ओ. और उनके उच्च प्राधिकारियों के लिये प्रस्तुतिकरण में है, की तैयारी अनुबद्ध की थी।

<sup>23</sup> कोलार, गुलबर्ग तथा चित्रदुर्ग

तीनों परिमंडलों<sup>24</sup> की रिकार्ड की नमूना जांच दर्शाती है कि यह निर्देश बड़े पैमाने पर अनदेखे किये गये जिससे कि बिना समाधान के आंकड़ों से संबंधित परिमंडलों तथा राज्य सरकारों में भी विभिन्न डाक घरों के सामने आये इनका नीचे विवरण दिया गया है:

- कर्नाटक परिमंडल में जमा किये वेतन के आंकड़े और बांटने वाले वेतन के आंकड़े जो सी.पी.एम.जी. ऑफिस और कार्यालय निदेशक लेखा डाक (डी.ए.पी.) द्वारा दिये गये वे एक जैसे नहीं थे। 2008 से 2011 की अवधि में चार<sup>25</sup> एच.पी.ओ. में जो वेतन जमा किये और निकाले गये जैसा कि रिकार्ड में सी.पी.एम.जी. दर्शाते हैं, वे डी.ए.पी. द्वारा बुक किये गये आंकड़ों से क्रमशः ₹ 4696.60 लाख और ₹ 3954.62 लाख ज्यादा थे। सी.पी.एम.जी. कर्नाटक परिमंडल ने बताया कि नरेगस के लिये विशेष तरह के एस.बी. खातों (मजदूरों के वेतन खाते) को प्रारम्भ करने से पूर्व नरेगस के लाभार्थियों के नाम पर सामान्य एस.बी. खाते खोले गये थे जिसके कारण आंकड़ों में अंतर आया है।
- छत्तीसगढ़ परिमंडल के दो पोस्टल भागों<sup>26</sup> में जो वेतन अप्रैल 2008 से अक्टूबर 2010 तक बिलासपुर और रायपुर भागों में बांटे गये थे उनमें क्रमशः ₹ 7360.72 लाख और ₹ 1374.77 लाख कम दर्शाये गये, इस राशि को राज्य सरकार के आंकड़ों में बांटी गई राशि की अपेक्षा कम दर्शाया गया। विसंगति इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि नरेगस खाते में क्रेडिट वेतन राशि के आंकड़े देने के बजाय इसने केवल मजदूरों द्वारा नरेगस खाते से संवितरित वेतन के रूप में आहरण दर्शाया था जोकि स्पष्ट तौर पर गलत था।
- आंध्र प्रदेश के पोस्टल परिमंडल में, मजदूरों द्वारा जो वेतन वर्ष 2008-09 और 2010-11 में निकाला गया वह ₹ 23.52 करोड़ ज्यादा था और यह ₹ 2.56 करोड़ उस राशि से अधिक थे जो कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जमा की गई थी। सी.पी.एम.जी. छत्तीसगढ़ और सी.पी.एम.जी. आंध्र प्रदेश परिमंडल ने उन कारणों को स्पष्ट नहीं किया जो विसंगति को दर्शाते हैं सिवाय यह कहने के अलावा कि संचय पोस्ट सॉफ्टवेयर अभी शुरू होने वाला था।

उनके जवाब में मंत्रालय ने बताया है कि सभी आवश्यक अनुदेश सभी परिमंडलों को भेजे गये थे जिससे कि पी.ओ.एस.बी. के नियमों का कड़ाई से अनुपालन हो जिससे

<sup>24</sup> आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा कर्नाटक

<sup>25</sup> चित्रदुर्गा, गुलबर्गा, कोलार तथा कोप्पल

<sup>26</sup> विलासपुर तथा रायपुर मंडल

कि लेजर में मजदूरों के खाते खोलने, प्रचालन व अनुरक्षण में प्रणालीगत विफलता को रोका जा सके।

ऊपर दिये गये उदाहरण साफ तौर पर दर्शाते हैं कि आँकड़ों के संकलन में कमी विभाग के सभी भागों में व्याप्त है। यहां तक कि जो आंकड़े डी.ओ.पी. हेडक्वार्टर्स से इकट्ठे किये गये हैं, दर्शाते हैं कि आंकड़ों के संकलन में त्रुटियां थी। इसके अतिरिक्त डी.ओ.पी. के फील्ड आफिसों में आंकड़ों के संकलन शुरू से ही गलत थे क्योंकि परिमंडल कार्यालय नरेगस खातों से मजदूरों द्वारा वास्तविक आहरण में विभेदन करने में सामान्यतः असमर्थ थे तथा नरेगस खाते में वेतन की जमा राशि की अनदेखी करते हुए उसे मजदूरों को वितरित वेतन के रूप में माना। जनवरी 2011 में इस बात की पुष्टि डी.ओ.पी. मुख्यालय द्वारा किये जाने के बाद स्पष्ट हुआ कि जमा राशि नरेगस मजदूरों के खाते में बांटे हुए वेतन की तरह मानी गई थी।

### **2.2.8 सम्भाले गये रोकड़ के लिये आन्तरिक नियंत्रण व सुरक्षा**

नरेगस की स्कीम लागू करने के कारण कई नकद आहरण लेने देन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ये लेन-देन बी.ओ. स्तर पर बचत में डाक लेन-देन की सामान्य मात्रा के अतिरिक्त थे। हिस्से पोस्टल प्राधिकारियों के लिए आवश्यक हो गया कि वे बेहतर सुरक्षा के इंतजाम करें ताकि नकदी को सुरक्षित परिवहन और अभिरक्षण द्वारा सम्भाला जा सके।

आंतरिक नियंत्रण और सुरक्षा के इंतजाम से संबंधित निम्नलिखित कमियां डाक कार्यालयों की जांच परीक्षा के पश्चात देखी गईं।

#### **2.2.8.1 उप डाकपाल से संस्वीकृति के बिना शाखा डाकपालों द्वारा अनुमत संस्वीकृत सीमा से अधिक आहरण**

डा.वि. मुख्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार समय-समय पर 9 फरवरी 2010 तक शाखा डाकपालों को प्रत्येक अवसर पर नरेगस के खाते से अधिक से अधिक ₹ 2000 प्रत्येक खाते से और उसके बाद ₹ 5000 प्रत्येक खाते पर प्रत्येक अवसर पर निकाल सकते थे। उपर्युक्त कथित सीमा से अधिक आहरण किये जाने के लिये आवश्यक था कि उस विषय से जुड़े हुए उप डाकपाल से अनुमति लेकर मंजूरी ली जाये।

तथापि, तीन परिमंडल<sup>27</sup> के चार उप डाकपाल कार्यालयों में यह देखा गया कि शाखा डाकपालों द्वारा आहरण की अनुमति दी गई थी जो कि एस.पी.एम. की संस्वीकृति के बिना थी।

परिमंडल कार्यालयों<sup>28</sup> ने बताया की नरेगा खातों से आहरण अनुमत करते समय निर्धारित कार्यविधि का पालन करने के लिये अनुदेश अब जारी किये गये थे। मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया कि परिमंडलों को नियमों का कड़ाई से पालन करने हेतु आवश्यक अनुदेश जारी किये गये थे।

नियमों के अनुपालन न करने की वजह से कपटपूर्ण भुगतान का खतरा बढ़ा था। कपट का एक उदाहरण आंध्र प्रदेश परिमंडल का लेखापरीक्षा करते समय पाया गया जहां एक शाखा डाकपाल ने 187 खातों में 326 झूठे आहरण होने दिये थे जिनमें प्रत्येक की राशि ₹ 3200 थी।

### **2.2.8.2 उप कार्यालयों से शाखा कार्यालयों को रोकड़ ले जाने के लिये सुरक्षा के अनुचित उपाय**

नरेगस श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान की सुविधा के उद्देश्य के लिए डा.वि. द्वारा अगस्त 2008 से डायनामिक लाइन लिमिटेड<sup>29</sup> की शुरुआत की गई थी। इसने डाकघरों में पहले से रोकड़ संभालने के स्तर को और भी बढ़ा दिया।

छ: परिमंडलों<sup>30</sup> में यह देखा गया कि शाखा डाकपाल बिना कोई सुरक्षा लिए, अपने जोखिम पर, बड़ी मात्रा में रोकड़ उप डाकघरों से ले जा रहे थे। सुरक्षा उपायों में कमी के चलते कर्नाटक परिमंडल के दो डाकघरों<sup>31</sup> में लूट/चोरी की घटनाएं हुई जिसमें ₹ 5.68 लाख के मामले शामिल थे।

चार परिमंडल कार्यालयों<sup>32</sup> ने उत्तर दिया कि रोकड़ ले जाने के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मंडल के मुखियों को निर्देश जारी कर दिये जायेंगे।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा कि मु.डा.घ. से भारी मात्रा में रोकड़ ले जाने के लिए पुलिस गार्ड के उपाय किये गये थे तथा रोकड़ ले जाने एवं डाकघरों की सुरक्षा के लिए होमगार्ड की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा था।

<sup>27</sup> कर्नाटक, गुजरात तथा उड़ीसा

<sup>28</sup> कर्नाटक, गुजरात तथा उड़ीसा

<sup>29</sup> डाक कार्यालयों के बीच नकदी के परिवहन के लिए निर्धारित सीमा

<sup>30</sup> आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल

<sup>31</sup> शा.का. बल्ला एवं एस.ओ. बेळ

<sup>32</sup> आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात तथा कर्नाटक

## निष्कर्ष

डाक नेटवर्क के माध्यम से नरेगा के अंतर्गत मजदूरी भुगतान की योजना का कार्यान्वयन सफल रहा जैसा कि तथ्यों से सिद्ध होता है कि 2008-11 की अवधि के दौरान नरेगा मजदूरी के भुगतान के खातों की संख्या तीन करोड़ से बढ़कर लगभग पाँच करोड़ हो गई। वितरित (आहरण) की गई राशि भी ₹ 3863 करोड़ से बढ़कर ₹ 9179 करोड़ हो गई। तथापि, 2010-11 में डा.वि. के पास श्रमिकों के खातों में बिना भुगतान पड़ी राशि ₹ 4284 करोड़ उल्लेखनीय रूप से अधिक थी जो राज्य सरकारों से प्राप्त निधियों की 32 प्रतिशत थी। आठ परिमण्डलों के 19 मु.डा.घ. में, 31 मार्च 2011 को राज्य सरकारों के जिला कार्यक्रम समन्वयक से आवश्यक प्राप्य एक बार जमा प्राप्त नहीं हुए थे तथा इसमें ₹ 1920 लाख तक कमी थी। कमी दर्शाती थी कि तीन परिमण्डलों के अधीन आठ मु.डा.घ. में जि.का.सं. द्वारा ओ.टी.डी. नहीं किया गया था तथा दो परिमण्डलों के अधीन पांच मु.डा.घ. में यह लगभग 50 प्रतिशत या उससे अधिक था। एम.ओ.पी. तथा पी.ओ.एस.बी. के अन्तर्गत खाता खोलने के लिए प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था जैसा कि नमूना जांच में बड़ी संख्या में पाया गया जैसाकि रोकड़ को लाने- ले जाने/अभिरक्षा के लिए अपर्याप्त सुरक्षा उपायों के अतिरिक्त ऐसे प्रमाण जहां डाकघरों ने बिना फार्म एस.बी.-3 के सत्यापन किये खाते खोले, लेजरों में अपूर्ण प्रविष्टियां, ब्याज जमा न करना तथा अनपढ़ मजदूरों को बायें हाथ के अंगूठे की छाप के बिना सत्यापन के मजदूरी का भुगतान, ओ.टी.डी. प्राप्त नहीं करना तथा समय-समय पर समीक्षा न करना, वेतन वितरण में विलम्ब अथवा वेतन चैकों को समय पर जमा न करना, डेटा समेकन में त्रुटि आदि जिनमें डाक नेटवर्क के माध्यम से नरेगा के प्रचालन के कारण बढ़ोतरी हुई। अधिकतर अनियमितताएं खराब देखभाल तथा अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण के कारण देखी गईं।

## अनुशंसाएं

- डा.वि को चाहिए कि वह एक ओर तो ग्रा.वि.मं. के साथ तथा दूसरी ओर राज्य सरकारों के साथ पहले से अधिक प्रभावपूर्ण तरीके से समन्वय करे ताकि पहले से किया गया स.ज्ञा. पूरी तरह प्रचालित किया जा सके।
- मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी भुगतान के मानीटरिंग को नियमित, व्यापक व प्रभावी किये जाने की आवश्यकता है। इसे डा.वि. रिजल्ट फ्रेम वर्क डोक्यूमेंट का एक भाग बनाया जाये।
- डाकघरों के माध्यम से मनरेगा के अंतर्गत वेतन संवितरण पर आन्तरिक नियंत्रण की समीक्षा एवं मजबूती प्रदान किये जाने की आवश्यकता है।



- स.ज्ञा. के क्रियान्वयन में लापरवाही के लिये उत्तरदायी सभी कर्मचारियों के प्रति उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।
- सभी राज्य सरकारों के साथ स.ज्ञा. करने के लिये प्रयास किये जायें।

### 2.3 नकद प्रमाणपत्रों, टिकटों एवं डाक लेखन सामग्री का भण्डारण

मांग व पूर्वानुमान के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में विभाग की विफलता तथा खराब आंतरिक नियंत्रण तंत्र के कारण रोकड़ प्रमाणपत्रों, डाक टिकटों व डाक लेखन सामग्री का वास्तव में अधिक भण्डारण होने के फलस्वरूप इन मूल्यवान वस्तुओं के दुरुपयोग/चोरी व नुकसान का खतरा हो गया था।

डाक वस्तुएं उदाहरणार्थ: डाक टिकट व डाक लेखन सामग्री की बिक्री सारे देश में व्याप्त डाकघरों के माध्यम से की जाती है। डाक विभाग (डा.वि.) डाकघरों के माध्यम से नकद प्रमाणपत्रों की बिक्री के लिए वित्त मंत्रालय (वि.मं.) की ओर से एक एजेंसी का भी कार्य करता है। इसके लिए वि.मं. समय-समय पर नियत दरों पर डाक विभाग को पारिश्रमिक देता है।

नकद प्रमाणपत्र (न.प्र.) डाक टिकट व अन्य डाक सामग्री इंडिया सिक्क्योरिटी प्रैस (आई.एस.पी.) नासिक तथा सिक्क्योरिटी प्रिंटिंग प्रैस (एस.पी.पी.) हैदराबाद में मुद्रित किए जाते हैं और 22 डाक परिमण्डलों में सर्कल स्टैम्प डिपो (सी.एस.डी.) को आपूर्त किये जाते हैं। सी.एस.डी. से अपेक्षा की जाती है कि वह आई.एस.पी. नासिक/एस.पी.पी. हैदराबाद को नकद प्रमाणपत्रों के लिये छमाही अग्रिम मांग पत्र तथा डाक टिकटों के मुद्रण हेतु तिमाही अग्रिम मांगपत्र भेजें। यह मांगपत्र मु.डा.घ की अपनी व उनके अपने क्षेत्राधिकार में उ.डा.घ. की आवश्यकता के आधार पर हो।

प्रत्येक परिमण्डल के अंतर्गत 20 प्रतिशत मु.डा.घ. का आच्छादन करते हुए यादृच्छिक रूप से चयनित सात डाक परिमण्डलों में सी.एस.डी. व मुख्य डाक घर के अभिलेखों की हमारी संवीक्षा (जून 2011 से अगस्त 2011) ने उजागर किया कि नकद प्रमाणपत्रों, डाक टिकटों, डाक लेखन सामग्री का अधिक स्टॉक विभाग में अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण तंत्र सहित विभिन्न कमियां थी जैसा कि नीचे वर्णित है:

#### 2.3.1 सर्कल स्टैम्प डिपो (सी.एस.डी.) व मुख्य डाकघरों (मु.डा.घ.) में नकद प्रमाणपत्रों का अधिक भण्डारण होना

डाकघर बचत बैंक (पी.ओ.एस.बी.) नियम पुस्तिका खण्ड 2 अनुबद्ध करती है कि नकद प्रमाणपत्रों अर्थात् राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों/किसान विकास पत्रों (रा.ब.प./कि.वि.प.) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तिमाही मांग पत्र मु.डा.घ. द्वारा सी.एस.डी. को

पहली जून, सितम्बर, दिसम्बर तथा मार्च को प्रस्तुत किये जायेंगे। मु.डा.घ. द्वारा सी.एस.डी. को दी जाने वाली सूचना में अपेक्षित प्रमाणपत्रों के प्रकार, उनका मूल्य वर्ग, पिछली तिमाही में बेचे गये प्रमाणपत्रों की संख्या, बकाया, अपेक्षित प्रमाणपत्रों की संख्या तथा पिछली तिमाही तथा बकाया में बेचे गये प्रमाणपत्रों से अधिक की मांग के कारण शामिल किये जायेंगे। बदले में, सी.एस.डी. से अपेक्षित है कि वह देय तिथि को आई.एस.पी. नासिक के लिए नकद प्रमाणपत्रों के मुद्रण हेतु छमाही अग्रिम मांग पत्र भेजें। आवश्यकता का सही मूल्यांकन करने के लिए सी.एस.डी. से अपेक्षित है कि वह प्रिंटिंग प्रैस को सूचना जैसे पूर्व मांग पत्र के समय स्टॉक, तब से अब तक प्राप्त आपूर्त, पूर्व छमाही/तिमाही के दौरान जारी मात्रा, वर्तमान मांग पत्र के प्रस्तुतिकरण की तारीख पर उपलब्ध शेष, पूर्व मांग पत्र के प्रति प्रिंटिंग प्रैस से देय मात्रा तथा निर्धारित प्रपत्र में अगली छमाही के लिए अपेक्षित मात्रा भेजें। यह सुनिश्चित किये जाने में सबसे अधिक सावधानी अपेक्षित है कि डाकघरों में अत्यधिक स्टॉक नहीं रखा जाए ताकि इस प्रकार की मूल्यवान लेखन सामग्री में किसी प्रकार की चोरी, दुरुपयोग या नुकसान की संभावना का निवारण किया जा सके।

सात परिमण्डलों में नमूना जांचित मु.डा.घ. और सी.एस.डी. के अभिलेखों की हमारी संवीक्षा ने उजागर किया कि नकद प्रमाणपत्रों के संबंध में मांग पत्र दिया गया था जिनमें अपेक्षित कार्यपद्धति का पालन नहीं किया गया जिसका परिणाम 31 मार्च 2011 को नमूना जांचित सी.एस.डी. व मु.डा.घ. में ₹ 3840.66 करोड़ के अंकित मूल्य के नकद प्रमाणपत्रों का अधिक स्टॉक में हुआ जैसा कि **अनुबंध-V** में दर्शाया गया है। यह भी देखा गया था कि हाथ में पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद भी पिछले खपत पद्धति को ध्यान में न रखते हुए सी.एस.डी. दिल्ली, केरल, तमिलनाडु व उत्तर प्रदेश द्वारा मांग पत्र दिये गये थे।

हमारे द्वारा यह इंगित किये जाने पर, तमिलनाडु व महाराष्ट्र परिमंडलों में सी.एस.डी. ने तथ्य तथा आंकड़े स्वीकार किये, सी.एस.डी. कानपुर ने बताया कि वि.प. तथा रा.ब.प्र. का अधिक स्टॉक प्रिंटिंग प्रैस द्वारा अनियमित आपूर्ति के कारण था, सी.एस.डी. लखनऊ ने बताया कि डाक निदेशालय द्वारा अधिशेष स्टॉक के आबंटन के कारण अधिक स्टॉक था; सी.एस.डी. लुधियाना ने बताया स्टॉक में रखे हुए ₹ 5000/- के खाली रा.ब.प्र. का तब तक कोई (मूलभूत) आंतरिक मूल्य नहीं है जब तक कि इनको वास्तव में जारी नहीं किया जाता है। चयनित मु.डा.घ. के डाकपालों ने तथ्य स्वीकार किये थे और बताया था कि शोधक कार्यवाही की जायेगी और भविष्य में निर्धारित कार्यपद्धति के अनुसार मांग पत्र दिये जायेंगे।

सी.एस.डी. लुधियाना का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि आंतरिक (मूलभूत) मूल्य न होने के बावजूद कपटपूर्ण भुनाये जाने से खाली प्रमाणपत्रों के दुरुपयोग की संभावना बनी हुई थी क्योंकि बिहार परिमंडल में एक प्रकरण की रिपोर्ट से यह बताया गया था। उस प्रकरण में ₹ 1.25 करोड़ मूल्य के खाली प्रमाणपत्र पारगमन में गुम हो गये थे, कपटपूर्ण तरीके से जारी किये गये और मुंगेर मु.डा.घ. के अंतर्गत उप डाकपाल द्वारा भुनाये गये थे। सी.एस.डी. कानपुर का उत्तर भी स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभागीय नियम स्पष्ट तौर पर बताते हैं कि वर्तमान मांग पत्र देते समय पूर्व मांग पत्र के प्रति मुद्रण प्रैस से देय मात्रा को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

इस प्रकार, नकद प्रमाणपत्र के लिए मांग पत्र देने से पहले निर्धारित कार्यपद्धति का सावधानी पालन करने हेतु सी.एस.डी. व मु.डा.घ. में चूक हो गई थी जैसा कि उपरोक्त में चर्चा की गई और पर्यवेक्षण स्तर पर स्टॉक स्थिति की मानीटरिंग न करने के कारण सी.एस.डी. व मु.डा.घ. में ₹ 3840.66 करोड़ के अंकित मूल्य के नकद प्रमाणपत्रों का अधिक स्टॉक हो गया था। वृहत स्तर पर नकद प्रमाणपत्रों के अधिक स्टॉक होने से एक समय में नुकसान/चोरी के अतिरिक्त बेईमान या अनैतिक तत्वों द्वारा दुरुपयोग का खतरा था।

### **2.3.1.1 डाक लेखा कार्यालयों को बिना बेचे नकद प्रमाणपत्र के विवरण का गैर प्रस्तुतीकरण**

डाक घर बचत प्रमाणपत्र नियमावली प्रावधान करती है कि हस्तलिपि में एक नकद प्रमाणपत्रों की कुल संख्या सहित प्रत्येक मूल्य वर्ग के पहले व अंतिम क्रम संख्या के साथ और प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को बिना बिके रह गये प्रत्येक भिन्न श्रृंखला के साथ नकद प्रमाणपत्रों का स्टॉक करके सभी डाकघरों द्वारा तैयार किया जायेगा। क्रमांक को लिखते समय पूरी स्टीकता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जो विभिन्न पत्र पहले से तैयार हैं ऐसे क्रमांक के खाते को न छोड़ा जाए। एक प्रमाणपत्र भी इस कथन के साथ होना चाहिए जिसमें पोस्टमास्टर के निजी हस्ताक्षर और दिनांक हो और जो यह स्पष्ट करे कि स्टाक रजिस्टर के अनुसार बकाया हाथ में बकाया से सत्यापित किया गया और सही पाया गया। मु.डा.घ. यह जाँच करे कि जो विवरण मु.डा.घ. से मिला है उसे कार्यालय में रखे गये रजिस्टर जिसका अनुरक्षण इस प्रयोजन हेतु किया गया है, से जांच करें और उसे डाक लेखा कार्यालय को इसके अपने स्वयं के कथन के साथ आवश्यक रूप से प्रत्येक वर्ष की 30 अप्रैल तक भेजा जाए।

हमारी संवीक्षा ने उजागर किया कि बिना बिके नकद प्रमाणपत्र का विवरण मु.डा.घ. वाराणसी कैंट द्वारा निदेशक लेखा (डाक) लखनऊ (डी.ए.पी.) को नहीं भेजा गया था।

यदि उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया सावधानीपूर्वक अनुसरित की जाती तो वर्ष 1996 से वर्ष 2004 के दौरान ₹ 9.01 करोड़ कि वि.प./रा.ब.प्र. को कपटपूर्ण भुनाये जाने से रोका जा सकता था।

कार्यालय निदेशक लेखा (डाक) लखनऊ ने बताया कि प्रकरण में आंतरिक पूछताछ प्रक्रिया में थी। यदि डी.ए.पी. लखनऊ ने मु.डा.घ. वाराणसी कैंन्ट से बिना बेचे प्रमाणपत्रों के विवरण की प्राप्ति सुनिश्चित की होती जैसा कि विभागीय नियमावली में दिया गया था, तथा डी.ए.पी. लखनऊ में रा.ब.प्र./कि.वि.प. के निर्गम व उन्मोचन रजिस्टर के साथ समाधान किया गया होता तो इस प्रकार के कपटपूर्ण भुनाने को सम्भवतः रोका जा सकता था।

इसके अतिरिक्त 2008-11 की अवधि के लिए छः डाक परिमण्डलों के 55 मु.डा.घ. में हमारे द्वारा की गई नमूना जाँच में यह प्रकट हुआ कि निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित डाक लेखा कार्यालयों को 33 मु.डा.घ. ने अबिक्रीत प्रमाणपत्रों के विवरण प्रस्तुत नहीं किये थे। यह इंगित करता है कि डाक विभाग की जानकारी में कपटपूर्ण भुनाने के प्रकरण के बावजूद भी, मु.डा.घ. में तथा डाक लेखा कार्यालयों में अबिक्रीत प्रमाणपत्रों के विवरण की समय पर प्रस्तुति और समाधान को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण की सुदृढ़ता के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाये गये।

### **2.3.1.2 परिमंडलीय स्टाम्प डिपों में डाक टिकटों व डाक लेखन सामग्री का अधिक भण्डारण**

“टिकट” में डाक टिकटें, गैर-डाक टिकटें, लिफाफे और पोस्टकार्ड तथा “डाक टिकट” में डाक लेखन-सामग्री शामिल है। अधिकतम अधिकृत नकद शेष के अलावा प्रत्येक डाक कार्यालय को डाक टिकट का प्राधिकारियों द्वारा तय एक स्टाक रखना होता है। मु.डा.घ. को सी.एस.डी. से डाक टिकटों की प्राप्ति अपेक्षित है, जो उनके अधिकतम अधिकृत डाक टिकट बकाया से अधिक न हो। इसके बदले में सी.एस.डी. को डाक टिकटों के अनुमानित त्रैमासिक उपयोग को पूरा करने के लिए त्रैमासिक मांग पत्र को आई.एस.पी. नासिक/एस.पी.पी. हैदराबाद को जमा करना अपेक्षित है।

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और केरल परिमण्डल में स्थापित सी.एस.डी. के अभिलेखों की नमूना जांच ने उजागर किया कि सी.एस.डी. ने डाक टिकटों और डाक लेखन-सामग्री की मांग निर्धारित मांग प्रक्रिया का पालन किये बिना की है। इन मदों के लिए आदेश, शेष स्टॉक तथा पिछली तिमाही की उपयोग पद्धति को ध्यान में रखे बगैर दिया गया था। इसका परिणाम 31 मार्च 2011 को ₹ 498.52 करोड़ के अंकित मूल्य की

डाक लेखन-सामग्री तथा डाक टिकटों के अधिक संग्रहण में हुआ जैसा कि **अनुबंध-VI** में दर्शाया गया है। यह भी पाया गया कि पर्याप्त शेष स्टॉक होने के बावजूद भी सी.एस.डी. द्वारा वास्तविक मांग का विश्लेषण किए बिना डाक टिकटों तथा डाक लेखन-सामग्री हेतु मांग पत्र प्रस्तुत किए थे।

लखनऊ तथा कानपुर के सी.एस.डी. ने तथ्यों को स्वीकार किया। उन्होंने यह भी बताया कि मांग पत्र बढ़े हुए मांग के आधार पर दिए गए थे तथा डाक निदेशालय से इन डाक टिकटों को दूसरे सी.एस.डी. को दिए जाने हेतु आग्रह भी किया गया था। लुधियाना के सी.एस.डी. ने बताया कि 2008 तथा 2009 के दौरान परिमण्डल में डाक टिकटों की बहुत कमी थी तथा इन अवधियों के मांग पत्रों की प्राप्ति 2010 में हुई थी जिसके कारण डाक टिकटों का अधिक भण्डारण हुआ।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 2008 तथा 2009 में दिए गए मांग पत्रों के प्रति पहली खेप स्वीकार करने से पहले सी.एस.डी. को आई.एस.पी. नासिक/एस.पी.पी. हैदराबाद से आपूर्ति की गई सामग्री तथा डाक टिकटों तथा डाक लेखन सामग्री के संबंध में वर्तमान उपभोग पद्धति को ध्यान में रखना चाहिए था। चूंकि डाक टिकटों को बिक्री हेतु किसी प्राधिकार की आवश्यकता नहीं होती इसलिए उनका अधिक भण्डारण विभाग से अनैतिक तत्वों द्वारा डाक टिकटों/डाक लेखन-सामग्री की कपटपूर्ण बिक्री के जोखिम में डालता है।

मामले को फरवरी 2012 में डा.वि. को भेजा गया था। उनका उत्तर जून 2012 तक प्रतीक्षित था।

#### 2.4 ब्याज का अनियमित भुगतान

**छः परिमण्डलों में डाकघरों ने लोक भविष्य निधि योजना (पी.पी.एफ.) से संबंधित प्रावधानों का सावधानीपूर्वक पालन नहीं किया परिणामस्वरूप अभिदाताओं को ₹ 2.26 करोड़ के ब्याज का अनियमित भुगतान हुआ।**

विभागीय नियमावली में व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति लोक भविष्य निधि (पी.पी.एफ.) में अपनी ओर से अथवा अवयस्क, जिसका वह संरक्षक है, की ओर से इस शर्त पर अंशदान कर सकता है कि सभी खातों में कुल मिलाकर जमा एक वर्ष में ₹ 70,000<sup>33</sup> से अधिक नहीं होना चाहिये। सीमा के अतिरिक्त अंशदान अनियमित अंशदान माना जायेगा और अभिदाता को अधिक राशि की प्रतिपूर्ति बिना किसी ब्याज के लौटा दी जायेगी। इसके अतिरिक्त, इस प्रभाव कि घोषणा, कि अभिदाता के पास कोई अन्य

<sup>33</sup> 1/12/2011 से ₹ 1,00,000

पी.पी.एफ. खाता नहीं है तथा अभिदाता पी.पी.एफ. योजना, 1968 के प्रावधानों तथा इसमें समय-समय पर जारी संशोधनों का पालन करने हेतु सहमत है, का खाता खोलने के समय अभिदाता से आवेदन पत्र के साथ का प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। डाक विभाग (डा.वि.) ने स्वयं प्रारम्भिक अवस्था में, पी.पी.एफ. योजना के अंतर्गत जमाकर्ताओं द्वारा अनियमित रूप से खोले गए खातों को शीघ्र चिन्हित करने के आदेश जारी किये थे (मई 2004)।

विभागीय नियमावली में यह भी अनुबद्ध किया गया था कि अभिदाता उस वर्ष, जिसमें उसने प्रारम्भिक अंशदान किया था, की समाप्ति से 15 वर्षों की समाप्ति पर परन्तु उससे एक वर्ष की समाप्ति से पहले, एक विकल्प (फार्म एच) का उपयोग कर सकता है कि वह अगले पांच वर्षों की ब्लॉक अवधि के लिए भी अंशदान जारी रखेगा, जिसमें विफल होने पर ये जमा अनियमित जमा माना जायेगा और उस पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जायेगा तथा आई.टी. अधिनियम की धारा 80 सी के अंतर्गत उसे छूट की अनुमति नहीं दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा गुजरात में 28 डाकघरों के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त 2009 से मार्च 2011) से पता चला कि अभिदाताओं द्वारा निर्धारित सीमा (₹ 70,000) से अधिक जमा होना; एक अभिदाता के नाम पर कई खातों का होना तथा खातों की पूर्णता के बाद भी जमा का जारी रहना, के कारण इन पी.पी.एफ. खातों पर ₹ 2.26 करोड़ के ब्याज का गलत भुगतान हुआ (अनुबंध-VII)। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने से पहले तक पी.पी.एफ. प्राधिकारियों द्वारा इन अनियमितताओं का पता नहीं लगाया जा सका था।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किये जाने पर, राजस्थान परिमण्डल के अंतर्गत जयपुर सिटी डाक घर ने ₹ 14.97 लाख वसूल किये। कुछ डाकघरों ने नियमों की जानकारी न होने के कारण अनियमित खाते खोलने की बात स्वीकार की (अनुबंध-VII)। अधिकतर डाकघरों ने बताया कि अभिलेखों के सत्यापन के बाद आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

मामला जनवरी 2012 में मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर मई 2012 तक प्रतीक्षित था।

## 2.5 राजस्व टिकटों के क्रय पर कमीशन की कम कटौती

मुख्य महाडाकपाल, दिल्ली की राज्य सरकार से राजस्व टिकटों के क्रय पर अग्रिम में कमीशन की कटौती करने में विफलता के कारण ₹ 98.36 लाख के राजस्व की कम वसूली हुई।

सभी राजस्व टिकट, न्यायायिक तथा गैर न्यायायिक दोनों ही, जो केन्द्रीय राजस्व के स्रोत हैं नासिक रोड के सिन्धोरिटी प्रैस में मुद्रित किये जाते हैं। इस प्रकार के राजस्व टिकटों का प्रैस मुद्रण एवं प्रसारण प्रैस द्वारा विभिन्न राज्यों की आवश्यकता अनुसार, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों के आधार पर किया जाता है।

डाकघरों के माध्यम से डाक विभाग (डा.वि.) राज्य सरकार की तरफ से लोगों को राजस्व टिकट बेचता है, जिसके लिये निर्धारित दरों पर कमीशन, जोकि समय-समय पर तय किया जाता है, सम्बन्धित राज्य सरकारों से डा.वि. द्वारा प्राप्य होता है। राज्य सरकार कोष से राजस्व टिकट क्रय करते समय, डाकघरों द्वारा अग्रिम में निर्धारित कमीशन काटा जाता है।

वित्त मंत्रालय (वि.मं.) ने राज्य सरकारों से परामर्श करके, डाकघरों के माध्यम से राजस्व टिकट की बिक्री के लिये डा.वि. द्वारा कमीशन की निम्नलिखित दरें प्रभारित किये जाने के लिये तय की थी।

अवधि	कमीशन की दर
01.10.2003 से	3%
01.10.2004 से	6%
01.10.2005 से	10%

डा.वि. ने राजकोष से डाक टिकट क्रय को अनुबद्ध करने के साथ-साथ परिमंडलों/क्षेत्रों/डाक लेखाओं के सभी अध्यक्षों को अनुदेश जारी किये थे (फरवरी 2004), कि मुख्य डाकघरों द्वारा कमीशन, जैसा कि वि.मं. ने निर्णय लिया था, अग्रिम में काटा जायेगा। डा.वि. ने अक्टूबर 2006 में पुनः इन अनुदेशों को दोहराया था, जबकि डाक परिमंडलों को स्पष्ट रूप से सलाह दी गई थी कि वे डाक टिकटों की बिक्री बन्द कर दें यदि राज्य सरकारें उपरोक्त दरों पर कमीशन देने की इच्छुक नहीं है।

गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर पूर्व व पश्चिम बंगाल परिमंडलों में राजस्व टिकटों के क्रय पर डा.वि. के डाक परिमंडलों द्वारा कमीशन की कटौती न किए जाने के संबंध में 2011-12 की प्रतिवेदन संख्या 16, अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां (सिविल) के पैराग्राफ 4.1 में उल्लेख किया गया था। इस संबंध में मंत्रालय का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (अप्रैल 2012)।

तथापि, दिल्ली डाक परिमंडल में (नवम्बर 2010 - अगस्त 2011) तीन परिमंडलों के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि जनवरी 2011 में उच्चतम स्तर पर डा.वि. के ध्यान में विसंगतियों को लाये जाने तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा

2012-13 की प्रतिवेदन सं.13

प्रतिवेदन में मामले पर टिप्पणी किये जाने के बावजूद भी, इन डाकघरों ने तीन प्रतिशत कमीशन काटकर अक्टूबर 2004 से जून 2011 के दौरान राजस्व टिकटों का क्रय जारी रखा जबकि 1 अक्टूबर 2004 से इसकी वैधता को रोक दिया गया था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप में ₹ 98.36 लाख तक के कमीशन की कम कटौती हुई, जैसाकि नीचे की तालिका में दिखाया गया है:

(₹ लाख में)

मु.डा.घ. का नाम	राजस्व टिकट के क्रय की अवधि	क्रय किये गये राजस्व टिकटों का मूल्य	बकाया वास्तविक कमीशन 1.10.2004 – (6 प्रतिशत) 1.10.2005 – (10 प्रतिशत)	तीन प्रतिशत की दर पर कमीशन में कटौती की गई	कम काटा गया कमीशन
प्र.डा.घ. दिल्ली	अक्टूबर 2005- अक्टूबर 2010	475.69	47.56	14.27	37.54*
मु.डा.घ. पार्लियामेंट स्ट्रीट	मई 2005	25.60	1.54	0.77	0.77
	नवम्बर 2005 से मई 2010	238.40	23.84	7.15	16.69
मु.डा.घ. लोधी रोड	अक्टूबर 2004 से सितम्बर 2005	108.80	6.52	3.26	3.26
	अक्टूबर 2005 से जून 2011	572.80	57.28	17.18	40.10
<b>कुल</b>					<b>98.36</b>

(\* मु.म.डा.पा., दिल्ली के अनुसार राशि ₹ 37.54 लाख है)

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, संबंधित डाकघरों के डाकपालों ने तथ्य तथा आंकड़ों की पुष्टि की। मुख्य महाडाकपाल (मु.म.डा.पा.) दिल्ली परिमंडल ने बताया (जनवरी 2012) कि मामला एन.सी.टी. दिल्ली की सरकार के समक्ष कई बार उठाया गया था। लेकिन कमीशन के संशोधन का मामला अनिर्णीत रहा।

मु.म.डा.पा. दिल्ली का उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गये मामलों का उत्तर नहीं देता है क्योंकि फरवरी 2004 तथा अक्टूबर 2006 में डा.वि. द्वारा जारी अनुदेशों में परिमंडल कार्यालयों को स्पष्ट रूप से सलाह दी गई थी कि वे संशोधित दरों पर कमीशन काटने के लिये मुख्य डाकघरों को सलाह दें।

इस प्रकार, डा.वि. के अनुदेशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में मु.म.डा.पा. दिल्ली की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 98.36 लाख के कमीशन की कटौती हुई।

मामला डा.वि. को जनवरी 2012 में भेजा गया था; उनका उत्तर मई 2012 तक प्रतीक्षित था।



## 2.6 डाक परिसर के निर्माण में विलम्ब के कारण निष्फल व्यय

**1990 में प्राप्त किये प्लॉट पर डाक परिसर का निर्माण करने में डाक विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 64.62 लाख का निष्फल व्यय हुआ।**

डाक विभाग (डा.वि.) ने 1990 में गोवा में डाक भवन के निर्माण के लिए 1970 वर्ग मीटर का एक प्लॉट प्राप्त किया था। यह भूमि गोवा, दमन व दियू लिमिटेड के आर्थिक विकास निगम (ई.डी.सी.) से पट्टा आधार पर प्राप्त की गई थी जिसके लिए ₹ 14.38 लाख का अग्रिम के रूप में भुगतान किया गया था। पट्टा करार में प्रारम्भ करने की तारीख से अथवा प्लॉट पर अधिकार लेने की तारीख से पांच वर्ष के भीतर जो भी पहले सम्भव हो, भवन-निर्माण की पूर्णता निर्धारित की गई थी।

पणजी, गोवा के महाडाकपाल कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2011) से पता चला कि स्थान की अनुसूची (एस.ओ.ए.) में भूमि पर निर्माण के लिए आवश्यक अनुमोदन मांगने की प्रक्रिया को द्रुत गति से प्रारम्भ करने की आवश्यकता थी तथा सितम्बर 1992 में अर्थात् प्लॉट अधिग्रहण के दो वर्षों के बाद यह डाक निदेशालय को भेज दी गई थी। दिसम्बर 1993 में, डाक निदेशालय द्वारा परियोजना को अनुमोदित किया गया था। तथापि, अनुमोदन मांगते समय, निदेशालय को भवन-निर्माण की पूर्णता के लिये पांच वर्ष की समय-सीमा के बारे में नहीं बताया गया था। मु.म.डा.पा. मुम्बई द्वारा इस तथ्य की सूचना डाक निदेशालय को 1997 में विलम्ब से अर्थात् प्लॉट के अधिग्रहण की तारीख के सात वर्षों बाद दी गई थी। फरवरी 1997 में अनुमोदन के लिये निदेशालय को संशोधित एस.ओ.ए. भेजा गया था, मई 1998 में इस पर अनुमोदन दे दिया गया था। यद्यपि जून 1998 में प्रारम्भिक आरेखण के लिये अनुमोदन देते समय, निदेशालय ने वरिष्ठ शिल्पकार मुम्बई को अनुदेश दिया कि वह सिविल विंग द्वारा तैयार किये गये प्रारम्भिक प्राक्कलन प्राप्त करे और इसे अनुमोदन के लिये भेजे। अक्टूबर 1998 में ₹ 5.47 करोड़ का प्रारम्भिक ड्राफ्ट प्राक्कलन निदेशालय को भेजा गया था। तथापि, 2003-04 तक ₹ 3.50 करोड़ की आवश्यक निधि का आवंटन नहीं किया गया था। अक्टूबर 2005 में कार्य के लिये प्रशासनिक अनुमोदन व व्यय की संस्वीकृति ₹ 4.40 करोड़ के लिये जारी की गई थी।

यह भी पाया गया था कि डाक भवन के निर्माण के लिये दिसम्बर 2006 तथा सितम्बर 2009 के बीच नौ बार निविदायें मांगी गई थीं। इन्हें या तो अस्वीकृत कर दिया गया था क्योंकि बोलीदाता अयोग्य थे या एकल निविदा होने के कारण रद्द कर दिया गया था। जनवरी 2006 में संचित नींव कार्य हेतु निविदा आमंत्रण करने की सूचना दी गई थी लेकिन प्रत्युत्तर में प्राप्त बोली अस्वीकार कर दी गई थी क्योंकि निम्नतम निविदा

प्राक्कलित लागत से काफी अधिक थी। मार्च 2006 में संचित नींव कार्य के लिए पुनः निविदा प्रसारित की गई थी और अगस्त 2006 में कार्य दिया गया था। यद्यपि संचित नींव कार्य की पूर्णता की तारीख मार्च 2007 थी। वास्तव में यह जुलाई 2008 में पूरा किया गया था। संवीक्षा से आगे यह भी पता चला कि पांच वर्षों की अनुबद्ध समय-अवधि के भीतर भवन निर्माण के पूरा न होने के कारण डा.वि. को 1995 से 2010 की अवधि के लिये ₹ 40.95 लाख की विस्तार-शुल्क तथा दण्ड तथा मार्च 2008 तक ई.डी.सी. को ₹ 6.99 लाख लाइसेंस नवीनीकरण फीस का भुगतान करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, जून 2011 तक भूमि-किराया के भुगतान पर ₹ 2.30 लाख का व्यय किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, सहायक निदेशक, डाक, म.डा.पा. कार्यालय गोवा ने तथ्यों को स्वीकार करते हुये बताया (अगस्त 2011) कि निर्माण में विलम्ब प्रशासनिक कारणों के कारण आंशिक रूप से तथा निदेशालय द्वारा अपर्याप्त निधि देने के कारण आंशिक रूप से हुआ था। म.डा.पा. गोवा कार्यालय के सहायक निदेशक डाक ने बताया (फरवरी 2012) कि परियोजना के निर्माण के लिये निधि आबंटित नहीं की गई थी। नवम्बर 2011 में सचिव, डा.वि. को इंगित किये जाने पर, उन्होंने निर्माण कार्य में शीघ्रता लाने के लिये प्राधिकारियों से आग्रह किया था।

डा.वि. ने उत्तर दिया (मार्च 2012) कि इस प्रकार की कोई धारा नहीं थी कि मूल पट्टा विलेख में विस्तार-शुल्क की मांग की जाये या कोई दण्ड लगाया जाये, केवल विस्तार-शुल्क के भुगतान पर ई.डी.सी. परिसर के निर्माण के लिये, ई.डी.सी. प्राधिकारियों द्वारा दो विस्तार ई.डी.सी. परिसर के निर्माण के लिये दिये गये थे। भारत संचार निगम लिमिटेड (भा.सं.नि.लि.), एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के सिविल स्कंध के द्वारा भवन का निर्माण किया जा रहा है।

योजना बनाने में विफलता तथा भूमि अधिग्रहण के 15 वर्षों के बाद भी पट्टा भूमि पर डा.वि. द्वारा गोवा में डाक परिसर के निर्माण पर निर्णय करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹ 64.62 लाख का निष्फल व्यय हुआ।

## **दूरसंचार विभाग (दू.वि.)**

### **2.7 दू.वि. के कार्य**

दूरसंचार विभाग (दू.वि.) नीति-निर्माण, निष्पादन समीक्षा, मानीटरिंग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अनुसंधान व विकास तथा विभिन्न शहरों तथा दूरसंचार परिमंडलों में बेसिक, मोबाइल तथा मूल्यवर्द्धित सेवायें उपलब्ध कराने के लिये उत्तरदायी है, जैसा कि भारत सरकार

द्वारा अनुमोदित नीति में है। नई दूरसंचार नीति 1999 के अनुक्रम भारत सरकार ने दू.वि. के सेवा प्रदान के कारण का निगमीकरण करने का निर्णय किया है। तदनुसार, भारत संचार निगम लिमिटेड (भा.सं.नि.लि.) को सरकार की पूर्ण स्वामित्व कम्पनी के रूप में शामिल किया गया था तथा देश में दूरसंचार सेवायें उपलब्ध कराने का कार्य 1 अक्टूबर 2000 से इसे हस्तांतरित कर दिया गया था। दू.वि. दूरसंचार क्षेत्र की वृद्धि व विस्तार के लिये विभिन्न कार्यकलापों को सुगम बनाने के लिये उत्तरदायी है।

### 2.7.1 दू.वि. के मुख्य कार्य

- नीति निर्माण, लाइसेंसिंग, तार, दूरभाष, बेतार, डाटा, फ़ैकसिमिलि तथा टेलीमैटिक्स सेवाओं से सम्बद्ध समन्वय मामलों और संचार के अन्य प्रकार
- सार्वभौमिक बाध्यता निधि का प्रशासन
- दूरसंचार से सम्बद्ध मामलों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग इसमें सभी सम्बद्ध निकायों से सम्बन्धित मामले जैसे अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इसका रेडियो रेगुलेशन बोर्ड, रेडियो कम्यूनिकेशन क्षेत्र, दूरसंचार मानकीकरण क्षेत्र, विकास क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार सैटेलाइट संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय मोबाइल सैटेलाइट संगठन, एशिया पैसिफिक दूरसंचार शामिल है।
- दूरसंचार में मानकीकरण, अनुसंधान व विकास को बढ़ावा देना।
- दूरसंचार में निजी निवेश को बढ़ावा देना।

पिछले तीन वर्षों के लिये दू.वि. का राजस्व और व्यय नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व	व्यय
2008-09	12997.80	1685.00
2009-10	15879.49	5314.97
2010-11	120547.63	3421.00

### 2.7.2 भारत में दूरसंचार परिदृश्य

नई दूरसंचार नीति 1999 में उदारता शुरू हो जाने के बाद से भारतीय दूरसंचार क्षेत्र अतिविस्तृत हो गया है। दूरसंचार क्षेत्र ने विगत कुछ वर्षों में बेतार खंड में विशेषतः पर घातांक वृद्धि की गवाही दी और बिजली, सड़क, पानी आदि जैसी मूलभूत अवसंरचना को विकसित किया है। इसके अतिरिक्त यह देश की समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये अपेक्षित आर्थिक वृद्धि के महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभरा है।

पिछले पांच वर्षों 2006-07 से 2010-11 के दौरान दूरसंचार क्षेत्र प्रभावकारी वृद्धि जारी रखी और नीचे की तालिका में विवरण दिये गये हैं। अवधि के दौरान दूरभाष अभिदाताओं की संख्या 206 मिलियन से बढ़कर 846 मिलियन हो गई, इसमें 310 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यद्यपि बेतार अभिदाता बेस 647 मिलियन तक बढ़ गया था, तार बेस ने 6 मिलियन की गिरावट रिकार्ड की थी। बेतार खंड ने मार्च 2011 तक 812 मिलियन संयोजन का कुल बेस के साथ शासन करना जारी रखा। देश में समग्र टेलीडेनसिटी ने मार्च 2007 की समाप्ति पर 18 से बढ़कर मार्च 2011 की समाप्ति में 71 की वृद्धि दर्शाई थी। 31 मार्च 2007 को ग्रामीण टेलीडेनसिटी 6 से बढ़कर मार्च 2011 की समाप्ति पर 34 हो गई थी जो कि शहरी टेलीडेनसिटी की तुलना में क्रमशः 47 व 157 थी। तथापि, पिछले पांच वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में अभिदाताओं की वृद्धि दर शहरी क्षेत्रों में 233 प्रतिशत की तुलना में 485 प्रतिशत अधिक थी। इंटरनेट व ब्रॉडबैंड अभिदाता 2006-07 में 9.27 मिलियन से बढ़कर 2010-11 में 19.67 मिलियन हो गये थे।

### 2.7.3 दूरसंचार क्षेत्र निष्पादन संकेतक

वर्ष	अभिदाता (मिलियन में)					टेलिडेनसिटी(प्रतिशतता में)			इंटरनेट व ब्रॉडबैंड अभिदाता (मिलियन में)
	कुल	ग्रामीण	शहरी	वायरलाइन	वायरलेस	समग्र	ग्रामीण	शहरी	
2006-07	205.86	45.71	160.15	40.75	165.11	18.22	5.78	47.24	9.27
2007-08	300.48	73.92	226.56	39.41	261.07	25.64	9.34	63.67	11.09
2008-09	429.73	120.29	309.43	37.97	391.76	36.98	15.02	88.11	13.54
2009-10	621.28	200.81	420.47	36.96	584.32	52.74	24.29	119.73	16.18
2010-11	846.32	282.23	564.08	34.73	811.59	70.89	33.79	157.32	19.67

(स्रोत: ट्राई की वार्षिक प्रतिवेदन और ट्राई का उत्तर)

क्षेत्र में नियोजित राशि 2006-07 में ₹ 1,98,011 करोड़ से बढ़कर 2010-11 में ₹ 3,37,683 करोड़ हो गई जो कि क्षेत्र में निवेश की लाभप्रद वृद्धि का द्योतक है, इसी के साथ 2006-07 में पूंजी निवेश भी ₹ 2,40,711 करोड़ से बढ़कर 2010-11 में ₹ 4,79,278 करोड़ हो गया। अभिदाता बेस में वृद्धि के परिणामस्वरूप दूरसंचार सेवाओं के सकल राजस्व में वृद्धि हुई जैसाकि नीचे विस्तार में दिया गया है:

### 2.7.4 दूरसंचार क्षेत्र वित्तीय रूपरेखा


(₹ करोड़ में)

वर्ष	पूंजी नियोजित			निवेश			कुल राजस्व
	सार्वजनिक	निजी	कुल	सार्वजनिक	निजी	कुल	
2006-07	1,04,595	93,416	1,98,011	1,34,552	1,06,159	2,40,711	1,07,832
2007-08	1,04,247	1,15,462	2,19,709	1,41,149	1,37,450	2,78,599	1,32,785
2008-09	1,03,856	1,70,651	2,74,507	1,49,201	1,88,587	3,37,788	1,51,693
2009-10	96,103	1,90,734	2,86,837	1,89,615	2,26,814	4,16,429	1,57,985
2010-11	89,040	2,48,643	3,37,683	1,97,332	2,81,946	4,79,278	1,71,719

(स्रोत: ट्राई वार्षिक प्रतिवेदन और ट्राई का उत्तर)

यह देखा जा सकता है कि निजी दूरसंचार कम्पनियों द्वारा नियोजित राशि व निवेश सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कम्पनियों के भाग से अधिक है। इसके अतिरिक्त, निजी दूरसंचार कम्पनियों का अभिदाता बेस सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कम्पनियों की तुलना में कई गुणा बढ़ गया है जैसाकि नीचे दिया गया है:

### 2.7.5 अभिदाता बेस में वृद्धि-निजी बनाम सा.क्षे.उ.



(स्रोत: दू.वि. वार्षिक प्रतिवेदन)

### 2.7.6 दूरसंचार क्षेत्र नीतियां व कार्यक्रम

भारत में दूरसंचार क्षेत्र के लिये मुख्य दिशानिर्देशन नीति नई दूरसंचार नीति 1999 है। नीति के उद्देश्य निम्न हैं:

- सभी नागरिकों के लिये समर्थ व प्रभावी संचार उपलब्ध कराना। यह दूरसंचार नीति की सोच व लक्ष्य का प्रमुख भाग है क्योंकि देश के सामाजिक व आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है,
- सभी अनाच्छादित क्षेत्रों जिनमें ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल हैं में सर्वसमावेशी सेवा के प्रावधान तथा देश की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में समर्थ उच्च स्तरीय सेवाओं के प्रावधान के बीच संतुलन का प्रयास करना,
- देश के दूरदराज, पर्वतीय व आदिवासीय क्षेत्रों में दूरसंचार के विकास को प्रोत्साहन देना,
- आई.टी. मीडिया, दूरसंचार तथा उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स को ध्यान में रखते हुए/की दृष्टि से हिसाब में लेते हुये तथा आई.टी. सुपरपावर के रूप में उभरते भारत की सहायता में आधुनिक व कुशल संचार अवसंरचना का सृजन करना,
- जहां कहीं भी उचित हो, पी.सी.ओ. को आई.एस.डी.एन. सेवायें, सुदूर डेटा बेस एसेस युक्त पब्लिक टेली-इनफो सेन्ट्रों में परिवर्तित करना तथा सामुदायिक सूचना प्रणालियों आदि के आर्विभाव में सहायता करना,
- शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में एक बड़ा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाने के लिए एक समयबद्ध तरीके से दूरसंचार क्षेत्र में परिवर्तन करना जिससे कि सभी उपभोक्ताओं को समान अवसर व कार्यक्षेत्र उपलब्ध कराया जा सके,
- देश में अनुसंधान व विकास के प्रयासों को मजबूत करना और विश्व-स्तरीय विनिर्माण क्षमताओं को तैयार करने की प्रेरणा देना,
- स्पैक्ट्रम प्रबन्धन में कुशलता व पारदर्शिता उपलब्ध कराना,
- देश के सुरक्षा हितों की रक्षा करना,
- भारतीय दूरसंचार कम्पनियों को समर्थ बनाना ताकि वे सही अर्थों में ग्लोबल उपभोक्ता बन सकें,

दू.वि. के निम्नलिखित स्कंध द्वारा दूरसंचार क्षेत्र की नीतियों व कार्यक्रमों का पालन किया जाता है:

### 2.7.7 दूरसंचार आयोग

भारत सरकार द्वारा दूरसंचार आयोग की स्थापना 11 अप्रैल, 1989 को भारत सरकार के प्रशासनिक व वित्तीय शक्तियों के साथ एक प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी ताकि

दूरसंचार के विभिन्न पहलुओं का निपटान किया जा सके। आयोग में एक अध्यक्ष व चार पूर्ण कालिक सदस्य होते हैं जो दूरसंचार विभाग में भारत सरकार के पदेन सचिव होते हैं। इसके अतिरिक्त चार पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जो सम्बन्धित विभागों में भारत सरकार के सचिव होते हैं। दूरसंचार आयोग के मुख्य कार्यों में नीति निर्धारण, निष्पादन की समीक्षा, लाइसेंसिंग, बेतार स्पैक्ट्रम प्रबन्धन, सा.क्षे.उ. की प्रशासनिक मानीटरिंग, अनुसंधान व विकास उपस्कर का मानकीकरण/वैधता और अंतर्राष्ट्रीय संबंध शामिल हैं।

### 2.7.8 भारतीय टेलीकॉम नियामक प्राधिकरण

भारतीय टेलीकॉम नियामक प्राधिकरण (भा.टे.नि.प्रा.) का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जाये और उसी समय में देश में दूरसंचार सेवाओं की वृद्धि के लिये शर्तों का पालन तरीके से किया जाये और उभरते हुये विश्व सूचना समाज में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका करने में समानान्तर कदम रख सके। भा.टे.नि.प्रा. के मुख्य उद्देश्यों में से एक है स्वच्छ व पारदर्शी वातावरण उपलब्ध कराना है जिससे कि स्तरीय कार्य-क्षेत्र व स्वच्छ प्रतिस्पर्धा की सुविधायें उपलब्ध कराई जा सके। यह निर्देश, आदेश व विनियमन जारी करता है जिसमें टैरिफ, अन्तःसंयोजन तथा सेवा की गुणता के साथ-साथ प्राधिकार के शासन सहित विभिन्न विषयों को शामिल किया जा सके।

### 2.7.9 नियंत्रक संचार लेखा

नियंत्रक, संचार लेखा (नि.सं.ले.) सैल्यूलर, बेसिक, यूनीफाइड एसेस सेवा, एन.एल.डी., आई.एल.डी., वाणिज्यिक वी.सैट, पी.एम.आर.टी.एस. सेवाओं, इंटरनेट सेवा के नये लाइसेंसधारकों के वाणिज्यिक लाइसेंस धारकों से लाइसेंस फीस तथा कैपटिव वी.सैट, सी.एम.आर.टी.एस., रेडियो लिंक, माइक्रोवेव लिंक तथा आ.फा. के लिंक के मूल्यांकन व संग्रहण के लिये उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त यह सांविधिक कार्य जैसे पेंशन भुगतान, लेखापरीक्षा कार्य आदि यू.एस.ओ. संवितरण तथा प्रशासनिक कार्य भी करता है।

### 2.7.10 बेतार योजना एवं समन्वय स्कंध

बेतार योजना एवं समन्वय स्कंध (बे.यो.स.) स्पैक्ट्रम प्रबन्धन, बेतार लाइसेंसिंग, फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट, भारतीय तार अधिनियम 1885 के स्पैक्ट्रम प्रबन्धन व प्रशासन के लिये अंतर्राष्ट्रीय समन्वय (आई.टी.ए. 1885), रेडियो संचार प्रणाली व भारतीय बेतार अधिनियम 1933 (आई.डब्ल्यू.टी.ए. 1933) के लिये नीति से सम्बन्धित है।

### 2.7.11 दूरसंचार अभियांत्रिकी केन्द्र

दूरसंचार अभियांत्रिकी केन्द्र (दू.अ.के.) दू.वि. का तकनीकी खंड है। इसका उत्तरदायित्व अन्य वस्तुओं में भारतीय दूरसंचार नेटवर्क की सुव्यवस्थित वृद्धि के मानक व विनिर्देशन तैयार करना, उपस्कर व सेवाओं का मूल्यांकन करना, उपस्कर, प्रौद्योगिकी व सेवाओं के लिये अनुमोदन शामिल है। भा.टे.नि.प्रा., टी.डी. सैट, वै.से.दा.नि. भा.सं.नि.लि. तथा एम.टी.एन.एल. को तकनीकी व सुझावात्मक समर्थन देना, दू.वि. के मौलिक व तकनीकी योजनाओं का आरेखण करना, दू.वि. के माध्यम से बहुपक्षीय एजेन्सी जैसे ए.पी.टी., ई.टी.एस.आई. तथा आई.टी.यू. आदि के साथ परस्पर संबंध रखना तथा आवश्यक कुशलता विकसित करना जैसे आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा आर. एवं डी के परिणामों के आत्मसात करना।

### 2.7.12 टेलिमेटिक्स के विकास के लिये केन्द्र

दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत भारत सरकार का दूरसंचार अनुसंधान व विकास केन्द्र है। सी-डॉट नियत समय के लिये प्रौद्योगिकी व आवेदन (मांग), कुल दूरसंचार समाधान, मोबाइल व पैकेट आधारित कनवर्ज्ड नेटवर्क तथा सेवायें विकसित करता है। सी-डॉट ने एक प्रौद्योगिकी विकसित की है जोकि साफ्टवेयर पर बहुत अधिक आधारित है और सेवा उपलब्ध कराने में सेवा सम्भरकों के लिये तथा नेटवर्क व सेवाओं के प्रचालन व प्रबन्धन के लिये भी उपयोगी है। सी-डॉट प्रौद्योगिकी प्रत्यक्ष रूप में भारतीय दूरसंचार नेटवर्क तथा इसके लाइसेंसधारकों के माध्यम से महत्वपूर्ण उपस्थिति रखता है। सी-डॉट का नया केन्द्र बिन्दु अगली पीढ़ी के नेटवर्क के विकास व नियोजन, लागत-प्रभावी ग्रामीण बेतार समाधान, साफ्टवेयर आधारित प्रणाली, आप्टिकल व सैटेलाइट परिवहन तथा रणनीति क्षेत्रों के लिये अपेक्षित एसेस प्रौद्योगिकी तथा समाधान पर है।

### 2.8 लेखापरीक्षा के बताये जाने पर अधिक इमदाद की वसूली

पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश (पूर्व) परिमंडलों द्वारा ग्रामीण सामुदायिक फोन (आर.सी.पी.) के लिये सेवा सम्भरकों को ₹ 2.17 करोड़ के इमदाद का गलत भुगतान किया था जिसमें से ₹ 1.62 करोड़ लेखापरीक्षा के बताये जाने पर वसूल किये गये थे।

1999 की नई दूरसंचार नीति ने वैश्विक सेवा दायित्व (वै.से.दा.) जिसने ग्रामीण टेली डेनसिटी (दूरसंचार घनत्व) को बढ़ाने की मांग की थी, पर बल दिया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 2010 तक 0.4 से 4.0 प्रति सौ जनसंख्या के स्तर से ग्रामीण दूरसंचार घनत्व बढ़ाने का उद्देश्य प्राप्त करने की मांग की थी। नीति के अनुसार



वै.से.दा. पूरा करने के लिये 'यूनीवर्सल एसेस लेवी' के माध्यम से मांग की जायेगी, जो कि विभिन्न लाइसेंस के तहत सभी आपरेटरों द्वारा अर्जित राजस्व की प्रतिशतता होगी, जैसा कि सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। ग्रामीण/दूरदराज के क्षेत्रों के लिये वैश्विक दूरभाष सेवा का क्रियान्वयन सभी नियत सेवा सम्भरकों, जो कि वै.से.दा. निधि से इस सेवा को उपलब्ध कराने की शुद्ध लागत लौटायेगे, किया जायेगा। तदनुसार, अप्रैल 2002 से वै.से.दा. निधि बनायी गयी थी। ग्रामीण दूरभाष को बढ़ावा देने के लिये वै.से.दा. निधि से सब्सिडि हेतु किये गये कार्यकलापों में से एक ग्रामीण सामुदायिक फोन (आर.सी.पी.) था।

आर.सी.पी. के प्रावधान के लिये करार के 30.15 खंड के अनुसार, आर.सी.पी. से अभिप्राय था 1991 की जनगणना के अनुसार 2000 से अधिक आबादी वाले गांव में प्रतिष्ठापित सार्वजनिक फोन और वहां किसी प्रकार के सार्वजनिक कॉल कार्यालय (पी.सी.ओ.) का न होना। करार के खंड 18.13 में विचार किया गया था कि भुगतान इमदाद का उचित व सही सत्यापन सुनिश्चित करने हेतु, यदि आवश्यक हो तो, जैसाकि इसमें कहा गया है, प्रशासक, इसका संशोधन, परिवर्तित अथवा प्रतिस्थापित व परिष्कृत कर सकता है। 46253 आर.सी.पी. के प्रावधान के लिये विभिन्न सेवा क्षेत्रों में भारत संचार निगम लिमिटेड तथा रिलायंस इन्फोकॉम लिमिटेड (रिल) के साथ करार किया गया था (2004)।

फरवरी 2010 में नियंत्रक, संचार लेखा (नि.सं.ले.) पश्चिम बंगाल परिमंडल, कोलकाता तथा अक्टूबर 2011 में नि.सं.ले., उ.प्र.पूर्व परिमंडल, लखनऊ कार्यालय में अभिलेखों की हमारी संवीक्षा से पता चला कि लाइसेंस करार शर्तों के उल्लंघन में जिसने इमदादी दावों का उचित सत्यापन अनुबद्ध किया था, मार्च 2005 से दिसम्बर 2010 की अवधि के लिये मैसर्स रिल तथा भा.सं.नि.लि. को ₹ 2.17 करोड़ की राशि का अधिक भुगतान किया था जो कि 836 आर.सी.पी. के संबंध में था यद्यपि इन ग्रामों में सा.कॉ. का थे जैसाकि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

नि.सं.ले. का नाम	आपरेटर का नाम	ग्रामों की संख्या जिसके लिये इमदादी दावों का निपटान किया गया था, जहां सा.क्षे.उ. है	इमदाद के लिये भुगतान राशि
नि.सं.ले., पश्चिम बंगाल परिमंडल, कोलकाता	रिल	595	1.62
नि.सं.ले., उ.प्र. पूर्व, लखनऊ	रिल	215	0.48
	भा.सं.नि.लि.	26	0.07
<b>कुल</b>		<b>836</b>	<b>2.17</b>

**2012-13 की प्रतिवेदन सं.13**

इस प्रकार, नि.सं.ले. लाइसेंस करार की शर्तों का सावधानीपूर्वक पालन करने में विफल रहा, परिणामस्वरूप ₹ 2.17 करोड़ के इमदाद का अधिक भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, नि.सं.ले. पश्चिम बंगाल परिमंडल, कोलकाता ने मैसर्स रिल के प्रति ₹ 1.62 करोड़ के दावे की मांग की थी (जुलाई 2010) और लेखापरीक्षा के बताये जाने पर (नवम्बर 2011) में मैसर्स रिल से ₹ 1.62 करोड़ की सारी राशि वसूल कर ली गई थी। नि.सं.ले., उ.प्र. पूर्व लखनऊ ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और उत्तर का पालन किया जायेगा।

मामला डा.वि. को जनवरी 2012 में भेजा गया था; उनका उत्तर मई 2012 तक प्रतीक्षित था।

## अध्याय III : विदेश मंत्रालय

### 3.1 वाणिज्यदूत स्कंध का निष्पादन

#### प्रस्तावना

विदेश में भारतीय मिशन तथा केन्द्र अपने वाणिज्यदूत स्कंध के माध्यम से विदेशी नागरिकों तथा विदेश में भारतीयों को पासपोर्ट, वीजा तथा अन्य वाणिज्यदूत सेवाएं प्रदान करते हैं। विदेश मंत्रालय (वि.मं.) का वाणिज्यदूत, पासपोर्ट एवं वीजा (का.पा.वी.) प्रभाग भारत में केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन (के.पा.सं.) के माध्यम से भारतीय नागरिकों को यह सेवाएं प्रदान करता है। इस संबंध में नीतियां, नियम, विनियम तथा प्रक्रियाएं मंत्रालय के वा.पा.वी. प्रभाग द्वारा तैयार की जाती हैं। यह प्रभाग मुख्य रूप से अन्य मंत्रालयों तथा भारत में पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकरणों<sup>14</sup> के साथ समन्वय में पासपोर्ट अधिनियम 1967 तथा पासपोर्ट अधिनियम 1980 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु उत्तरदायी है।

मंत्रालयों की प्राप्तियों में मुख्यतः भारत में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों/पासपोर्ट कार्यालयों (क्षे.पा.का./पा.का.) द्वारा वसूली गई पासपोर्ट शुल्क तथा विदेश में मिशनों तथा केन्द्रों द्वारा प्रभारित वाणिज्यदूत शुल्क शामिल है। विदेश में सभी मिशनों तथा केन्द्रों द्वारा वसूले गए राजस्व के लेखों को प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (प्र.मु.ले.नि.), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अनुरक्षित किया जाता है। पिछले चार वर्षों के दौरान पासपोर्ट एवं वीजा शुल्क से मंत्रालय की प्राप्तियाँ निम्नानुसार थी:

वर्ष	कुल प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)
2007-08	1667.27
2008-09	2045.85
2009-10	2101.13
2010-11	2266.65

लेखापरीक्षा द्वारा विदेश में 176 मिशनों एवं केन्द्रों में से 92 के वाणिज्यदूत स्कंध के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई थी। ब्यौरे अनुबंध-VIII में दिए गए हैं।

<sup>14</sup> क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

### वाणिज्यदूत शुल्क

#### 3.1.1 वीजा शुल्क का कम उदग्रहण

विदेश मंत्रालय के जून 2008 के अनुदेशों (1 जुलाई 2008 से प्रभावी) के अनुसार व्यावसायिक वीजा न्यूनतम एक वर्ष की वैधता हेतु जारी किए जाने थे। अनुदेशों ने आगे निर्धारित किया कि पंजीकरण अपेक्षित होगा यदि प्रत्येक दौरा 180 दिनों से अधिक का है (उन देशों को छोड़कर जिनका उल्लेख समय-समय पर संशोधित वीजा नियमपुस्तिका 2003 के पैरा 50, में किया गया है)। विनिर्दिष्ट तथा गैर-विनिर्दिष्ट देशों हेतु व्यावसायिक वीजा शुल्क अलग-अलग थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 25 मिशनों तथा केन्द्रों<sup>2</sup> ने अनुदेशों के उल्लंघन में एक वर्ष से कम की वैधता के वीजा जारी किए। इसका परिणाम विनिर्दिष्ट<sup>3</sup> देशों हेतु 489 मामलों के संबंध में ₹ 21 लाख तथा गैर-विनिर्दिष्ट देशों हेतु 1,38,711 मामलों के संबंध में ₹ 36.85 करोड़ की सीमा तक वीजा शुल्क की कम वसूली में हुआ। इसका ब्यौरा **अनुबंध-IX (क एवं ख)** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि आबू धाबी तथा दुशानबे में मिशनों ने एक वर्ष से अधिक हेतु व्यावसायिक वीजा जारी करते समय गलती से एक वर्ष हेतु निर्धारित वीजा शुल्क प्रभारित किया था। इसका परिणाम 536 मामलों के संबंध में ₹ 20 लाख के कम उदग्रहण में हुआ जैसा कि **अनुबंध -IX (ग)** में ब्यौरा दिया गया है।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया (नवम्बर 2010) कि व्यावसायिक वीजा शुल्कों पर अनुदेशों को विदेश में सभी मिशनों तथा केन्द्रों को दो बार बता दिया गया था। इसने यह भी बताया कि मिशन तथा केन्द्रों के संबंधित अध्यक्षों को जहाँ कहीं संभव हो शुल्क वसूलने की संभाव्यता का पता लगाने हेतु अनुरोध भी किया गया था। मंत्रालय ने आगे एक स्पष्टीकरण जारी किया (नवम्बर 2010) कि मिशन तथा केन्द्र यदि आवेदन माँग करता है तो एक वर्ष से कम के लिए वैध वीजा जारी करें परंतु शुल्क एक वर्ष हेतु ही प्रभारित किया जाना चाहिए।

<sup>2</sup> आबू धाबी, अडीस अबाबा, अल्जीयर्स, बहरीन, बीजिंग, बेरूट, ब्रुसेल, डमास्कस, दार-एस-सलाम, दुबई, दुशानबे, गुंआंजू, जेदाह, काठमाण्डू, मेह (विक्टोरिया), मंडाले, मिलान, मोमबासा, नैरोबी, ओसाका, रोम, सिओल, शंघाई, द हेग एवं त्रिपोली।

<sup>3</sup> सं.अ.अ.. (एक विनिर्दिष्ट देश जहाँ वीजा शुल्क पारस्परिक आधार पर एकत्रित किया जाता है) हेतु एक वर्षीय व्यावसायिक वीजा शुल्क \$415 यू.एस. डालर है जबकि शेष देशों (गैर-विनिर्दिष्ट देशों) हेतु एक वर्षीय वीजा शुल्क \$ 120 यू.एस. डालर है।

### 3.1.2 अतिरिक्त शुल्क का गैर-प्रभार-भारतीय समुदाय कल्याण निधि योजना

भारतीय समुदाय कल्याण निधि योजना (भा.स.क.नि.यो.) को मंत्रिमण्डल की स्वीकृति से 17 उत्प्रवास जाँच की आवश्यकता वाले देशों<sup>4</sup> तथा मालदीव में भारतीय मिशनों में अक्टूबर 2009 में स्थापित किया गया था। निधि को संकट में विदेशी भारतीय नागरिकों के कल्याण कार्य हेतु स्थापित किया गया था। निधि के आच्छादन को बाद में अप्रैल 2010 में 24 भारतीय मिशनों तथा मार्च 2011 में शेष 157 भारतीय मिशनों तथा केन्द्रों तक बढ़ा दिया गया था। इस योजना के अंतर्गत, मिशनों तथा केन्द्रों को उनके द्वारा प्रदान की गई प्रत्येक प्रकार की वाणिज्यदूत सेवा {पासपोर्ट, वीजा, भारतीय प्रवासी नागरिक (ओ.सी.आई.) तथा भारतीय मूल के व्यक्ति (पी.आई.ओ.) कार्ड जारी करना} हेतु ₹ 100 (स्थानीय मुद्रा में पूर्णांकित) के एक अतिरिक्त शुल्क का उदग्रहण करके निधियां एकत्रित करना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया था कि 17 मिशनों तथा केन्द्रों<sup>5</sup> में योजना को कार्यान्वित करने में दो से 17 महीनों का पर्याप्त विलम्ब था जिसका परिणाम ₹ 15.29 करोड़ के अतिरिक्त शुल्क के गैर-संग्रहण में हुआ (अनुबंध-X)।

स.रा.अ. ने मिशनों तथा केन्द्रों को अप्रैल 2010 के वि.मं. के आदेश के माध्यम से भा.स.क.नि. योजना के अंतर्गत लाया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका (सं.रा.अ.) में भारतीय मिशनों तथा केन्द्रों ने भा.स.क.नि. योजना का कार्यान्वित नहीं किया था। यह ₹ 6.26 करोड़ के अतिरिक्त शुल्क के गैर-संग्रहण का कारण बना (अनुबंध-XI)।

लूआंडा में मिशन तथा राजशाही में केन्द्र ने सूचित किया (क्रमशः अगस्त तथा सितम्बर 2011 में) कि भा.स.क.नि. शुल्क वसूलने के संबंध में उन्हें मंत्रालय से कोई आदेश/अनुदेश प्राप्त नहीं हुए थे। कोलम्बो में मिशन ने बताया (जनवरी 2012) कि योजना मिशन तथा केन्द्रों के बीच स्परेखा तैयार करने के पश्चात 1 जून 2011 से कार्यान्वित किया जाना था क्योंकि मंत्रालय द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। कम्पाला में मिशन ने बताया (सितम्बर 2011) कि यूगांडा में विभिन्न भारतीय संघों के अध्यक्षों को लगा कि वाणिज्यदूत सेवाओं पर प्रभार स्थानीय वीजा मांग कर्ताओं पर एक अतिरिक्त वित्तीय भार डालेगा। इसने यह भी बताया कि उसका अतीत में ऐसे

<sup>4</sup> अफगानिस्तान, बहरीन, इण्डोनेशिया, ईराक, जार्डन, कुवैत, लेबनान, लिबिया, मलेशिया, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, सुडान, सीरिया, थाईलैण्ड, यू.ए.ई. तथा यमन

<sup>5</sup> बैंकाक, बर्लिन, बर्मिंघम, कोलम्बो, इडेनबर्ग, फ्रैंकफर्ट, हैमबर्ग, हाँगकॉंग, कम्पाला, लन्दन, लुआंडा, मिलान, म्यूनिख, पेरिस, राजशशी, रोम एवं द हेग

किसी मामले से सामना नहीं हुआ था। बैंकांक में मिशन ने योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब का आरोप कार्यान्वयन से पहले अपेक्षित प्रशासनिक, क्रियात्मक, वित्तीय तथा प्रौद्योगिकी रूपरेखाओं पर लगाया (दिसम्बर 2011)। हांग कांग में केन्द्र ने बताया (दिसम्बर 2011) कि विलम्ब दिनांक 24 मार्च 2011 के मंत्रालय के आदेश की समय पर गैर-प्राप्ति के कारण था। इसने आगे बताया कि आदेश में योजना के दिशानिर्देश स्पष्ट नहीं थे तथा वि.मं. तथा अन्य मिशनों के साथ परामर्श की आवश्यकता थी।

वाशिंगटन डी.सी. में मिशन ने बताया (अप्रैल 2011) कि योजना कुछ अन्य उदग्रहणों तथा वीजा बाध्यताओं के संबंध में सं.रा.अ. में भारतीय समुदाय के बीच नाराजगी के कारण कार्यान्वित नहीं की जा रही थी। इसने आगे बताया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सं.रा.अ. में संकट में भारतीय नागरिकों की घटना नगण्य थी योजना को कार्यान्वित करने का निर्णय जान-बूझकर अस्थगित कर दिया था।

मंत्रालय से आदेशों की गैर-प्राप्ति के संबंध में मिशनों तथा केन्द्रों के उत्तर युक्तियुक्त नहीं हैं क्योंकि यह आदेश ई-मेल के माध्यम के साथ-साथ डाक के माध्यम से भी संप्रेषित किए गए थे तथा कार्यान्वयन की तिथि स्पष्ट रूप से उल्लेखित की गई थी। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि लेखापरीक्षा में इंगित (दिसम्बर 2010) किए जाने के पश्चात योजना अप्रैल 2011 से सं.रा.अ. में मिशनों तथा केन्द्रों द्वारा कार्यान्वित की गई थी। मिशनों के उत्तर मंत्रालय में उपयुक्त मानीटरिंग क्रियाविधि के अभाव का भी सूचक था जो मिशनों से अपने आदेशों की अनुपालना की माँग नहीं करता था।

### 3.1.3 भा.स.क.नि. से अप्राधिकृत व्यय

भा.स.क.नि. विदेशी भारतीय नागरिकों जो संकट में थे हेतु आनसाईट कल्याण कार्य करने हेतु थी तथा किसी अन्य उद्देश्य हेतु इसका अपवर्तन नहीं किया जाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि सिडनी तथा मेलबार्न में भारतीय केन्द्रों ने योजना के प्रावधानों के उल्लंघन में भा.स.क.नि. से आकस्मिक स्टाफ के वेतन के प्रति क्रमशः ₹ 7.13 लाख तथा ₹ 6.05 लाख का भुगतान किया।

सिडनी में केन्द्र ने बताया (फरवरी 2012) कि भुगतान कैनबेरा में मिशन की स्वीकृति से केवल भारतीय समुदाय के कल्याण से संबंधित मामलों के निपटान हेतु किए गए थे न कि नियमित वाणिज्यदूत कार्य हेतु। मेलबार्न में केन्द्र ने बताया (अक्टूबर 2011) कि अक्टूबर 2010 से जनवरी 2011 तक नियुक्त स्टाफ को योजना के प्रारम्भिक शुरुआत को संभालने हेतु था तथा इसके पश्चात इसने भा.स.क.नि. को संभालने हेतु अतिरिक्त श्रमशक्ति की माँग नहीं की थी।

तथापि, तथ्य यही है कि आकस्मिक स्टाफ के वेतन हेतु भुगतान भा.सा.क.नि. ढाँचे के दायरे से बाहर था, इसलिए अनियमित था।

### 3.1.4 संशोधित शुल्कों के विलम्बित कार्यान्वयन के कारण हानि

सितम्बर 2002 में, भारत सरकार ने भारतीय मूल का व्यक्ति (भा.मू.व्य.) कार्ड योजना का संशोधन किया जो पूरे देश में रह रहे भारतीय मूल के व्यक्तियों को 15 वर्षों तक भारत में वीजा मुक्त आगमन अनुमत करती है। बाद में, सरकार ने भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को आजीवन वीजा लाभ प्रदान करने हेतु 2 दिसम्बर 2005 से भारतीय विदेशी नागरिकता (भा.वि.ना.) योजना प्रारम्भ की। भा.वि.ना. योजना हेतु निर्धारित शुल्क गैर-भा.मू.व्य. कार्ड धारकों हेतु 275 अमेरिकी डालर (₹ 12537) तथा भा.मू.व्य. कार्ड धारकों हेतु 25 अमेरिकी डालर था।

भा.मू.व्य. कार्ड धारकों हेतु 25 अमेरिकी डालर के शुल्क का भारत सरकार, गृह मंत्रालय (गृ.मं.) की अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी 2009 के अनुसार बाल भा.मू.व्य. कार्ड धारकों के संबंध में 145 अमेरिकी डालर तक संशोधित कर दिया था। इस संबंध में आदेश गृ.मं. द्वारा 30 जुलाई 2009 को जारी किया गया था। सं.रा.अ. में मिशन तथा केन्द्रों में बाल भा.मू.व्य. कार्ड धारकों के संबंध में 145 अमेरिकी डालर के संशोधित शुल्क को सितम्बर से अक्टूबर 2009 के बीच विभिन्न तिथियों से एकत्रित किया गया था जो मिशनों तथा केन्द्रों में गृ.मं. के आदेशों की प्राप्ति पर निर्भर था। लेखापरीक्षा ने पाया कि आदेश जारी करने की तिथि तथा संशोधित शुल्क के वास्तविक संग्रहण की तिथि के बीच की मध्यावधि के दौरान 503 बाल भा.मू.व्य. कार्ड धारक वि.भा.ना. कार्ड धारकों में बदल गए थे। मंत्रालय से आदेशों की देरी से प्राप्ति के कारण संशोधित शुल्क संरचना के कार्यान्वयन का विलम्ब ₹ 27.16 लाख की हानि का कारण बना।

### 3.1.5 वाणिज्यदूत प्राप्तियों का त्रुटिपूर्ण रोकड़ प्रबंधन

वाणिज्यदूत नियमपुस्तिका के पैरा 16 के अनुसार सभी शुल्कों को प्रदान की जाने वाली संबंधित सेवाओं से पहले अदा किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने दोहराया (अक्टूबर 2000) कि मिशनों तथा केन्द्रों द्वारा केवल वाणिज्यदूत शुल्क की वसूली के पश्चात ही सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वाशिगटन डी.सी. में मिशन ने गैर-समाधान पड़े शुल्कों के प्रति 60 चैक प्राप्त किए थे क्योंकि मिशन इन्हें आवेदकों के साथ जोड़ने में असमर्थ था। इन

60 चैकों में से 580 अमेरिकी डालर (₹ 26442<sup>6</sup>) की राशि चार चैक काल-बाधित हो गए तथा वसूले नहीं जा सके। इसके अतिरिक्त, शिकागो में केन्द्र में 2043 अमेरिकी डालर (₹ 93140) की राशि के चैक अस्वीकृत थे क्योंकि आवेदकों ने वाणिज्यदूत सेवाएं प्राप्त करने के पश्चात अपने बैंकों को भुगतान रोकने की सलाह दी। इस प्रकार, मंत्रालय के अनुदेशों की गैर-अनुपालना के कारण मिशन तथा केन्द्र 2623 अमेरिकी डालर (₹ 119583) का वाणिज्यदूत शुल्क वसूलने में विफल रहा।

इस प्रकार, निर्धारित प्रावधानों की गैर-अनुपालना के परिणामस्वरूप सरकारी प्राप्तियों को सरकारी लेखों में शामिल करने हेतु उचित रूप से वसूली, दर्ज तथा तत्काल रूप से बैंक में जमा नहीं कराया गया था। इसने मिशनों में कमजोर रोकड़ नियंत्रण क्रियाविधि को दर्शाया तथा इससे सरकारी धन के रिसाव संबंधी जोखिम का भी डर था।

### 3.1.6 वाणिज्यदूत शुल्क के प्रेषण में विलम्ब

भारत सरकार ने मेडरिड में मिशन के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बार्सीलोना तथा तेनेराइफ में क्रमशः 1969 तथा 1993 से मानद महावाणिज्य दूतावासों (मा.म.दू.) को नियुक्त किया था। दोनों मा.म.दू. ने साथ-साथ मिशन को अपने वाणिज्यदूत कार्यों अर्थात् वीजा जारी करना, पासपोर्ट का पंजीकरण, भारतीय समुदाय के सदस्यों के दस्तावेजों का अनुप्रमाणन आदि को पूरा करने में मदद की। उनके कार्यों में वीजा आवेदनों को स्वीकार करना, आवेदकों से निर्धारित शुल्क एकत्रित करना तथा आवेदनों को एवं प्राप्तियों को मिशन को प्रेषित करना शामिल था।

मेड्रिड में 2005 से 2011 की अवधि के दौरान मा.म.दू. द्वारा एकत्रित कुल ₹ 5.60 करोड़ के वाणिज्यदूत शुल्क का 30 दिनों से तीन वर्षों के बीच के विलम्ब के पश्चात मिशन को प्रेषण किया गया था (अनुबंध-XII)।

इस प्रकार, वाणिज्यदूत शुल्क के प्रति एकत्रित राशि को तत्परता से सरकारी लेखों में जमा नहीं कराया गया था। इससे मिशन में सरकारी धन के गैर-विनियोग का जोखिम भी झलकता था।

<sup>6</sup> 1 अमेरिकी डालर=₹ 45.59 (माह मार्च 2011 हेतु विनियम की सरकारी दर के अनुसार)



### 3.1.7 सेवा प्रदाताओं के चयन में अनियमितताएं

नवम्बर 2006 में, मंत्रालय ने 19 मिशनों तथा केन्द्रों में वीजा सहायता सेवाओं<sup>7</sup> का आउटसोर्स करने का निर्णय लिया। इसे बाद में 56 मिशनों तथा केन्द्रों<sup>8</sup> तक विस्तारित कर दिया गया था। मिशनों तथा केन्द्रों को मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों तथा सामान्य वित्तीय नियमावली (सा.वि.नि.)के प्रावधानों के अनुसार पारदर्शी तरीके से प्रतियोगितात्मक बोली के माध्यम से सेवाओं का आउटसोर्स करने के निर्देश दिए गए थे।

मंत्रालय ने आउटसोर्सिंग संविदा में शामिल किए जाने वाले आवश्यक नियम एवं शर्तों को निर्धारित करने वाली एक प्रारूप संविदा भी मिशनों तथा केन्द्रों को बाँटी थी (अप्रैल 2007)।

लेखापरीक्षा ने निविदाओं के मूल्यांकन, सेवा प्रदाताओं (से.प्र.) के चयन, सेवा प्रदाताओं के साथ बातचीत तथा निर्धारित नियम एवं शर्तों तथा संविदाओं की निष्पादन की प्रक्रिया में कुछ कमियाँ प्रकट की। इनका वर्णन नीचे किया गया है:

#### 3.1.7.1 प्रतियोगितात्मक बोलियों के बिना सेवाओं की आउटसोर्सिंग

हेमबर्ग में केन्द्र ने किसी प्रतियोगितात्मक निविदा प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना सेवा प्रभार के रूप में वैट सहित 13.50 यूरो की दर पर 10 वर्षों की अवधि हेतु अपनी सहायता सेवाओं को एक फर्म (मेसर्स आई.जी.सी.एस.) को आउटसोर्स किया। यह इस आधार पर उचित था कि यही कम्पनी इसी दर पर फ्रैंकफर्ट में केन्द्र में भी सहायता सेवाएं प्रदान कर रही थी। बताए गए कारण सा.वि.नि. के प्रावधानों तथा मंत्रालय के अनुदेशों के उल्लंघन में थे। इसके अतिरिक्त 11.78 यूरो प्रति आवेदन के दर पर केन्द्र द्वारा सहमत की गई दरें बर्लिन में मिशन तथा म्यूनिख में केन्द्र, जहाँ सेवाओं को संयुक्त प्रतियोगितात्मक निविदा प्रक्रिया करके आउटसोर्स किया गया था, में दरों की तुलना में मंहगी थी।

<sup>7</sup> वीजा सहायता सेवाओं में मुख्य रूप से रिक्त आवेदन पत्रों का संवितरण, समर्थन देने वाले दस्तावेजों तथा निर्धारित शुल्क सहित वीजा आवेदन की संवीक्षा, मिशनों/केन्द्रों के पास शुल्क जमा करना, आवेदन पत्र के डाटा को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में डालना तथा इसे मिशनों/केन्द्रों को अंतरित करना शामिल है।

<sup>8</sup> आवू धाबी, अमन, एथेन्स, बैंकाक, बीजिंग, बर्लिन, बर्न, बरमिंघम, ब्रुसेल, कैनबेरा, शिकागो, चिटगॉंग, कोलम्बो, ढाका, दुबई, इडिनबर्ग, फ्रैंकफर्ट, गुंआंजु, हेमबर्ग, हॉंगकांग, होस्टन, इस्लामाबाद, जेदाह, काबुल, काठमांडू, खार्तूम, कोबे, क्वालालम्पुर, कुवैत, लन्दन, मैडरीड, मैलबोरने, मिलान, मास्को, म्यूनिख, न्यूयार्क, ओसाका, ओस्लो, ओटावा, पेरिस, पीटर्सबर्ग, रियाध, सैन-फ्रांसिस्को, सिओल, शंघाई, सिंगापुर, स्टाकहोम, सिडनी, तेल अवीव, द हेग, टोक्यो, टोरंटो, वैनकोवर, विएना, वारसा, वाशिंगटन डी.सी.

### 3.1.7.2 बोलियों के मूल्यांकन में उचित संचेतना का अभाव

ओटावा में मिशन ने वीजा सहायता सेवाओं के आउटसोर्सिंग हेतु चार बोलियाँ प्राप्त की थीं। दो बोलियाँ तकनीकी रूप से योग्य थी तथा उनकी वित्तीय बोलियाँ खोली गई थीं। मेसर्स वी.एफ.एस. सर्विसेस (तकनीकी रूप से योग्य दो फर्मों में से एक) को सबसे कम माना गया था जबकि उद्धृत दरों का अनुमान लगाते समय सामान एवं सेवा कर (सा.से.क.) प्रतिपादन दो बोलियों के बीच तुलनात्मक नहीं था। फर्म को सा.से.क. तथा अन्य प्रभारों के अतिरिक्त 15.75 कनाडियन डॉलर प्रति आवेदन की दर पर संविदा सौंपी गई थी। अन्य तकनीकी रूप से योग्य बोलीकर्ता मेसर्स टी.टी. सर्विसिस ने सभी लागू स्थानीय करों जमा कोरियर तथा लोजिस्टिक लागत सहित 16.45 कनाडियन डॉलर के समरूप मूल्य की बोली दी थी।

निविदा समिति ने मेसर्स टी.टी. सर्विसिस की वित्तीय बोली को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि उद्धृत मूल्य स्थानीय करों, जो कनाडा में क्षेत्र-क्षेत्र में अलग हैं, के शामिल होने से आवश्यक रूप से अनिश्चित था। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि कनाडा के किसी राज्य में पाँच प्रतिशत के न्यूनतम सा.से.क. को शामिल करके मेसर्स वी.एफ.एस. का परिकल्पित मूल्य सी. \$16.54 निकलना चाहिए जो मेसर्स टी.टी. सर्विसिस द्वारा घोषित मूल्य से अधिक था जबकि इसमें कोरियर तथा अन्य लोजिस्टिक संघटक शामिल नहीं थे। इसका परिणाम आवेदकों पर अतिरिक्त वित्तीय भार सहित सेवा प्रदाता को 512,000 कनाडियन डॉलर (₹ 2.33 करोड़<sup>9</sup>) वार्षिक के अनुचित लाभ के रूप में हुआ।

मिशन ने बताया (जनवरी 2010) कि प्रस्ताव अनुरोध (प्र.अ.) में स्थानीय करों के अतिरिक्त अप्रतिबंधित बोलियों की मांग की गई थी। इसने आगे बताया कि जबकि वी.एफ.एस. की बोली प्र.अ. के अनुरूप थी फिर भी टी.टी. सर्विसिस ने एक धारा रखी थी कि इसमें लागू स्थानीय कर शामिल है। उत्तर को तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि अगर न्यूनतम पाँच प्रतिशत सा.से.क. को वी.एफ.एस. की दरों में जोड़ा गया होता तो (कनाडा ने सा.से.क. दरें सभी प्रदेशों में पाच प्रतिशत सा.से.क. से अधिक थी) फिर दरें टी.टी. सर्विसिस द्वारा घोषित दर जिसमें कर शामिल थे, से अधिक होंगी।

### 3.1.7.3 सेवा प्रदाता चयन न्यूनतम उद्धरण पर आधारित नहीं था

(i) केनबेरा में मिशन ने वीजा सहायता सेवाओं के आउटसोर्सिंग हेतु आठ बोलियाँ प्राप्त की थीं। इसमें से पांच बोलियों को तकनीकी आधार पर नामंजूर कर दिया

<sup>9</sup> 1 ₹=0.022 कनेडियन डालर (सी \$) (माह मार्च 2011 हेतु विनिमय की सरकारी दर के अनुसार)

गया था तथा शेष तीन को इनकी वित्तीय बोलियों हेतु खोलने के लिए चुना गया था। मिशन ने 16.36<sup>10</sup> आस्ट्रेलियन डॉलर जमा सा.से.क. प्रति आवेदन की दर पर नवम्बर 2007 में मेसर्स वी.एफ.एस. ग्लोबल को संविदा सौंपी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बोलियों को खोलते समय मेसर्स मर्केन्टाईल पेरिफिक प्रा. लि. तकनीकी रूप से योग्य एक फर्म, ने 16.46 आस्ट्रेलियन डॉलर जमा सा.से.क. प्रति आवेदन की न्यूनतम दर घोषित की जबकि मेसर्स वी.एफ.एस. ने 17.50 आस्ट्रेलियन डॉलर जमा सा.से.क. प्रति आवेदन की दर घोषित की थी। मिशन ने न्यूनतम बोलीकर्ता के साथ बात-चीत करने के प्रयास किए बिना एल.2 (मेसर्स वी.एफ.एस.) के साथ बातचीत की और संविदा सौंप दी। इसके अतिरिक्त, मेसर्स मर्केन्टाईल पेरिफिक प्रा.लि. ने मिशन के साथ कई अवसरों पर पत्राचार किया तथा अपनी दरों को आगे और कम करने का प्रस्ताव दिया। फिर भी मिशन ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसलिए मेसर्स वी.एफ.एस. का चयन अनुपयुक्त तथा केन्द्रीय सतकर्ता आयोग (के.स.ओ.) के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में था। मिशन ने उत्तर दिया (जुलाई 2010) कि मेसर्स वी.एफ.एस. का चयन किया गया था क्योंकि इसे मंत्रालय की आवश्यकताओं का ज्ञान था तथा अन्य भारतीय मिशनों में भी सेवाएं प्रदान कर रहा था जबकि मेसर्स मर्केन्टाईल पेरिफिक प्रा.लि. के पास अपेक्षित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान तथा अनुभव की कमी थी। मिशन का उत्तर इस तथ्य को स्वीकृत नहीं करता है कि मेसर्स मर्केन्टाईल पेरिफिक प्रा.लि. आस्ट्रेलिया में नौ वर्षों के अनुभव सहित एक आई.एस.ओ. 9001 प्रमाणित कम्पनी थी तथा सबसे मुख्य बात यह कि इसकी उपयुक्तता मिशन द्वारा तकनीकी मूल्यांकन के दौरान पहले ही स्वीकृत कर ली गई थी। इस प्रकार, मेसर्स वी.एफ.एस. ग्लोबल को कार्य सौंपने की मिशन की कार्रवाई अनियमित थी।

**(ii)** सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार सामान का प्रापण करने की वित्तीय शक्तियों सहित प्रत्यायोजित प्रत्येक प्राधिकरण जन प्रापण में दक्षता, मितव्यता तथा पारदर्शिता लाने के लिए जिम्मेदार होगा।

हेग में मिशन में प्राप्त सात बोलियों में से दो तकनीकी रूप से योग्य बोलियों की वित्तीय बोलियां खोली थी। संविदा एल 2 (मेसर्स वी.एफ.एस. ग्लोबल) को सौंपी गई थी (नवम्बर 2010)। संविदा को न्यूनतम बोलीकर्ता मेसर्स आई.वी.एस. ग्लोबल द्वारा उद्धृत वेट सहित यूरो 7.70 प्रति आवेदन की दर की तुलना में सभी स्थानीय करों तथा वेट सहित यूरो 11.50<sup>11</sup> की दर पर सौंपी गई थी। इसलिए सा.वि.नि. के प्रावधानों तथा

<sup>10</sup> 1 ₹=0.022 आस्ट्रेलियन डालर (ए \$) (माह मार्च 2011 हेतु विनिमय की सरकारी दर के अनुसार)

<sup>11</sup> 1 यूरो= ₹ 62.570 (मार्च 2011 के महीने के लिए लागू सरकारी विनिमय दर के अनुसार)

मंत्रालय के अनुदेशों का अनुपालन नहीं किया गया था। चयन की प्रक्रिया ने पारदर्शिता की कमी को दर्शाया।

मिशन ने उत्तर दिया (जुलाई 2011) कि वी.एफ.एस. ग्लोबल ने सभी सेवाओं हेतु वेट सहित 11.50 यूरो को घोषित किया था। आई.वी.एस. ने पासपोर्ट एवं वीजा सेवाओं हेतु वेट सहित 7.70 यूरो तथा वि.भा.ना. तथा भा.मू.व्य. कार्डों हेतु कोई सेवा प्रभार घोषित नहीं किया था। वी.एफ.एस. ग्लोबल का अनुभव आई.वी.एस. ग्लोबल से अधिक उत्तम था। मेसर्स वी.एफ.एस. ग्लोबल दूसरों के अलावा लंदन में मिशन के साथ-साथ भारत में डच दूतावास तथा वाणिज्यिक दूतावासों को सफल सेवाएं प्रदान कर रहा था। यह अनुभव किया गया था कि मेसर्स वी.एफ.एस., भारत में डच मिशनों के साथ काम करने के अपने अनुभव, के कारण अधिक प्रभावी तथा कार्यकुशल साबित हो सकेगा। तथ्य की दृष्टि से कि नीदरलैंड में 200,000 एन.आर.आई. तथा भा.मू.व्य के बराबर भारतीय प्रवासी थे इसलिए समिति को लगा कि वि.भा.ना. तथा भा.मू.व्य कार्डों हेतु मेसर्स आई.वी.एस. ग्लोबल द्वारा निशुल्क सेवाओं का प्रस्ताव वि.भा.ना. तथा भा.मू.व्य कार्ड आवेदनों की बढ़ती संख्या के कारण शायद संभालने योग्य नहीं होगा। बताई गई उपरोक्त बातों से यह देखा गया था कि मेसर्स वी.एफ.एस. ग्लोबल का चयन बिल्कुल स्पष्ट था।

मिशन द्वारा प्रस्तुत तर्क इस तथ्य के दृष्टांत से युक्तियुक्त नहीं था कि दोनों फर्म तकनीकी रूप से योग्य थी। इसलिए मिशन को न्यूनतम बोलीकर्ता का चयन करना चाहिए था।

### **3.1.7.4 अशुद्ध करार ₹ 2.38 करोड़ तक सेवा शुल्क के अधिक प्रभार का कारण बना**

स्टाकहोम में मिशन ने दिसम्बर 2008 से लागू तीन वर्षों की अवधि हेतु वीजा सहायता सेवाओं की आउटसोर्सिंग के लिए मेसर्स टी.टी इन्टरप्राइस प्रा.लि. के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए (सितम्बर 2008)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सेवा प्रदाता को संविदा सौंपने हेतु सेवा प्रभार के रूप में एस.ई.के.<sup>12</sup> 171 प्रति आवेदन (सभी स्थानीय करों तथा वेट सहित) की न्यूनतम वित्तीय बोली के आधार पर चयन किया गया था। तथापि, करार को एस.ई.के. 170 प्रति आवेदन, किसी भी लागू करों के अतिरिक्त, पर तय किया गया था तथा सेवा प्रदाता ने प्रभावी रूप से आवेदकों से एस.ई.के. 212 (सेवा प्रभार के रूप में एस.ई.के. 170 जमा

<sup>12</sup> 1 ₹=0.154 स्वेडिश क्रोनास (एस.ई.के) (माह अगस्त 2010 हेतु विनियम की सरकारी दर के अनुसार)।

वैट के प्रति एस.ई.के. 42) प्रति आवेदन प्रभारित किया। दिसम्बर 2008 से मई 2011 के दौरान, सेवा प्रदाता ने 87207 आवेदनों का निष्पादन किया था तथा सेवा प्रभारों के रूप में एस.ई.के. 1,84,87,884 प्राप्त किए थे। इसमें वैट के प्रति एस.ई.के. 36,62,694 (₹ 2.38 करोड़) शामिल थे जिसे आवेदकों द्वारा नहीं भरा जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर (अक्टूबर 2010) मिशन ने गलती को सुधारने हेतु अक्टूबर 2010 में सेवा प्रदाता के साथ मामला उठाया। सेवा प्रदाता ने दावा किया था कि मिशन के साथ चर्चा के दौरान जिसे बाद में अंतिम करार में बदल दिया गया था, इसे वैट के अतिरिक्त एस.ई.के. 170 प्रति आवेदन प्रभारित करने की अनुमति दी गई थी। तथापि, मिशन ने सुनिश्चित किया (नवम्बर 2010) कि किसी भी बैठक अथवा चर्चा, जैसा कि सेवा प्रदाता द्वारा कहा गया था, का कोई ऐसा अभिलेख पाया गया नहीं था। इसने दर्शाया कि करार को तैयार करने में मिशन द्वारा उचित सावधानी नहीं बरती गई थी। यह एस.ई.के. 36,62,694 (₹ 2.38 करोड़) तक सेवा प्रदाता को परिणामी अनभिप्रेत लाभ सहित आवेदकों पर अनुचित वित्तीय भार का कारण बना। मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2011) कि मिशन ने राशि वापस करने हेतु सेवा प्रदाता को नोटिस जारी कर दिया था जिसकी विफलता पर राशि को प्रत्याभूति धन से वसूला जाएगा तथा कम्पनी को काली सूची में डाला जाएगा।

### 3.1.7.5 संविदा की शर्तों से विचलन

(i) पेरिस में मिशन ने 12 यूरो प्रति सामान्य आवेदन तथा तत्काल आवेदन हेतु 22 यूरो की दर पर तीन वर्षों की अवधि हेतु वीजा सहायता सेवाएं प्रदान करने हेतु मेसर्स वी.एफ.एस. के साथ फरवरी 2008 में एक करार किया था। सेवा प्रदाता ने सेवा प्रभारों के संशोधन हेतु अप्रैल 2009 में मिशन को निवेदन किया क्योंकि यह फ्रांस में अपने कार्यकलापों पर भारी घाटे का वहन कर रहा था। निवेदन के आधार पर मिशन ने निविदा प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना अपने विवेकाधीन प्रकार से अप्रैल 2009 से 12 यूरो से 14 यूरो प्रति सामान्य आवेदन तथा तत्काल आवेदनों हेतु 22 यूरो से 25 यूरो तक सेवा प्रभार का संशोधन किया।

संविदा अवधि के मध्य में सेवा प्रभार में कोई भी तदर्थ वृद्धि खुले निविदा के माध्यम से न्यूनतम बोलीकर्ता के चयन के मुख्य उद्देश्य को विफल करती है। मिशन ने बताया (जून 2011) कि मंत्रालय के अनुदेशों पर 6 जून 2011 से सेवा प्रभारों को वास्तविक दरों पर वापिस ला दिया गया था। तथ्य रहता है कि मिशन ने पर्याप्त औचित्य के अनुचित रूप

से सेवा प्रभारों में वृद्धि की। इसका परिणाम सेवा प्रदाता को ₹ 5.34 करोड़ के अनभिप्रेत लाभ में हुआ जिसे अप्रैल 2009 से जून 2011 की अवधि के दौरान जारी 3,41,656 सामान्य वीजा तथा 56,596 तत्कालीन वीजा पर बढ़े हुए सेवा प्रभारों के रूप में एकत्रित किया गया था।

(ii) मेड्रिड में मिशन ने वीजा सहायता सेवाओं का मार्च 2009 में मेसर्स वी.पी.एस., (मेसर्स बी.एल.एस. डिटेक्टिवस लि. का एक प्रभाग) को आउटसोर्स कर दिया गया था। तथापि, यह पाया गया था कि बाद में सेवा प्रदाता ने सेवाओं को एक स्थानीय फर्म को उपसंविदा से सौंप दिया था जो मंत्रालय की प्रारूप संविदा के प्रावधानों, जो अनुबंधित करते हैं कि केवल कोरियर, क्रेटरिंग तथा सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति आदि जैसे केवल छोटे कार्यों को उप संविदा से सौंपा जा सकता है, के उल्लंघन में था।

सेवा प्रदाता को संविदा पर हस्ताक्षर करने के चार महीनों के भीतर दो स्थानों (मेड्रिड तथा बार्सलोना) से आंशिक कार्यकलापों तथा आंशिक कार्यकलापों को शुरू करने के दो महीनों के भीतर पूर्ण कार्यकलापों को आरम्भ करना अपेक्षित था। सेवा प्रदाता ने जून 2009 से मेड्रिड में कार्यकलाप प्रारम्भ किया। तथापि, बार्सलोना में केन्द्र को 16 जनवरी 2011 तक प्रचालनात्मक नहीं बनाया गया था। मार्च 2010 में, आवेदनों की कम संख्या पर विचार करते हुए मिशन ने निर्णय लिया कि बार्सलोना में केन्द्र खोलना किसी उपयोगी उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा तथा मामला मंत्रालय के साथ उठाया। मंत्रालय ने संप्रेषित किया (सितम्बर 2010) कि सेवा प्रदाता को अपनी संविदागत बाध्याताओं की पूर्ति में बार्सलोना में केन्द्र खोलने की सलाह दी जानी चाहिए। मिशन ने फिर जनवरी 2011 में केन्द्र खोलने हेतु विलम्बित कार्रवाई की। बार्सलोना में केन्द्र खोलने हेतु सेवा प्रदाता द्वारा विलम्ब ने संविदागत बाध्याताओं का उल्लंघन स्थापित किया।

### 3.1.8 बजटीय आबंटन का अनुपयुक्त उपयोग

वित्त मंत्रालय ने विदेश में मिशनों तथा केन्द्रों के वाणिज्यदूत स्कंधों में अवसंरचना सुविधाओं के सुधार हेतु अप्रैल 2008 में ₹ 39 करोड़ की राशि का आवंटन किया। मंत्रालय ने बाद में निर्देशित किया कि आवंटित राशि को निर्धारित सरकारी प्रक्रियाओं तथा नियमों के अनुसार मिशनों/केन्द्रों के अध्यक्ष के पूर्ण नियंत्रण के अंतर्गत विनिर्दिष्ट उद्देश्य हेतु ही खर्च किया जाना चाहिए।

तथापि, 13<sup>13</sup> मिशनों तथा केन्द्रों में आवंटित तथा उपयोग निधियों की एक समीक्षा ने

<sup>13</sup> एथेंस, ब्रूसेल, कोपेहग, इडिनबर्ग, हेलिस्कि, लंदन, मैडरीड, मिलान, ओसला, पेरिस, रोम, द होग तथा वेनकोवर

प्रकट किया कि वाणिज्यदूत सुविधाओं के सुधार हेतु सम्पूर्ण प्रस्ताव कई मिशनों तथा केन्द्रों द्वारा तैयार नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त, आठ मिशनों में, आवंटित निधियों का 30 प्रतिशत से अधिक का अभ्यर्ण कर दिया गया था अथवा उन्हें व्यपगत होने दिया गया था। विशेष बजट के आवंटन तथा उपयोग को दर्शाने वाली तालिका नीचे दी गई है:

(₹ लाख में)

क्र.सं.	मिशन का नाम	बजट आवंटन	उपयोग	बचतें (%)
1	लंदन	1100.00	985.00	115.00(10.45)
2	रोम	60.00	37.00	23.00(38.33)
3	पेरिस	129.00	82.36	46.64(36.16)
4	हेलिस्कि	28.50	13.18	15.32(53.75)
5	कोपेंहग	32.05	21.97	10.08(31.45)
6	मिलान	84.75	48.50	36.25(42.77)
7	ब्रसल	45.00	36.35	08.65(19.22)
8	ओसलो	12.30	0.79	11.51(93.58)
9	इडिनबर्ग	5.00	2.92	2.08(41.60)
10	वेनकोवर	100.00	20.93	79.07(79.07)
कुल		<b>1596.60</b>	<b>1249.00</b>	<b>347.60(21.77)</b>

पर्याप्त बचत दर्शाती है कि मंत्रालय द्वारा वास्तविक आधार पर निधियों का आवंटन नहीं किया गया था।

विशेष बजट के उपयोग में पाई गई अन्य अनियमितताओं पर नीचे चर्चा की गई है:

### 3.1.8.1 निधियों का विपथन

वित्त मंत्रालय द्वारा विशेष शर्त कि आवंटित राशि का सुविधाओं के सुधार हेतु ही व्यय किया जाना चाहिए जिसमें अगर आवश्यकता है तो अतिरिक्त स्थान किराये पर लेना, काउंटरों की पर्याप्त संख्या का निर्माण, आंगतुको हेतु बैठने का पर्याप्त प्रबंध, शौचालय एवं जल जैसी आधारभूत आवश्यकताओं का प्रावधान तथा वाणिज्यदूत एवं वीजा स्कंधों हेतु अतिरिक्त उपकरण का प्रावधान शामिल था, सहित निधियों का आवंटन किया गया था।

तथापि मिशनो तथा केन्द्रों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा ने दर्शाया की ₹ 198.84 लाख का व्यय उस कार्य पर किया गया था जो निधियों के इस विशेष आवंटन के प्रत्याशित उद्देश्य के अनुसार नहीं था जैसा नीचे दर्शाया गया है:

(₹ लाख में)

मिशन/केन्द्र	वाणिज्यदूत अनुभाग से गैर संबंधित कार्य	राशि
भा.उ.आ. लन्दन	एंटीक मूल्य की पुरानी टूटी हुई कुर्सी की मरम्मत एवं पालिश	42.29
	अन्य स्कंधों प्रयोग हेतु कार्यालयी उपकरण जैसे कि पी.सी., सॉफ्टवेयर, प्रिंटर, की खरीद	28.68
	जलपान कक्ष की सुसज्जा*	100.11
भारतीय दूतावास, एंथेस	चांसरी की सीढियों का रंग रोगन, स्वागत कक्ष, मेज की खरीद एवं संस्थापन जो वाणिज्यदूत स्कंध हेतु नहीं थी तथा पुस्तकालय हेतु पुस्तक शेल्फ का निर्माण	10.45
भारतीय महावाणिज्यिक दूतावास, मिलान	स्टेशनरी तथा अन्य विविध मदों की खरीद	8.59
भारतीय महावाणिज्यिक दूतावास, बेनकोवर	वाणिज्यदूत स्कंध हेतु खरीदे गए फर्नीचर को महावाणिज्य के आवास में सुपुर्द किया गया	8.72
<b>कुल</b>		<b>198.84</b>

\* आम जनता हेतु जलपान कक्ष तक जाना निषेध था।

उक्त प्रकार के निधियों के विपथण के उदाहरणों ने मिशनों तथा केन्द्रों में कमजोर वित्तीय प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रणों को दर्शाया।

बेनकोवर में केन्द्र ने बताया (अक्टूबर 2011) कि 2009 में वाणिज्यदूत सेवाओं का आउटसोर्स कर दिया गया था तथा यह प्रत्याशित था कि वाणिज्यिक दूतावास में आगंतुकों की संख्या 300 से 20-25 प्रति दिवस तक प्रबल रूप से कम होगी। इसलिए वाणिज्यदूत स्कंध की स्थिति को ध्यान में रखते हुए फर्नीचर खरीदने का निर्णय लिया गया था।

महावाणिज्यिक दूतावास हेतु फर्नीचर की खरीद, केन्द्रों को मंत्रालय द्वारा आवंटित विशेष बजट के उद्देश्यों के उल्लंघन में थी। इसके अतिरिक्त महावाणिज्यिक दूतावास हेतु फर्नीचर खरीद मिशन के कार्यालय व्यय के बजट में से की जानी थी तथा न की वाणिज्यदूत स्कंध हेतु विशेष आवंटन से।

अन्य मिशनों/केन्द्रों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे।

### 3.1.9 कार्य का अनियमित सौंपा जाना

(i) सा.वि.नि. के नियम 176 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति सहित केवल विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत तथा ब्यौरेवार औचित्य, विशेष रूचि तथा पूरा किए जाने वाले उद्देश्य को दर्ज करने के पश्चात ही एकल स्रोत चयन अनुमत है। तथापि,



लंदन में मिशन निर्धारित प्रक्रियाओं से विचलित हुआ तथा बिना किसी प्रतियोगितात्मक निविदा के एक परामर्शी फर्म अर्थात् मेसर्स कथबर्ट लेक चार्टर सर्वेयर को नियुक्त किया (मई 2008) जो कि अनियमित था। फर्म को भवन तथा निर्माण कार्य परामर्शी सेवाएं प्रदान करने हेतु ₹ 30.14 लाख (मई 2008 से अप्रैल 2009) अदा किए गये थे।

मिशन ने उत्तर दिया (मार्च 2010) कि मेसर्स कथबर्ट लेक चार्टर्ड सर्वेयर 1942 के आरम्भ से ही इंडिया हाउस में कई परियोजनाओं में शामिल रहा था तथा उनके व्यावसायिक शुल्क रायल इस्टीमेट ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर्स की दरों के अनुसार थे तथा प्रतियोगी पाए गए थे। तथापि, प्रतियोगितात्मक निविदा के अभाव में दरों का उचित होना सुनिश्चित नहीं किया जा सका था।

### 3.1.10 डिजीटल डाटा स्टोरेज प्रणाली की खरीद पर निष्फल व्यय

सुविधाओं के सुधार हेतु योजना के अंतर्गत मिलान में केन्द्र ने एक स्थानीय फर्म<sup>14</sup> से सरल पुनः प्राप्ति हेतु वीजा, पासपोर्ट तथा वाणिज्यदूत अभिलेखों के इलेक्ट्रॉनिक संग्रहण के लिए एक डिजीटल डाटा स्टोरेज प्रणाली<sup>15</sup> खरीदी (मार्च 2009)। प्रणाली की लागत 44089 यूरो (₹ 27.78 लाख<sup>16</sup>) थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रणाली को ऐपलिकेशन सॉफ्टवेयर के अभाव के कारण उपयोग में नहीं लाया जा सका जिसे एन.आई.सी. द्वारा प्रदान किया जाना था। मंत्रालय उपकरण को चलाने के लिए अपेक्षित सॉफ्टवेयर की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में विफल रहा। इसी बीच, प्रणाली की वारंटी भी मार्च 2010 में समाप्त हो गई।

केन्द्र ने बताया (मार्च 2012) कि सॉफ्टवेयर के संस्थापन तथा प्रशिक्षण के प्रावधान हेतु बार-बार अनुरोध के बावजूद एन.आई.सी. के दल ने मिलान में केन्द्र का दौरा नहीं किया था। इसके अतिरिक्त इसने यह भी सूचित किया कि सभी पेरिफेरलों (कम्प्यूटर प्रणाली तथा स्केनर) को विभिन्न कार्यालयी कार्यों हेतु उपयोग किया जा रहा था तथा केवल सर्वर तथ बैकअप प्रणाली अप्रयुक्त रही।

तथ्य रहता है कि वि.मं. द्वारा आवश्यक समन्वय की कमी पिछले तीन वर्षों के लिए अभिप्रेत उद्देश्य हेतु ₹ 27.78 लाख की कीमत की डाटा स्टोरेज प्रणाली के गैर-उपयोग का कारण बनी।

<sup>14</sup> मैसर्स ओपीमेन्ट, मिलान

<sup>15</sup> एल.सी.डी. मानीटर, पी.सी., स्केनर, सर्वर तथा पूर्ण बैकअप प्रणाली

<sup>16</sup> एक यूरो=₹ 63.010 (माह मार्च 2009 हेतु सरकारी विनिमय दर के अनुसार)

## निष्कर्ष

मिशन तथा केन्द्र काउंसलर सेवाओं के प्रबंधन तथा प्रदान करने हेतु उत्तरदायी हैं। इन उत्तरदायित्वों को निभाने में इन्हें भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं का अनुपालन करना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मिशन तथा केन्द्र वीजा तथा अन्य वाणिज्यदूत सेवाओं हेतु मंत्रालय द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार शुल्कों का उद्ग्रहण नहीं कर रहे थे जिसका परिणाम ₹ 37.26 करोड़ के कम उद्ग्रहण में हुआ। मिशनों तथा केन्द्रों द्वारा भारतीय समुदाय कल्याण निधि की योजना का कार्यान्वयन विलम्बित था जिसका परिणाम ₹ 21.55 करोड़ के शुल्क के गैर-उद्ग्रहण में हुआ। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यदूत प्राप्तियों को सरकारी लेखे में प्रेषण में अधिक विलम्ब था। विदेश में मिशन निर्धारित प्रावधानों के उल्लंघन में वीजा सेवाओं की आउटसोर्सिंग कर रहे थे जिसका परिणाम वित्तीय अनौचित्य तथा सेवा प्रदाताओं के चयन में पारदर्शिता की कमी में हुआ।

मिशन तथा केन्द्र, वाणिज्यदूत सेवाओं हेतु अवसंरचना सुविधाओं के सुधार हेतु प्रदान विशेष बजट का उपयोग नहीं कर सके तथा कुछ मामलों में अन्य गतिविधियों हेतु निधियों का विपथण किया।

मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2011) कि विदेश में मिशन तथा केन्द्र लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों से सहमत हुए थे तथा इनके संदर्भ में भविष्य में ऐसी चूकों से बचने हेतु कदम उठाने प्रारम्भ कर दिए थे। इसने काउंसलर स्कंध के कार्यों को नियंत्रित करने वाले नियमों तथा प्रावधानों की अनुपालना की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

## अनुशंसाएं

- मिशन तथा केन्द्र यह सुनिश्चित करें कि उद्ग्रहित तथा एकत्रित शुल्क की राशि का शीघ्रता से बैंक में प्रेषण किया गया है। मिशन यह भी सुनिश्चित करें कि काउंसलर प्राप्तियाँ उचित रूप से वसूली गई हैं तथा सेवाएं प्रदान करने से पहले सरकारी खाते में ली गई है।
- मिशन सेवाओं की आउटसोर्सिंग हेतु मंत्रालय के दिशानिर्देशों तथा सा.वि.नि. का अनुपालन सुनिश्चित करें। वह यह भी सुनिश्चित करें कि सेवा प्रदाताओं द्वारा संविदागत बाध्यताओं को पूर्ण रूप से पूरा किया गया है।

- मंत्रालय प्रत्येक मिशन तथा केन्द्र की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार बजटीय आवंटनों का उपयुक्त निर्धारण सुनिश्चित करें। मिशन तथा केन्द्र विशिष्ट उद्देश्यों हेतु विशेष बजटों का उपयुक्त उपयोग सुनिश्चित करें।
- मंत्रालय यह सुनिश्चित करने हेतु कि प्राप्तकर्ता अपने संचारणों/आदेशों की प्राप्ति स्वीकारे तथा शीघ्रता से इनके आदेशों की अनुपालना करे, एक मानीटरिंग तन्त्र स्थापित करें।

### 3.2 लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूली

विदेश मंत्रालय तथा विदेश में मिशनों एवं केन्द्रों के लेन-देनों की लेखापरीक्षा ने कमजोर आंतरिक नियंत्रणों को प्रकट किया जो अधिक भुगतानों का कारण बने। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर आवश्यक वसूलियां की गई थी। जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

#### 3.2.1 निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं की अनुपालना में विफलता के कारण अधिक भुगतान

निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं का पालन करने में विदेश में मिशनों/केन्द्रों की विफलता 263 मामलों में 56 मिशनों द्वारा कुल ₹ 91.96 लाख की राशि तक के वेतन एवं भत्तों तथा अन्य विविध भुगतानों के अधिक भुगतान का कारण बनी। इन्हें 2009-11 के दौरान लेखापरीक्षा दृष्टांत पर वसूला गया था।

2008-09 के भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सं. 14 का पैरा 3.3.3 2005-08 के दौरान लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर विदेश में मिशनों/केन्द्रों के कर्मचारियों से ₹ 36.55 लाख के अधिक अदा किए वेतन एवं भत्तों की वसूली को पदर्शित किया था।

मंत्रालय ने, अपनी कार्यवाही टिप्पणी में, चूकों के होने को स्वीकार किया था (जनवरी 2010) जिसका परिणाम विदेश में मिशनों/केन्द्रों के कर्मचारियों को अधिक भुगतान में हुआ। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने बताया था कि वित्तीय मामलों में निर्धारित प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करने हेतु सभी मिशनों/केन्द्रों को अनुदेश जारी कर दिए गए थे।

विदेश में विभिन्न भारतीय मिशनों/केन्द्रों के अभिलेखों की अनुवर्ती लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि वेतन एवं भत्तों तथा अन्य विविध भुगतानों के अधिक भुगतान होने जारी रहे जिसने दर्शाया कि उनके वित्तीय नियंत्रण कमजोर थे। 2009-11 के दौरान लेखापरीक्षा दृष्टांत पर 263 मामलों में ₹ 91.96 लाख की वसूली की गई थी जैसा कि अनुबंध - XIII में ब्यौरा दिया गया है।

### 3.2.2 अनुबंध प्रदान करने में विवेकपूर्णता का अभाव

इंडोनेशिया में एक सू.प्रौ. प्रयोगशाला के संस्थापन हेतु बोलियों के मूल्यांकन में समुचित विवेकपूर्णता का अभाव, अनुचित वार्षिक अनुरक्षण प्रभार एवं अतिरिक्त मूल्य वर्द्धित कर में छूट, के बाबत 51.67 लाख के अतिरिक्त राशि पर अनुबंध को सौंपे जाने का कारण बना। लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर, मिशन ने ₹ 30.56 लाख की वसूली की तथा ₹ 21.11 लाख के भुगतान को रोका।

भारतीय दूतावास द्वारा (सितम्बर 2010 में) इंडोनेशिया की थल सेना के लिए एक सू.प्रौ. प्रयोगशाला की परियोजना के संस्थापन हेतु निविदाएं प्रसारित की गईं। प्राप्त चार बोलियों के तकनीकी एवं वाणिज्यिक मूल्यांकन के आधार पर मैसर्स पीटी सीट्रा कार्या सेमेस्टा के प्रस्ताव को \$ 5,24,882.91 अमेरिकी डॉलर के कुल अनुबंध मूल्य, जिसमें \$ 40,925.17 अमेरिकी डॉलर वैट के लिए तथा \$ 74,706.04 अमेरिकी डॉलर 5 वर्ष के वार्षिक अनुरक्षण प्रभार के लिए शामिल थे, पर सबसे कम पाया गया। इसलिए प्रतिष्ठान को (फरवरी 2011) कार्यदेश दिया गया।

दस्तावेजों के लेखापरीक्षण ने प्रकट किया कि मंत्रालय की स्वीकृति के अनुसार, वारंटी की समाप्ति के पश्चात् उपकरणों के अनुरक्षण का उत्तरदायित्व इंडोनेशिया सरकार का था। इसके अतिरिक्त, मिशन इंडोनेशिया सरकार द्वारा वैट के भुगतान से छूट प्राप्त था और इस संबंध में मिशन द्वारा विक्रेता को एक प्रमाण-पत्र दिया गया था। इस प्रकार मिशन ने बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन में गलती की तथा \$ 1,15,631.21 अमेरिकी डॉलर (₹ 51.67 लाख) की अतिरिक्त राशि पर न्यूनतम निविदाकर को आदेश दिया।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किए जाने पर (मई 2011), मिशन ने प्रतिष्ठान के समक्ष इस मुद्दे को उठाया और \$ 68,391.75 अमेरिकी डॉलर (₹ 30.56 लाख<sup>17</sup>) के अधिक अदायगी की वसूली (मई 2011) की और यह बताया कि वैट राशि अदा नहीं की जाएगी। इस प्रकार, लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर, ₹ 30.56 लाख की वसूली की गयी और ₹ 21.11 लाख की अदायगी रोकी गयी।

### 3.2.3 कमजोर आंतरिक नियंत्रण के कारण अधिक भुगतान

चीन में भारतीय समारोह आयोजित करने हेतु मिशन द्वारा भाड़े पर नियुक्त अभिकरण के दावों को प्राधिकृत करने में उपयुक्त विवेकपूर्णता की कमी सहित कमजोर आंतरिक नियंत्रण का परिणाम डुप्लीकेट इनवाइस पर दोहरे भुगतान में हुआ। लेखापरीक्षा दृष्टांत पर इस कारण से ₹ 13.32 लाख के अधिक भुगतान की वसूली की गई

<sup>17</sup> 1 अमेरिकी डॉलर = ₹ 44.69 की दर पर

बीजिंग में भारतीय दूतावास ने अप्रैल से अक्टूबर 2010 के दौरान, भारतीय महोत्सव हेतु चीन के विभिन्न शहरों में भारत से नृत्य एवं संगीत मण्डलियों का आयोजन करने हेतु एक अभिकरण की सेवाएं किराए पर लीं। अभिकरण द्वारा प्रस्तावित की जाने वाली सेवाओं में मण्डलियों का होटल में आवास, हवाई टिकट, यात्री सामान तथा स्थानीय परिवहन शामिल था।

लेखापरीक्षा द्वारा संबंधित इनवाईस तथा भुगतान वाउचरों की जाँच ने निम्नलिखित के कारण आर.एम.बी. 1,63,840 अर्थात् ₹ 13.32 लाख (अनुबंध-XIV) के अधिक भुगतान को प्रकट किया:

- क** समरूप इनवाईस संख्या तथा सेवाओं के वर्णन सहित तीन इनवाईस को अभिकरण द्वारा तीन बार प्रस्तुत तथा मिशन द्वारा तीन बार अदा किया गया था।
- ख** समरूप इनवाईस संख्या तथा सेवाओं के वर्णन सहित आठ इनवाईस को अभिकरण द्वारा तीन बार प्रस्तुत तथा मिशन द्वारा दो बार अदा किया गया था।

उपरोक्त को इंगित किए जाने पर (जुलाई 2011) मिशन संपूर्ण अधिक अदा की राशि की वसूली की (दिसम्बर 2011)।

### **3.2.4 स्पीड पोस्ट शुल्क की थोक बुकिंग पर योग्य छूट हेतु दावे का अनुसरण न करना।**

स्पीड पोस्ट की थोक बुकिंग पर योग्य छूट हेतु दावे का अनुसरण न करने के परिणामस्वरूप ₹ 19.80 लाख का परिहार्य व्यय हुआ। लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर डाक प्राधिकरण द्वारा ₹ 11.66 लाख की राशि लौटा दी गई है।

डाक विभाग के अंतर्गत व्यवसाय विकास एवं विपणन निदेशालय (व्य.वि.वि.नि.) उन उपभाक्ताओं को जो ₹ 2,50,001 तथा अधिक का मासिक स्पीड पोस्ट व्यवसाय प्रदान करते हैं उन्हें स्पीड पोस्ट शुल्क पर 20 प्रतिशत की छूट प्रदान (अगस्त 2001) की। संपूर्ण छूट प्राप्त करने हेतु इलेक्ट्रानिक प्रारूप में स्पीड पोस्ट डाटा प्रस्तुत करना अपेक्षित था। व्य.वि.वि.नि. ने स्पष्ट (जुलाई 2009) किया था कि अगर बुकिंग डाटा इलेक्ट्रानिक प्रारूप की बजाए कागज में लिखकर प्रदान किया गया है तो सितम्बर 2009 से थोक छूट को आधा कर दिया जाएगा।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (क्षे.पा.का.) मुंबई नियमित रूप से ₹ 4 लाख से अधिक का मासिक स्पीड पोस्ट व्यवसाय प्रदान करता आ रहा था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि क्षे.पा.का. ने थोक बुकिंग पर छूट दिसम्बर 2008 तक प्राप्त की थी। तथापि, जनवरी 2009 से छूट प्राप्त करने के अभ्यास को बंद कर दिया गया इसके लिए अभिलेखों में कारण दर्ज नहीं था। लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर, क्षे.पा.का. मुंबई ने जनवरी 2009 की अवधि से उपयुक्त छूट के लिए डाक प्राधिकारियों से माँग प्रस्तुत (अगस्त 2010) की।

इसके पश्चात् जनवरी 2009 से मार्च 2010 तक की अवधि के लिए ₹ 11.66 लाख की राशि वसूल की गई थी (सितम्बर 2010)।

## अध्याय IV : गृह मंत्रालय

### भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल

#### 4.1 संस्वीकृतियों का विभाजन

महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने जून 2010 से मार्च 2011 के बीच ₹ 4.72 करोड़ की कुल मूल्य की 19 विभाजित संस्वीकृतियाँ प्रदान की। मंत्रालय को मामला प्रेषित करने की आवश्यकता से बचने के उद्देश्य से, प्रत्येक संस्वीकृति का, ₹ 25 लाख की वित्तीय शक्ति के भीतर सीमित किया गया था।

गृह मंत्रालय द्वारा महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल (म.नि., भा.ति.सी.पु.) को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के अनुसार, म.नि. प्रत्येक मामले में ₹ 25 लाख की सीमा तक कम्प्यूटर तथा बाह्य उपकरणों की खरीद हेतु प्राधिकृत थे। मंत्रालय ने शक्तियों के प्रत्यायोजन को प्रदान करते समय (अगस्त 2009) सभी प्रापणों में सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुपालन पर जोर दिया। नियमावली प्रावधान करती है कि उच्चतर प्राधिकारियों की संस्वीकृतियाँ प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने हेतु वस्तुओं की मांगों को विखंडित खरीद बनाने के लिए छोटी मात्राओं में विभाजित नहीं किया जाना चाहिए।

भा.ति.सी.पु. ने अपनी संचालनात्मक तथा प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अपनी फील्ड इकाइयों के लिए जून 2010 से मार्च 2011 के बीच कम्प्यूटर प्रणाली, सॉफ्टवेयर तथा संबंधित वस्तुओं का प्रापण किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रापणों को म.नि. (भा.ति.सी.पु.) की प्राधिकृत सीमा के भीतर प्रत्येक खरीद को सीमित करने हेतु अनुक्रमित किया गया था। भा.ति.सी.पु. ने जून 2010 से मार्च 2011 के बीच ₹ 4.72 करोड़ की कुल मूल्य की 19 विभाजित संस्वीकृतियाँ प्रदान की। मंत्रालय की स्वीकृति से बचने के उद्देश्य से प्रत्येक संस्वीकृति को ₹ 25 लाख की वित्तीय शक्तियों के भीतर सीमित किया गया था। प्रत्येक अवसर पर प्रभारित राशि प्राधिकृत सीमा के बहुत ही करीब थी। प्रत्येक 18 मामलों में, संस्वीकृति राशि ₹ 24.82 लाख से ₹ 24.99 लाख के बीच थी। प्रापण के ब्यौरे अनुबंध-XV में दिए गए हैं।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर भा.ति.सी.पु. ने बताया (जून 2011) कि संस्वीकृतियाँ इसलिए प्रदान की गई थी क्योंकि आवश्यकताएँ बहुत ही जरूरी थीं तथा दर संविदा कुछ दिनों में समाप्त होने वाली थी। उन्होंने यह भी बताया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को भविष्य में अनुपालन हेतु दर्ज कर लिया था।

उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि अत्यावश्यकता के आधार पर स्थापित नियमावली तथा प्रक्रियाओं के अनुपालन से समझौता नहीं किया जाना चाहिए था। तथ्य यह है कि प्रापणों हेतु कई संस्वीकृतियां थीं जिन्हें मंत्रालय को प्रेषित करने की आवश्यकता से बचने के उद्देश्य से अनुक्रमित किया गया था जिससे मंत्रालय के प्राधिकार की अनदेखी की गई।

मामला दिसम्बर 2011 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर मई 2012 तक प्रतीक्षित था।

### आसूचना ब्यूरो

#### 4.2 अनुपयुक्त प्रापण योजना के कारण परियोजना के निष्पादन में विलम्ब तथा उपकरणों का निष्क्रिय पड़े रहना

आसूचना ब्यूरो द्वारा इनक्रिप्टर्स का प्रापण करने से पूर्व इंटरनेट नेटवर्क के संस्थापन हेतु विभिन्न संबंधित कार्यों को समक्रमिक करने की विफलता दो वर्षों की अवधि तक ₹ 2.89 करोड़ के व्यर्थ पड़े रहने का कारण बनी।

आसूचना ब्यूरो (आ.ब्यू.) ने पूरे देश में आ.ब्यू. मुख्यालय तथा सहायक आ.ब्यू. (स.आ.ब्यू.) के बीच सुरक्षित तथा विश्वसनीय दूरसंचार संयोजकता प्रदान करने के उद्देश्य से इंटरनेट नेटवर्क परियोजना के चरण-I को कार्यान्वित किया (अप्रैल 2006)। नेटवर्क का उद्देश्य टेलीफोन संयोजकता, विडियो कानफैरेंसिंग तथा सामूहिक डाटा लेन-देन के माध्यम से संवेदनशील सूचना के विनिमय की सुविधा प्रदान करना था। इस परियोजना के अंतर्गत, 22 स.आ.ब्यू. आ.ब्यू. मुख्यालय से जुड़े हुए थे। चरण II कार्यान्वयन में इंटरनेट परियोजना से 18 और केन्द्र जुड़ गए। यह कार्य दिसम्बर 2009 में पूर्ण हुआ था।

आ.ब्यू. ने परियोजना (चरण-III) के कार्यान्वयन हेतु 72 इनक्रिप्टर्स<sup>1</sup> का प्रापण करने का निर्णय लिया (मई 2008)। इन्हें पूरे देश में 21 स्थानों पर संस्थापित किया जाना अपेक्षित था। निम्न आधार पर आवश्यकता का निर्धारण किया गया था:

- 42 इंनक्रायपटर्स इकाईयां 21 स्थानों हेतु तथा शेष 18 वैकल्पिक उद्देश्य हेतु आवश्यक थीं।

<sup>1</sup> यह एक गोपनीयता बनाए रखने का उपकरण है। इनक्रीपशन डाटा का एक प्रारूप नामतः साईरटैक्सट में बदलाव है जो अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा असानी से नहीं समझा जा सकता।



- 12 इनक्रिपशन इकाईयां विभिन्न इमारतों से आ.ब्यू. मुख्यालय के मेन फ्रेम कम्प्यूटर को सुरक्षित संयोजकता प्रदान करने हेतु थीं।

निदेशक, आ.ब्यू. ने स्वाम्य अनुच्छेद प्रमाणपत्र<sup>2</sup> के आधार पर मैसर्स बी.ई.एल. से इन इनक्रिप्टर्स के प्रापण हेतु स्वीकृत प्रदान की (मई 2008)। उपकरणों का प्रापण तथा संस्थापन स्वीकृति की तिथि से सात माह के भीतर समाप्त किया जाना प्रत्याशित था। आ.ब्यू. ने ₹ 2.93 करोड़ की लागत के 72 इनक्रिप्टर्स के प्रापण हेतु प्रतिष्ठान को आपूर्ति आदेश दिया (सितम्बर 2009)। उपकरणों की सुपुर्दगी अक्टूबर तथा नवम्बर 2009 के बीच प्राप्त की गई थी। उपकरणों की आपूर्ति में देरी के लिए ₹ 4.39 लाख की स्पष्ट हानियों को काटने के पश्चात जून 2010 में फर्म को अंतिम भुगतान किया गया था।

परियोजना के कार्यान्वयन में उपकरण के संस्थापन हेतु उपयुक्त स्थल का चयन, हार्डवेयर का प्रापण तथा टेलीफोन लाईनों को पट्टे पर लेने सहित कई कार्य शामिल थे। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि आई.बी. प्रापण प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न कार्यों को समक्रमिक करने में विफल था। लाईनों को पट्टे पर लेने हेतु कार्रवाई, जो संस्थापन का एक मुख्य घटक था, उपकरण की प्राप्ति के लगभग दो वर्षों के पश्चात जून 2011 में जाकर ही प्रारम्भ की गई थी। परिणामस्वरूप, उपकरण को जनवरी 2012 तक उपयोग में नहीं लाया जा सका। इसी बीच, इन मशीनों की वारंटी अवधि भी समाप्त हो गई थी।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि 72 इनक्रिप्टर्स में से 27 विभिन्न इकाईयों को जारी तथा 45 भंडार में पड़े रहे। विभाग द्वारा उनके प्रतिस्थान हेतु स्थानों को अगस्त 2011 तक निर्धारित नहीं किया गया था। इंटरनेट संयोजकता हेतु स्थलों में प्रारम्भिक प्रस्ताव की तुलना में निरंतर बदलाव हुए। विभाग द्वारा प्रारम्भ में चयनित 21 स्थलों के प्रति केवल 18 स्थलों (आठ स्थानों सहित जो प्रारम्भिक प्रस्ताव में शामिल नहीं थे) को संयोजकता प्रदान करने हेतु अंतिम रूप से प्रस्तावित किया गया था (अगस्त 2011)। इस प्रकार, स्थलों को इनक्रिप्टर्स के प्रापण के लगभग दो वर्षों के पश्चात अंतिम रूप दिया गया था।

उपरोक्त तथ्य स्थापित करता है कि प्रापण प्रक्रिया खराब योजना एवं कार्यान्वयन द्वारा चिह्नित थी। परियोजना की नियुक्ति हेतु संबंधित अवसंरचना की उपलब्धता को

<sup>2</sup> इस प्रभाव में एक प्रमाणपत्र कि वस्तु विशेष प्रत्यक्ष रूप से एक ही उत्पादक/कम्पनी के स्वामित्व में थी।

सुनिश्चित करने में आई.बी. की विफलता सहित स्थलों को अंतिम रूप देने में असाधारण विलम्ब दो वर्षों से अधिक के लिए ₹ 2.89 करोड़ की कीमत के उपकरण की व्यर्थता का कारण बना।

मंत्रालय ने बताया (जून 2012) कि आ.ब्यू. इंटरनेट नेटवर्क परियोजना के चरण-III के कार्यान्वयन के मध्य में ही सरकार ने नवम्बर 2008 में मुंबई में आंतकी हमले ध्यान में रखते हुए एक अन्य परियोजना, अर्थात् एम.ए.सी.- एस.एम.ए.सी. -आ.ब्यू. को विभिन्न आसूचना योगदानों के सहयोग हेतु एक देश-व्यापी नेटवर्क सौंपी गई थी। कार्य की प्रमात्रा में वृद्धि के कारण, जो जून 2009 में अपनी चरमसीमा पर था, इंटरनेट परियोजना को कम प्राथमिकता दी गयी थी। इसलिए, परियोजना के चरण-III हेतु हार्डवेयर का प्रापण लाईनों के लिसिंग को समय पर पूरा नहीं किया जा सका तथा यह विलम्बित रहा।

मंत्रालय ने यह भी बताया कि नई परिचालनात्मक आवश्यकता के अंतर्गत कुछ नए स्थलों शामिल किए गए थे जबकि कुछ छोड़ दिए थे। इसने आगे बताया कि लाईनों की लिसिंग का मामला अब सुलझ गया था तथा परियोजना को जून 2012 तक कार्यान्वित किया जाना प्रत्याशित था।

उत्तर स्थापित करता है कि आ.ब्यू. सितम्बर 2009 में आपूर्ति आदेश देने के समय कार्य की प्रमात्रा में वृद्धि के कथित कारणों से अवगत था। इस प्रकार, यह उपकरण की व्यर्थता से बचने हेतु इंटरनेट परियोजना के लिए प्रापण प्रक्रिया को स्थगित करने की स्थिति में था।

इस प्रकार, अनुचित प्रापण योजना दो वर्षों से अधिक के लिए ₹ 2.89 करोड़ के उपकरण की व्यर्थता का कारण बनी।

#### **4.3 स्टाफ मकानों के निर्माण में असाधारण विलम्ब**

सहायक आसूचना ब्यूरो, लखनऊ द्वारा स्टाफ मकानों के निर्माण में असाधारण विलम्ब से ₹ 2.17 करोड़ की लागत बढ़ी तथा छः वर्ष से अधिक का समय लगा इसका परिणाम अपने स्टाफ सदस्यों को मकान किराया भत्ता के भुगतान के प्रति ₹ 86.59 लाख के परिहार्य व्यय में भी हुआ।

आसूचना ब्यूरो (आ.ब्यू.) ने 1999 में सहायक आसूचना ब्यूरो (स.आ.ब्यू.), लखनऊ के स्टाफ के लिए 118 मकानों का निर्माण करने का निर्णय लिया। स्टाफ मकानों के निर्माण का निर्णय कर्मचारियों को प्रति वर्ष भुगतान किए जा रहे ₹ 12.12 लाख के मकान किराया भत्ता की बचत की प्रत्याक्षा में लिया गया था। तदनुसार, आ.ब्यू. ने, गृह

मंत्रालय की स्वीकृति से, लखनऊ विकास प्राधिकरण (ल.वि.प्रा.) से गोमती नगर, लखनऊ में तीन एकड़ की भूमि अर्जित की (नवम्बर 1999)। भूमि की कीमत ₹ 2.45 करोड़ थी। बाद में, आ.ब्यू. ने ₹ 6.17 करोड़ की अनुमानित लागत पर आवासीय मकानों के निर्माण हेतु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) द्वारा तैयार प्रस्ताव को मंत्रालय को प्रस्तुत किया (जुलाई 2003)। परियोजना की समाप्ति हेतु निर्धारित समय में आरेखन, डिजाईन तैयार करने एवं निविदा आदि हेतु छः महीने तथा निर्माण कार्य हेतु दो वर्ष सम्मिलित थे। इस प्रकार परियोजना को दिसम्बर 2005 तक पूरा करना निर्धारित था।

लेखापरीक्षा ने स्टाफ मकानों के निर्माण में असाधारण विलम्ब पाया। स्टाफ मकानों के निर्माण में शामिल घटनाओं का समयानुक्रम **अनुबंध-XVI** में दिया गया।

परियोजना हेतु योजनाएं तैयार करने में विलम्ब थे। नवम्बर 1999 में भूमि प्राप्त करने के पश्चात आ.ब्यू. ने मई 2002 में जाकर के.लो.नि.वि., लखनऊ को अभिन्यास योजना प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया। आ.ब्यू. ने इस विलम्ब का कारण चहारदीवारी का निर्माण बताया। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि चारदीवारी के निर्माण एक अलग मामला था, जिसका अभिन्यास योजना प्राप्त करने में शामिल प्रक्रियाओं से कोई सीधा संबंध नहीं था। के.लो.नि.वि. द्वारा जुलाई 2002 में अभिन्यास योजना प्रस्तुत की गई थी। इसे आगे संशोधित किया गया तथा सितम्बर 2002 में पुनः प्रस्तुत किया गया था। बाद में, के.लो.नि.वि. को कार्य हेतु प्राथमिक अनुमान तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया था (दिसम्बर 2002), जिसे जनवरी 2003 में आ.ब्यू. द्वारा प्राप्त किया गया था। इसके पश्चात मंत्रालय की स्वीकृति की मांग की गई थी (जुलाई 2003)।

मंत्रालय ने इस संबंध में कि क्या अनुमान प्राधिकरण (जनवरी 2004) के अनुसार तैयार किए गए थे, स्लक सेवाओं<sup>3</sup> की वास्तविक लागत (दिसम्बर 2004) आदि का स्पष्टीकरण प्राप्त करने में लगभग दो वर्ष लिए। इस प्रकार, मंत्रालय ने परियोजना को अंतिम रूप से स्वीकृत करने हेतु दो वर्षों से अधिक का समय लिया। परिणामस्वरूप, परियोजना की लागत, जिसे जनवरी 2003 में प्राथमिक रूप से ₹ 6.17 करोड़ अनुमानित किया गया था, मई 2005 में ₹ 9.67 करोड़ तक बढ़ गई। परियोजना के सिविल कार्य जुलाई 2009 में पूर्ण हुए।

<sup>3</sup> ऊपरी टंकियां, सीवर निर्माण, ट्यूबवेल आदि

परियोजना का सिविल कार्य जुलाई 2009 में समाप्त किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि आ.ब्यू. ने दिसम्बर 2011 तक परियोजना पर ₹ 10.79 करोड़<sup>4</sup> का व्यय किया था। आ.ब्यू. द्वारा फरवरी 2012 में परिसर का स्वामित्व प्राप्त किया था। यह पाया गया था कि अप्रैल 2010 से फरवरी 2012<sup>5</sup> के दौरान प्रत्याशित आवंटकों को अदा किए गए मकान किराया भत्ता के कारण कम से कम ₹ 86.59 लाख का परिहार्य व्यय था।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, आ.ब्यू. ने सूचित किया (नवम्बर 2011) कि यद्यपि परियोजना का सिविल कार्य जुलाई 2009 में समाप्त हो गया था फिर भी बिजली सब स्टेशन एवं जल आपूर्ति को सक्रिय करने से संबंधित कुछ कमियों के कारण परिसर का स्वामित्व प्राप्त नहीं किया जा सका। इसने परिसर के निर्माण में शामिल विभिन्न प्रक्रियाओं को भी विलम्ब हेतु कारण के रूप में आरोपित किया।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2011 तथा मार्च 2012) कि भवन को प्राप्त करने में विलम्ब मुख्यतः स्थानीय निकायों से अनापत्ति प्राप्त करने में के.लो.नि.वि. के गैर-सहयोग के कारण था।

मंत्रालय के.लो.नि.वि. पर पूर्ण दोष नहीं डाल सकता क्योंकि आ.ब्यू. तथा मंत्रालय की ओर से विलम्बों ने भी ₹ 2.17 करोड़ की लागत वृद्धि तथा छः वर्षों से अधिक की समय वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस अवधि के दौरान प्रत्याशित आवंटियों को अदा किए मकान किराया भत्ते के रूप में वित्तीय प्रभाव था। लेखापरीक्षा ने पाया कि समय पर घरों का आवंटन न करने के कारण अप्रैल 2010 से फरवरी 2012 के दौरान इसके कारण ₹ 86.59 लाख का परिहार्य व्यय किया गया था।

इस तरह, स्टाफ क्वार्टर्स के निर्माण में अत्याधिक विलंब परियोजना पर सारभूत समय तथा अधिक लागत का कारण बना। इस कारण आसूचना ब्यूरो के कार्मिक सदस्यों को मकान किराया भत्ता के प्रति प्रभार भुगतान किया गया।

<sup>4</sup> ₹ 2.45 करोड़ (भूमि की कीमत) जमा निर्माण सूचित व्यय के प्रति ₹ 8.34 करोड़

<sup>5</sup> आवंटन के पहले आवश्यक कार्यों की समाप्ति हेतु आठ माह की अवधि को यथोचित माना गया है। इसलिए परिहार्य व्यय को अप्रैल 2010 से फरवरी 2012 तक परिकलित किया गया है।

## राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड

### 4.4 लेखापरीक्षा दृष्टांत पर कर्मचारी कल्याण उपकर की वसूली

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने लेखापरीक्षा दृष्टांत पर लेखापरीक्षा द्वारा परिकलित ₹ 38.54 लाख की कम वसूली में से ₹ 12.84 लाख का निर्माण कर्मचारी कल्याण उपकर वसूला।

भवन एवं अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण उपकर अधिनियम 1996 निर्माण श्रमिकों के नियोक्ताओं से ऐसी दर जो निर्माण लागत के दो प्रतिशत से अधिक न हो परंतु एक प्रतिशत से कम न हो, उपकर संग्रहण का प्रावधान करता है। इस प्रकार के संग्रहित उपकर को संग्रहण की लागत को कम करने के पश्चात, भवन एवं अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण बोर्ड को अदा किया जाना होता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (रा.सु.गा.), मानेसर के निर्माण स्क्वाड्रन स्कंध ने अप्रैल 2005 से मार्च 2011 के दौरान विभिन्न ठेकेदारों को नियुक्ति करके ₹ 38.54 करोड़ की लागत के विभिन्न निर्माण कार्य निष्पादित किए। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि इन निर्माण कार्यों पर ₹ 38.54 लाख के उपकर की कटौती नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर (अक्टूबर 2010), रा.सु.गा. ने फरवरी 2012 तक ₹ 12.84 लाख की वसूली की थी। शेष राशि को अभी भी वसूल किया जाना था।

## अध्याय V : मानव संसाधन विकास मंत्रालय

### उच्च शिक्षा विभाग

#### 5.1 लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर संशोधक कार्रवाई

मंत्रालय वर्तमान नियमों के अनुवर्तन में विफल रहा और आई.आई.टी. मद्रास अनुसंधान पार्क को प्रयोज्य ब्याज दर 11.5 प्रतिशत के स्थान पर तीन प्रतिशत पर ₹ 100 करोड़ का ऋण दिया। लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर मंत्रालय ने ब्याज दर को परिवर्तित करने की संशोधक कार्रवाई की जिससे ₹ 46.75 करोड़ का घाटा होने से रोका गया।

सामान्य वित्तीय नियमों के अधिनियम 221(1) के अनुसार, किसी भी ऋण अथवा ऋणों की श्रेणी के लिए सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर ब्याज लिया जाता है। आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, ने अक्टूबर 2007 के अपने कार्यलय ज्ञापन में, केन्द्र सरकार द्वारा, सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ सहकारी क्षेत्रों के औद्योगिकी एवं वाणिज्यिक उपक्रमों को दिए जाने वाले निवेश-ऋणों पर 11.5 प्रतिशत प्रति वर्ष का ब्याज दर निर्धारित किया था।

उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आई.आई.टी. मद्रास अनुसंधान पार्क, जो कम्पनी एक्ट, 1956 के सेक्शन 25 के अंतर्गत गठित एक कम्पनी है, को 100 करोड़ का ऋण दिया। विभाग के व्यय वित्त समिति ने, जुलाई 2009 में बुलाई गयी अपनी बैठक में यह महसूस किया कि ऋण पर, सार्वजनिक क्षेत्र/सहकारी उपक्रमों के निवेश ऋण पर लागू ब्याज दर, ही लिया जाना चाहिए। समिति ने यह भी जोड़ा कि ऋण के अनुमोदन में सा.वि.अ. 2005 में निर्धारित सभी प्रक्रियाओं का अनुपालन होना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि फरवरी 2010 में विभाग और कम्पनी के बीच का अनुबंध, शेष ऋण राशि पर तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष के दर पर ब्याज की उगाही का प्रावधान करता था, जबकि प्रयोज्य दर 11.5 प्रतिशत है। ऋण की वापसी 2013-14 से 10 वर्ष की समय-सीमा के लिए होनी थी।

मंत्रालय की कार्रवाई सा.वि.अ. एवं व्यय वित्त समिति के निर्णयों के प्रतिकूल था। लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित करने के बाद (अक्टूबर 2010), मंत्रालय ने उत्तर दिया (जून 2012) कि कम्पनी के साथ हुआ अनुबंध उसके बाद संशोधित किया गया तथा कम्पनी प्रयोज्य दर 11.5 प्रतिशत प्रति वर्ष पर ब्याज देने के लिए सहमत हो गयी है।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा के द्वारा समय पर किए गए हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप ₹ 46.75 करोड़ का आसन्न ब्याज घाटा बचाया गया।

## अध्याय VI : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

### 6.1 किराया बकायों की गैर-वसूली

फिल्म प्रभाग, मुंबई द्वारा बंद तथा समाप्त प्रदर्शकों से कुल ₹ 60.73 लाख के किराया प्रभारों की वसूली नहीं की गई।

चलचित्रदर्शी अधिनियम, 1952 की धारा 12(4) प्रावधान करती है कि केन्द्र सरकार किसी भी फिल्म अथवा फिल्म की श्रेणी की प्रदर्शनी को नियंत्रित करने के उद्देश्य से, समय-समय पर आमतौर पर लाइसेंसधारियों अथवा विशिष्ट किसी लाइसेंसधारी को निर्देश जारी करें जिससे की वैज्ञानिक फिल्में, शैक्षणिक उद्देश्य हेतु अभिप्रेत फिल्में, समाचार तथा वर्तमान घटनाओं से संबंधित फिल्में, वृत्त चित्र अथवा स्वदेशी फिल्में प्रदर्शित किए जाने का पर्याप्त अवसर प्राप्त कर सके। जहाँ ऐसे कोई भी निर्देश जारी किए गए हैं वहाँ ऐसे निर्देशों को अतिरिक्त शर्तें तथा प्रतिबंध माना जाएगा जिसके तहत लाइसेंस प्रदान किया गया था।

चलचित्रदर्शी अधिनियम, 1952 ने पूरे देश में वृत्त चित्रों के प्रदर्शन को अनिवार्य किया था। सिनेमा घरों द्वारा स्वीकृत फिल्मों की अनिवार्य प्रदर्शनी की योजना ने सिनेमा घरों को नियमित अंतराल पर ऐसी स्वीकृत फिल्मों की आपूर्ति करने हेतु सरकार की ओर से एक बाध्यता लागू की। फिल्म प्रभाग एक राष्ट्रीय निकाय था जिसने पूरे देश में फ़ैले थिएटरों में प्रत्येक शुक्रवार 15 राष्ट्रीय भाषाओं में वृत्तचित्र, समाचार आधारित फिल्में अथवा एनिमेशन फिल्मों को जारी किया।

प्रदर्शको अर्थात् सिनेमा घरों को थिएटर के अपने निवल संग्रहण की निधारित प्रतिशतता पर परिकलित किराया प्रभारों को फिल्म प्रभाग को अदा करना था। इस उद्देश्य हेतु फिल्म प्रभाग तथा प्रदर्शको को प्रदर्शनी हेतु फिल्मों की आपूर्ति के लिए करार करना था। करार के निबंधन एवं शर्तें निम्नलिखित थी:

- प्रदर्शक फिल्मों की आपूर्ति के प्रति वितरकों को अपने निवल साप्ताहिक संग्रहण के एक प्रतिशत की दर पर किराया अदा करेंगे।
- करार की निरंतरता के दौरान किसी भी समय, यदि प्रदर्शक समय पर किराया अदा करने में विफल हुआ तो वितरक प्रदर्शन के लागत, जोखिम एवं जवाबदेही पर अपने पास तैयार फिल्म रखकर चूककर्ताओं को फिल्मों की आपूर्ति रोक



देगा तथा प्रदर्शक किराए सहित वितरक द्वारा तैयार फिल्मों को रखने से हुई सभी क्षतियों को अदा करने का उत्तरदायी होगा।

- यदि एक प्रदर्शक द्वारा वितरक को अदा करने योग्य बकाया संग्रहित प्रतिभूति जमा के दो तिहाई से अधिक हो जाएगा तो वितरक को करार को समाप्त करना होगा तथा प्रदर्शक को फिल्मों की आपूर्ति रोकनी होगी। प्रदर्शक द्वारा वितरक को किराए का समय पर भुगतान न करने पर, यदि वितरक मांग करता है तो प्रदर्शक वितरक को आठ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर ऐसे किराए का भुगतान न करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक परिकल्पित किराए के सभी बकायों पर ब्याज अदा करेगा।

फिल्म प्रभाग, मुंबई के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि जून 2000 से जुलाई 2009 की अवधि के दौरान महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य में 20 तथा 15 थिएटरों को क्रमशः बंद<sup>1</sup> तथा समाप्त<sup>2</sup> कर दिया गया था। किराया प्रभारों के कारण इन 35 प्रदर्शकों के संबंध में 1996 से कुल बकाया राशि ₹ 60.73 लाख थी (अनुबंध-XVII)। लेखापरीक्षा ने पाया कि किरायों की वसूली को फिल्म प्रभागों द्वारा मॉनीटर नहीं किया गया था जिसका परिणाम इन बकायों के संचयन में हुआ था। फिल्म प्रभाग ने प्रदर्शकों के साथ करार को समर्थ करने वाले प्रावधानों की याचना नहीं की थी कि एक बार देय बकाए संग्रित प्रतिभूति जमा से अधिक हो जाए तो करार रद्द कर दिया जाएगा तथा फिल्मों की आपूर्ति रोक दी जाएगी। किराए के भुगतान के बिना प्रदर्शकों को थिएटरों का संचालन करने की अनुमति थी जिसका परिणाम कुल ₹ 60.73 लाख के राजस्व के बकायों के संचयन में हुआ।

मामला मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया था (सितम्बर 2011) जिसने तथ्यों एवं आंकड़ों को सुनिश्चित किया (नवम्बर 2011) तथा बताया कि फिल्म प्रभाग तथा फिल्म प्रभाग के संबंधित शाखा कार्यालयों को सूचित किए बिना थिएटरों को बंद/समाप्त कर दिया गया था। यद्यपि फिल्म प्रभाग बकायों की वसूली हेतु इन थिएटरों के प्रबंधनों के साथ कार्रवाई कर रहे थे फिर भी इसकी वसूली संभव नहीं थी। मंत्रालय ने आगे बताया कि संबंधित जिला के जिला अधीक्षकों, जिसे लाईसेंस प्रदान करने का प्राधिकार था, को इन थिएटरों के लाईसेंस का नवीकरण न करने तथा फिल्म प्रभागों के बकाया देयों को वसूल करने हेतु अनुरोध किया गया था (जनवरी 2012)। बकायों की वसूली के संबंध में मामले का जिला प्राधिकरणों के साथ प्रभावशाली रूप से उठाया जा रहा था।

<sup>1</sup> बंद किए गए प्रदर्शक- प्रदर्शक, जिन्होंने फिल्म प्रभाग द्वारा वितरित किए जाने वाले फिल्मों की प्रदर्शनी को बंद कर दिया।

<sup>2</sup> समाप्त किए गए-वह प्रदर्शक जिन्होंने घाटा इत्यादि के कारण अपना थियेटर बंद कर दिया।

उत्तर चूककर्ता थिएटरों के प्रति सामयिक कार्रवाई न किए जाने के कारणों को प्रकट नहीं करता है। तथ्य रहता है कि फिल्म प्रभाग द्वारा वसूलिया करार के अनुसार नहीं की गई थी। थिएटरों ने काफी देर में फिल्मों की प्रदर्शनी को समाप्त अथवा बंद किया था।

इस प्रकार, किराया प्रभासों की वसूली को उचित रूप से मॉनीटर करने में फिल्म प्रभाग की विफलता ₹ 60.73 लाख राशि के राजस्व की गैर-वसूली का कारण बनी।

## अध्याय VII : कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

### कार्मिक प्रशिक्षण विभाग

### संघ लोक सेवा आयोग

#### 7.1 लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर लाइसेंस शुल्क की वसूली

लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर, संघ लोक सेवा आयोग ने महाराष्ट्र बैंक से जनवरी 2001 से सितम्बर 2011 तक की समय सीमा में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए ₹ 26 लाख में से ₹ 14.88 लाख की लाइसेंस शुल्क की वसूली की गई।

सामान्य पूल कार्यालय आवास द्वारा संचालित बैंकों और डाक घरों द्वारा देय लाइसेंस शुल्क की दरें संपदा निदेशालय समय-समय पर निर्धारित करता है। संघ लोक सेवा आयोग (सं.लो.से.आ.) के परिसर से संचालित महाराष्ट्र बैंक की एक शाखा तथा एक डाकघर जो क्रमशः 99 वर्ग मी तथा 55 वर्ग मी. की जगह घेरे हुए है।

लेखापरीक्षा ने यह पाया की बैंक के लाइसेंस शुल्क की मांग जो कि निदेशालय द्वारा जनवरी 2001 से बढ़ाया गया था वह 49 वर्ग मी. के कार्पेट क्षेत्र के हिसाब से है जबकि वास्तविक क्षेत्र 99 वर्ग मी. है जिसके परिणामस्वरूप जनवरी 2001 से सितम्बर 2011 तक की समय सीमा में ₹ 18.58 लाख के लाइसेंस शुल्क की उगाही में कमी हुई है। उसी प्रकार से, ₹ 7.54 लाख का लाइसेंस शुल्क डाकघर से उसी समय के दौरान वसूली योग्य है।

लेखापरीक्षा द्वारा यह बात इंगित किए जाने पर (सितम्बर 2010), सं.लो.से.आ. ने कहा (अक्टूबर 2011) कि इस विषय को पहले से ही बैंक तथा डाकघर प्राधिकारियों के समक्ष रखा जा चुका है।

मंत्रालय ने सं.लो.से.आ. के जवाब का समर्थन करते हुए (जनवरी 2012), यह कहा कि बैंक द्वारा डी.ओ.इ. में ₹ 14.88 लाख लाइसेंस शुल्क के रूप में वसूल कर जमा (नवम्बर 2011) किया जा चुका है। बकाया राशि की वसूली अभी (दिसम्बर 2011) प्रतीक्षित है।

## अध्याय VIII : संघ शासित प्रदेश

### अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन

### जहाजरानी सेवाएं निदेशालय

#### 8.1 कार्य-मुक्त किए गए एक जलयान के विक्रय में विलम्ब के कारण हानि

एक मृतप्राय जलयान के उचित आरक्षित मूल्य निर्धारित करने के लिए समय से कार्यवाही प्रारम्भ करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹ 6.29 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

1965 में निर्मित एवं अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन (प्रशासन) के स्वामित्व में टी.एस.एस. येरावा (पोत) भारतीय जहाजरानी निगम (भा.ज.नि.) द्वारा अन्तः द्वीप सेवाओं के लिए चलाया जा रहा था। जलयान 7 फरवरी 2008 तक चलायमान था तत्पश्चात इसे वार्षिक यात्री सर्वेक्षण के लिए लगाया गया था। तभी से यह जलयान, इसे कार्य मुक्त किए जाने तक (सितम्बर 2009) असंचालित रहा।

वाणिज्य जहाजरानी अधिनियम 1958 के अनुसार जलयानों को तब तक सुरक्षित रूप से मानवयुक्त होना चाहिए जब तक वे अन्तिम रूप से बेच न दिये जाएं।

भा.ज.नि. ने निदेशक, जहाजरानी सेवाएं प्रशासन पोर्ट ब्लेयर को सूचित किया (जनवरी 2008) कि जलयान की इस्तेमाल करने की अनुमति 7 फरवरी 2008 को समाप्त हो रही थी और उसके उपरांत जलयान अनुदेशों की कमी के कारण निष्क्रिय रहेगा क्योंकि जहाजरानी निदेशालय द्वारा कठोर नियमों के कारण आगे और विस्तार सम्भव नहीं था।

निदेशक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा समीक्षा से पता चला कि उन्होंने जलयान को कार्य से हटाने के लिए प्रशासन को केवल जून 2008 में सम्पर्क किया था तथा प्रशासन ने सात महीनों के अन्तराल के बाद जनवरी 2009 में मंत्रालय की मंजूरी मांगी थी। मंत्रालय ने अन्ततः सितम्बर 2009 में, आठ महीनों के अन्तराल के बाद, मंजूरी सूचित की थी।

प्रशासन द्वारा जलयान का अनुरक्षित मूल्य निर्धारित करके जलयान को कार्य से मुक्त करके इसका विक्रय करने का तरीका निश्चित करने हेतु एक समिति का गठन किया (नवम्बर 2009)। समिति ने ₹ 1.49 करोड़ का अनुरक्षित मूल्य निर्धारित किया (नवम्बर 2009)। समिति द्वारा अनुरक्षित मूल्य निर्धारण के पश्चात विभाग ने स्थानीय स्तर पर

जलयान की नीलामी करने के प्रयास किए थे। तथापि, जलयान को खरीदने के लिए कोई ग्राहक नहीं आया क्योंकि अण्डमान एवं निकोबार द्वीप में कोई जलयान नष्ट करने की सेवा सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी।

अनुरक्षित मूल्य निर्धारित करने के आठ महीने के पश्चात कथित जलयान की ई-नीलामी हेतु द-मेटल स्क्रेपट्रेडिंग कार्पोरेशन, कोलकाता के एक पी.एस.यू. से सम्पर्क किया गया था (अगस्त 2010)। तथापि, उच्चतर अनुरक्षित मूल्य निर्धारण के कारण पोत को बेचने की फर्म की ई-नीलामी विफल रही। इसके परिणामस्वरूप मार्च 2011 में अनुरक्षित मूल्य को 20 प्रतिशत कम किया गया और जलयान को ₹ 1.21 करोड़ में नीलाम किया गया (अप्रैल 2011)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अप्रैल 2008 और मार्च 2011 के बीच प्रशासन ने जलयान की स्थापना लागत के रूप में ₹ 10.12 करोड़ व्यय किए थे।

निदेशक ने लेखापरीक्षा की एक पूछताछ के उत्तर में बताया (नवम्बर 2011) कि जलयान के इसके विक्रय के अन्तिम समय तक सुरक्षित स्थिति में रखा जाना था। यदि जलयान फनल एरिया में डूबा होता तो सरकार को अकाल्पनिक उच्चतर हानि हुई होती और एक नई लंगरगाह सुविधा में बहुत अधिक समय लग सकता था जिसका परिणाम अधिक विलम्ब और अधिक लागत होता।

तथ्य यह है कि पोत के सुरक्षित विक्रय हेतु आरम्भ की गई समयबद्ध एवं त्वरित कार्यवाही से कम से कम 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान खर्च किए गये ₹ 6.29 करोड़<sup>1</sup> की बचत की जा सकती थी।

मामला जुलाई 2011 में मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर फरवरी 2012 तक प्राप्त नहीं हुआ था।

## 8.2 एक अतिजीवित पोत पर परिहार्य व्यय

**अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा निष्प्रभावी सहयोग एवं अनुवर्तन एक पोत की वापसी तथा परिणामतः ₹ 3.69 करोड़ के परिहार्य व्यय का कारण बना।**

अंडमान तथा निकोबार प्रशासन (प्रशासन) ने पोर्ट ब्लेयर हैवलॉक क्षेत्र में लागत और नियत लाभ ठेका आधार पर शिपिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया (एस.सी.आई.) के एक

<sup>1</sup> पोत के स्थापना लागत पर हुआ व्यय, जिसे एक वर्ष यानी 2008-09 की उचित अवधि में ज.से.नि. द्वारा निष्पादित किया सकता था, को परिहार्य माना गया।

2008-2011 की अवधि के दौरान हुआ कुल व्यय (₹ 10.12 करोड़) कम 2008-09 (₹ 3.83 करोड़) के वर्ष में हुआ व्यय = परिहार्य व्यय (₹ 6.29 करोड़)

पोत नामतः एम.वी. रामानुजम को यात्रियों को ले आने तथा ले जाने के लिए कार्य पर लगाया जो 1972 में निर्मित था। पोत 2006 से अनुपयोगी हो गया था तथा एक वर्ष में लगभग छः महीने तक 'सेवा से बाहर' रहता था। चूंकि पोत अपने उपयोगी जीवन से दो गुना समय तक अतिजीवित हो चुका था जिससे इसका अनुरक्षण/पुनरोपयोगी लागत अत्यधिक हो चुकी थी जिससे एस.सी.आई ने इसके स्थान पर तेज गति वाले तथा निर्धारित क्षमता के अन्य पोत का प्रस्ताव किया था (मई 2007)। प्रशासन ने पोत के स्थानापन्न संबंधी मामले को एस.सी.आई से उठाया था (अगस्त 2007) लेकिन इस विद्यमान पोत को वापस करने का कोई ठोस प्रस्ताव नहीं किया गया था। पोत को मई 2009 में इसके समुद्री योग्यता प्रमाणपत्र के समापन पर वापस लेना था (मई 2009)। निदेशक पोत सेवाएं (नि.पो.से.) प्रशासन ने, तथापि, केवल अक्टूबर 2009 में पोत को एस.सी.आई. को वापस देने का प्रस्ताव दिया था। प्रशासन ने एस.सी.आई. को पोत के लिए पुनरोपयोगी/अनुरक्षण खर्च बन्द करने तथा इसे अन्य स्थान पर ले जाने का प्रबंध करने को कहा था।

एस.सी.आई. ने पोत में कार्यरत अफसरों तथा कार्मिकों को वापस बुलाने से इस आधार पर मना कर दिया (नवम्बर 2009) कि प्रशासन ने अपने अन्य पोतों के लिए प्रचालन तथा अनुरक्षण ठेके में दी गई शर्त के अनुसार कम से कम 6 महीने पहले सूचित नहीं किया था। छःमहीना बीत जाने अर्थात् अप्रैल 2010 के बाद भी कोई आगे की कार्यवाही नहीं की गई। उसके बाद, पर्यटन निदेशालय प्रशासन के अधीन एक अन्य विभाग ने प्रस्ताव किया (जुलाई 2010) कि पोत की अधिप्राप्ति के पश्चात् इसे तैरते रेस्टोरेन्ट तथा सिनेमा हाल के रूप में सार्वजनिक निजी साझेदारी के रूप में चलाया जाए। एस.सी.आई. प्रशासन को ₹ एक करोड़ की लागत पर पोत देने के लिए सहमत हुआ (सितम्बर 2010)। तथापि, सार्वजनिक निजी साझेदारी की प्रक्रिया दिसम्बर 2011 तक प्रशासन द्वारा तय नहीं की जा सकी तथा पो.से.नि. द्वारा प्रस्तावित वापसी को एस.सी.आई. ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि वापसी की स्थिति में पूरी अवधि के लिए पोत का अनुरक्षण व्यय एस.सी.आई. को करना पड़ता।

एस.सी.आई., ने नवम्बर 2009 से मार्च 2011 की अवधि में अति जीवित पोत पर ₹ 3.69 करोड़ का व्यय किया तथा इस राशि को अपने पास रखे गए प्रशासन के खाते पर प्रभारित किया। अप्रैल 2011 तक की अवधि के लिए खातों को एस.सी.आई. द्वारा मार्च 2012 तक भी अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था।

जनवरी 2012 में प्रशासन ने एस.सी.आई. को सूचित किया कि पोत को 31 मार्च 2010 के प्रभाव से वापस कर दिया गया था, इसलिए एस.सी.आई. द्वारा 2010-11 की

अवधि के लिए बाद में प्रभारित ₹ 2.38 करोड़ का व्यय सही नहीं था। प्रशासन ने आगे निवेदन किया था कि उनके खाते में पहले से प्रभारित राशि को उन्हें लौटाया जाना चाहिए।

प्रशासन के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से प्रकट हुआ कि प्रशासन तथा एस.सी.आई. के बीच पोत- एम.वी.रामानुजम के परिचालन एवं अनुरक्षण के संबंध में कोई समझौता नहीं हुआ था। यद्यपि प्रशासन यह लगातार कहता रहा कि पोत किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं था तथा इसे हटाकर दूसरा प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता थी लेकिन उसकी औपचारिक सूचना नवम्बर 2010 तक भी एस.सी.आई. को नहीं भेजी गई थी। चूंकि पोत का निपटान एस.सी.आई. के पास लम्बित पर्यटन निदेशालय के प्रस्ताव के कारण नहीं किया गया, इसलिए प्रशासन को नवम्बर 2009 से मार्च 2011 की अवधि के लिए पोत पर हुए ₹ 3.69 करोड़ के व्यय का भुगतान करना पड़ा।

इस प्रकार, वापसी औपचारिकताओं को प्रारम्भ करने में देरी के साथ-साथ प्रशासन के शिपिंग तथा पर्यटन विभागों में आपसी समन्वय के अभाव के कारण ईंधन प्रभार, अप्रत्यक्ष परिचालन व्यय तथा प्रबंधन व्यय के रूप में ₹ एक करोड़ मूल्य के अति जीवित पोत पर ₹ 3.69 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

मामला मंत्रालय को जुलाई 2011 में भेजा गया था। उनका उत्तर मार्च 2012 तक प्राप्त नहीं हुआ था।

## लक्षद्वीप प्रशासन

### 8.3 एक्स-रे बैगेज जाँच प्रणाली का प्रापण

आवश्यक अवसंरचना के सृजन सहित दो एक्स-रे बैगेज जाँच प्रणाली की आपूर्ति, संस्थापन तथा चालू करने को समकालिक बनाने में संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप प्रशासन की विफलता के परिणामस्वरूप प्रणालियों की खरीद पर ₹ 61 लाख व्यय करने के बावजूद यात्रियों के बचाव एवं सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकी।

पूरे देश में उच्च सुरक्षा चेतावनियों विशेषकर हवाई अड्डों, विमान पत्तनों तथा अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों, की दृष्टि से लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र (ल.सं.शा.क्षे.) प्रशासन ने छः स्थानों, अर्थात् अगाती हवाई अड्डा, अगाती पोतघाट, बेपोर पत्तन, कावारस्ती हेलीबेस, कावारस्ती पोतघाट तथा मँगलूर पत्तन पर एक्स-रे बैगेज जाँच प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया (दिसम्बर 2008)। इनके उद्देश्य सुरक्षा को सुदृढ़ करना, हेलीकॉप्टर तथा पोत परिवहन सेवाओं वाले यात्रियों के बैगेज की जाँच तथा उनकी सुरक्षित यात्रा

सुनिश्चित करने थे। इन प्रणालियों के संस्थापन हेतु आवश्यक संरचना तथा उपकरण का प्रापण अंतर्निहित था। उपकरण को समय से चालू करने हेतु इन दोनों गतिविधियों की समकालिकता अपेक्षित थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (मार्च 2011) ने उजागर किया कि उपकरण के संस्थापन हेतु आवश्यक अवसंरचना का सृजन किये बिना ल.सं.शा.क्षे. प्राधिकारियों ने ₹ 1.84 करोड़ की कुल लागत पर छः एक्स-रे बैगैज प्रणालियों की आपूर्ति, संस्थापन तथा चालू करने हेतु मैसर्स ई.सी.आई.एल रैपीस्कैन लिमिटेड को आदेश दिए (जनवरी, फरवरी, अक्टूबर तथा नवम्बर 2009)। इन प्रणालियों को फर्म द्वारा मई 2009 से अप्रैल 2010 के बीच सुपूर्द कर दिया गया था। यह पाया गया कि छः प्रणालियों में से ₹ 61 लाख की कुल लागत की दो, जिसे कि अगाती हवाई अड्डा (दिनांक 27 मार्च 2010 के बीजक द्वारा) तथा कावरत्ती हवाई अड्डा (दिनांक 1 अप्रैल 2010 के बीजक द्वारा) आपूर्ति की गई थी, को अप्रैल 2012 तक भी संस्थापित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, ल.सं.शा.क्षे. प्रशासन ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया (अप्रैल 2012) कि दो प्रणालियों को लक्षद्वीप लोक निर्माण विभाग द्वारा इन दो स्थानों में यात्रियों के हालों के सिविल निर्माण कार्यों की समाप्ति न होने के कारण संस्थापित नहीं किया जा सका जबकि भूमि सुपूर्द कर दी गई थी तथा इन अभिकरणों को पूर्ण राशि पहले ही जारी कर दी गई थी। इमारत का निर्माण पूरा होने पर विभाग बिना किसी अतिरिक्त विलम्ब के मशीनों के संस्थापन को सुनिश्चित करेगा।

तथ्य यह है कि प्रणालियों को संस्थापित करने तथा चालू करने में 15 महीनों से अधिक के विलम्ब के कारण ल.सं.शा.क्षे. प्रशासन ने न केवल वारंटी अवधि के दौरान उपकरण को जाँचने का लाभ गंवाया बल्कि सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ भी समझौता किया।

मामला गृह मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया था (नवम्बर 2011) तथा अप्रैल 2012 में स्मरण कराया गया था। उनका उत्तर प्रतीक्षित था।



## अध्याय IX : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

### 9.1 लेखापरीक्षा दृष्टांत पर अनुदान की अधिक निमुक्ति की वसूली

राज्य सरकारों को अनुदान जारी करते समय उचित तत्परता का प्रयोग करने में मंत्रालय की विफलता का परिणाम ₹ 3.45 करोड़ की अधिक निमुक्ति में हुआ इसे बाद में लेखापरीक्षा दृष्टांत पर वसूला गया था।

किशोर कन्याओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी योजना- 'सबला' के दिशानिर्देशों के अनुसार, किशोर कन्याओं<sup>1</sup> को वर्ष में 300 दिनों (25 दिन प्रति माह) हेतु 600 कैलोरी प्रति दिन की दर पर पोषण स्वीकार्य था। योजना दिशानिर्देशों पोषण की लागत को ₹ 5 प्रति लाभभोगी प्रति दिन की स्वीकार्य राशि के 50 प्रतिशत की सीमा तक राज्य सरकार के साथ बॉटने का प्रावधान करते हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2011) कि मंत्रालय ने राजस्थान को स्वीकार्य निधियों की वास्तविक राशि को परिकलित करने में गलतियाँ की थी। मंत्रालय ने 24 जनवरी 2011 से 31 मार्च 2011 की अवधि हेतु स्वीकार्य 55 दिनों के प्रति 67 दिनों की संख्या को लिया जब कन्याओं को पोषण की आपूर्ति की गई थी। इसका परिणाम कुल ₹ 1.81 करोड़ की राशि की निधियों की अधिक निर्मुक्ति में हुआ। 2010-11 के दौरान तीन अन्य मामलों में, मंत्रालय ने निधियों की स्वीकार्यता का परिकलन करने हेतु लाभभोगियों की संख्या के गलत आंकड़ों को लिया जिसका परिणाम तीन राज्यों जैसा नीचे विवरण दिया गया है, को अधिक निर्मुक्ति में हुआ:

(₹ लाख में)

राज्य का नाम	लाभभोगियों की वास्तविक सं.	परिकलन हेतु लिए गए लाभ भोगियों की सं.	स्वीकार्य निर्मुक्ति	वास्तविक निर्मुक्ति	अधिक निर्मुक्ति
बिहार	1305200	1403311	1957.80	2104.97	147.17
हिमाचल प्रदेश	90016	98974	168.78	185.58	16.80
सिक्किम	8783	9116	10.98	11.40	0.42
<b>योग</b>			<b>2137.56</b>	<b>2301.95</b>	<b>164.39</b>

इस प्रकार, राज्य सरकारों की पात्रताओं का पता लगाने में उचित तत्परता का प्रयोग करने में मंत्रालय की विफलता का परिणाम ₹ 3.45 करोड़ की अधिक निर्मुक्ति में हुआ।

<sup>1</sup> 11 से 18 वर्ष का आयु वर्ग

इसे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने (जून 2011) पर मंत्रालय ने 2011-12 के दौरान संबंधित राज्यों की अनुवर्ती निर्मुक्तियों से ₹ 3.45 करोड़ की आधिक्य राशि की वसूली की (सितम्बर 2011)।

## 9.2 एकीकृत शिशु संरक्षण योजना के अंतर्गत केन्द्रीय अंश की अनियमित निर्मुक्ति

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अम्बाला एवं हिसार में दो अवलोकन गृहों के निर्माण हेतु दो केन्द्रीय योजनाओं अर्थात् फरवरी 2008 में किशोर न्याय कार्यक्रम तथा दिसम्बर 2010 में एकीकृत शिशु संरक्षण योजना के अंतर्गत कुल ₹ 1.08 करोड़ के अनुमोदन दो बार जारी किया।

साँतवी पंचवर्षीय योजना के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किशोर न्याय अधिनियम 1986 के कार्यान्वयन के अनुसार किशोर न्याय हेतु कार्यक्रम प्रारम्भ किया। कार्यक्रम का लक्ष्य देश के सभी जिलों, जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर, में उपेक्षित तथा अपराधी बच्चों की देख-भाल, संरक्षण, विकास तथा पुर्नवास था।

योजना के मानदण्डों के अनुसार, 50 कैदियों हेतु एक अवलोकन गृह के निर्माण हेतु अनुदानों को केन्द्रीय अंश ₹ 9.03 लाख होना चाहिए था। गृहों के निर्माण हेतु शेष व्यय को राज्य सरकारों द्वारा अपने स्वयं के बजट से पूरा किया जाना चाहिए था।

हरियाणा सरकार ने ₹ 1.45 करोड़ तथा ₹ 1.86 करोड़ की अनुमानित लागतों पर क्रमशः अम्बाला तथा हिसार पर दो अवलोकन गृहों के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए (अगस्त तथा नवम्बर 2007)। मंत्रालय ने सरकार को सूचित किया (दिसम्बर 2007) कि वह योजना के मानदण्डों के अनुसार दो गृहों के निर्माण हेतु केवल ₹ 18.06 लाख की अनुदान के केन्द्रीय अंश की संस्वीकृति की स्थिति में था। मंत्रालय ने राज्य सरकार को इस शर्त, कि शेष राशि को राज्य सरकार के बजट से पूरा किया जाएगा केन्द्रीय अंश के रूप में ₹ 18.06 लाख का उपयोग करने हेतु प्राधिकृत किया (फरवरी 2008)। राज्य सरकार ने अगस्त 2009 को इन गृहों के निर्माण हेतु केन्द्रीय अंश के अतिरिक्त ₹ 3.82 करोड़ का व्यय किया था।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया था कि मंत्रालय ने, मंत्रिमण्डल की स्वीकृति (फरवरी 2009) से बच्चों हेतु सुरक्षात्मक वातावरण के लिए एक ठोस आधार को सृजित करने हेतु एक नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना अर्थात् एकीकृत शिशु संरक्षण योजना (ए.शि.सं.यो.) प्रारम्भ की। लेखापरीक्षा ने पाया कि हरियाणा राज्य सरकार ने पहले उल्लेखित अम्बाला तथा हिसार में उन्हीं अवलोकन गृहों के निर्माण हेतु अनुदानों की निर्मुक्ति हेतु ए.शि.सं.यो. के अंतर्गत एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया (सितम्बर 2010)। मंत्रालय ने प्रस्ताव को स्वीकार किया तथा तथ्य कि गृहों को पहले ही अन्य केन्द्रीय

योजना के अंतर्गत वित्तपोषित किया जा रहा था, को जोड़े बिना गृहों के निर्माण हेतु राज्य सरकार को ₹ 89.58 लाख का केन्द्रीय अंश जारी किया (दिसम्बर 2010)। अम्बाला तथा हिसार में अवलोकन गृहों के निर्माण हेतु ए.शि.सं.यो. के अंतर्गत ₹ 89.58 लाख की निधियों की निर्मुक्ति करने की मंत्रालय की कार्रवाई अनियमित थी क्योंकि दोनों गृहों को किशोर न्याय हेतु कार्यक्रम के अंतर्गत पहले ही वित्तपोषित किया जा रहा था।

मंत्रालय ने स्वीकार किया (फरवरी 2012) कि उन्हीं गृहों हेतु अनुदाने दो बार दी गई थी तथा बताया कि आधिक्य राशि को राज्य सरकार को भविष्य की अनुदानों में से उपयुक्त रूप से काटा जाएगा।

यह पाया गया था कि मंत्रालय ने राज्य सरकार से दो गृहों के निर्माण की स्थिति सहित केवल तथ्यों की पुष्टि पर ही कमी को स्वीकार किया। इसने दर्शाया कि मंत्रालय के पास अनुदानों को जारी करते समय उपयुक्त तत्परता का प्रयोग करने की प्रणाली नहीं थी तथा इसके उपयोग के संबंध में उपयुक्त अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया था।

इसलिए, मंत्रालय एक ही उद्देश्यों हेतु अलग योजनाओं के अंतर्गत अनुदानों की निर्मुक्ति से बचने हेतु एक उचित प्रक्रिया स्थापित करें। आश्वासन प्राप्त करने हेतु कि इनको जारी निधियों को प्रत्याशित उद्देश्य हेतु उपयोग किया गया है, राज्य सरकारों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई भी की जाए।

## अध्याय X : परमाणु ऊर्जा विभाग

### 10.1 ₹ 3.32 करोड़ का परिहार्य व्यय

क्रय प्रक्रिया का अनुपालन करने में परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन क्रय एवं भण्डारण निदेशालय की विफलता तथा वैधता अवधि के भीतर क्रय प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में परिणामी विलम्ब का परिणाम ₹ 3.32 करोड़ के परिहार्य व्यय में हुआ।

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 ने लागू किया कि उच्च मूल्य के क्रयों के मामले में दो स्तरों पर, बोलियाँ, मूल्यांकित किए जाने से तकनीकी बोली तथा इसके पश्चात वित्तीय बोली प्राप्त की जानी चाहिए। परमाणु ऊर्जा विभाग (प.ऊ.वि.) की वित्तीय नियमावली, 1978 के प्रयोग के अनुसार, ₹ तीन करोड़ से अधिक के वित्तीय व्यय की सीमित निविदाओं वाले मामलों को सदस्य (वित्त), प.ऊ.वि. की सहमति हेतु भेजा जाना अपेक्षित है। द्वि-भागी निविदाओं को संसाधन हेतु क्रय एवं भण्डारण निदेशालय (क्र.भ. नि.), प.ऊ.वि. की केन्द्रीकृत क्रय इकाई, द्वारा निर्धारित समय सीमाएं (2005) उल्लेख करती हैं कि सदस्य (वित्त) की स्वीकृति हेतु प्रस्तावों की मांगों को प्रस्तुत करने की तिथि से छः महीनों के भीतर भेजा जाना चाहिए।

क्र.भ.वि. ने भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के लाईट वाटर डिविजन से जून 2007 में एक डिस्चार्ज असेम्बली ट्रांसफर कार्स्क<sup>1</sup> के उत्पादन हेतु प्रस्तुत माँग प्राप्त की। इसने 24 सितम्बर 2007 को निविदाओं की अंतिम तिथि के साथ ₹ 13 करोड़ की अनुमानित लागत पर उपकरणों सहित उत्पादन, सामग्री प्रापण, फेब्रिकेशन मोकअप, डिस्चार्ज असेम्बली ट्रांसफर कार्स्क के जाँच निरीक्षण तथा सुरक्षित सूपुर्दगी हेतु तीन फर्मों से सीमित निवदाएं आमंत्रित की (अगस्त 2007)।

निविदा दस्तावेज में शामिल एक क्रय अधिमान धारा<sup>2</sup>, जिसके अनुसार निविदा में भाग लेने वाले एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (के.सा.क्षे.उ.) अन्य भाग लेने वाली निजी क्षेत्र फर्मों से अधिक क्रय अधिमान प्राप्त करेगा, ने प्रावधान किया (i) इसका प्रस्ताव तकनीकी रूप से उपयुक्त था, (ii) इसके द्वारा उद्धृत मूल्य तथा न्यूनतम मूल्य प्रस्ताव का अंतर 10 प्रतिशत के भीतर था तथा (iii) के.सा.क्षे.उ. न्यूनतम उद्धृत मूल्य की बराबरी करने हेतु इच्छुक था। सार्वजनिक उद्यम विभाग की मूल्य अधिमान नीति (मू.अ.नि.) केवल 31 मार्च 2008 तक वैध थी।

<sup>1</sup> ट्रांसफर कार्स्क खर्च किए ईंधन को खर्च ईंधन भण्डारण पूल में अंतरित करने हेतु आवश्यक है।

<sup>2</sup> यह धारा सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार, द्वारा निर्धारित क्रय अधिमान नीति पर आधारित थी। यह नीति 31 मार्च 2008 के बाद समाप्त कर दी गई थी।

क्र.भ.वि. ने मेसर्स गोडरेज एण्ड बॉयसे, मुंबई (गोडरेज) तथा केन्द्रीय उत्पादन प्रौद्योगिकी संस्थान (को.उ.प्रौ.सं.), बंगलोर से प्रस्ताव प्राप्त किए। 25 सितम्बर 2007 को तकनीकी बोलियाँ खोले जाने पर दो बोलीकर्ताओं को तकनीकी रूप से योग्य घोषित किया गया था। मूल्य बोलियों को 30 नवम्बर 2007 को खोला गया था। गोडरेज ने ₹ 11.35 करोड़<sup>3</sup> का आधार मूल्य उद्धृत किया जबकि के.उ.प्रौ.सं. ने ₹ 12.18 करोड़<sup>4</sup> उद्धृत किया। मांगकर्ता प्रभाग ने के.उ.प्रौ.सं. को आदेश देने हेतु अपनी सिफारिश व्यक्त की (28 दिसम्बर 2007)। उपयुक्त मोल भाव के पश्चात, के.उ.प्रौ.सं. ₹ 12.77 करोड़ (कर पश्चात) पर गोडरेज के मूल्य के साथ अपने मूल्यों की बराबरी करने हेतु सहमत हुआ (जनवरी 2008)। भण्डार क्रय समिति (भ.क्र.स.) ने 30 जनवरी 2008 को क्रय हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया।

लेखापरीक्षा में संवीक्षा ने निम्नलिखित प्रकट किया:

- (i) मूल्य बोलियों को खोलने के पश्चात गोडरेज न्यूनतम बोलीकर्ता था। तथापि, बोलियों को खोलने के बाद के.उ.प्रौ.सं. ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी प्रमाणपत्र दिनांक 5 दिसंबर 2007 सहित 6 दिसंबर 2007 को एक पत्र प्रस्तुत किया कि मूल्य अधिमान के संबंध में फर्म को के.सा.क्षे.उ. के बराबर माना जाए। यह नोट किया जाना है कि के.उ.प्रौ.सं. एक पंजीकृत समिति थी तथा न की एक के.सा.क्षे.उ. तथा इसलिए क्रय अधिमान धारा में शामिल नहीं थी। इसलिए के.उ.प्रौ.सं., जो कि एक के.सा.क्षे.उ. नहीं था, के प्रस्ताव को स्वीकार करने का प.ऊ.वि. का निर्णय अनियमित था।
- (ii) मूल्य बोलियों के खोले जाने पर गोडरेज न्यूनतम तथा एक मात्र योग्य बोलीकर्ता होने के बावजूद क्र.भ.नि. ने मूल्य अधिमान के संबंध में के.उ.प्रौ.सं. को के.सा.क्षे.उ. के बराबर बनाने हेतु मंत्रालय का प्रमाणपत्र स्वीकार किया जबकि यह प्रमाणपत्र 30 नवम्बर 2007 को मूल्य बोली के खोले जाने के पश्चात प्राप्त हुआ था।
- (iii) चूंकि इस मामले का सीमित निविदा पर संसाधन किया जा रहा तथा ₹ तीन करोड़ से अधिक का वित्तीय व्यय था इसलिए शेष सदस्य (वित्त), प.ऊ.वि. की स्वीकृति की आवश्यकता थी। यद्यपि प.ऊ.वि. के अनुदेश ने ऐसे क्रय मामलों के संसाधन हेतु छः महीनों की समय सीमा निर्धारित की थी फिर भी यह पाया गया था कि हाल के मामलों में प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु केवल 21 अप्रैल

<sup>3</sup> ₹ 12.77 करोड़ का कर पश्चात मूल्य

<sup>4</sup> ₹ 13.70 करोड़ का कर पश्चात मूल्य

2008, अर्थात् माँग प्रस्तुत करने के 10 महीनों पश्चात, में जाकर ही सदस्य (वित्त) प.उ.वि. को भेजा गया था। सचिव, प.ऊ.वि. ने इस आधार पर कि मू.अ.नी. की वैधता समाप्त थी, 29 जुलाई 2008 को प्रस्ताव को अस्वीकार किया तथा क्र.भ.नि. को नई सीमित निविदा जारी करने का निर्देश दिया।

- (iv) यह पाया गया था कि क्र.भ.नि. में ही प्रस्ताव की जाँच करने में पर्याप्त विलम्ब थे। ऐसे मामलों के संसाधन हेतु छः महीनों की निर्धारित समय सीमा के प्रति क्र.भ.नि. ने तीन फर्मों को सीमित निविदा जाँच पड़ताल जारी करने हेतु दो महीने तथा तकनीकी रूप से बोली को स्वीकृत करने हेतु अतिरिक्त तीन महीने लिए। इसके पश्चात स्तरों में वित्तीय बोलियों को खोला जाना एवं जाँच तथा वर्तमान मामले में इसे सदस्य (वित्त), प.ऊ.वि. को उसकी स्वीकृति हेतु भेजना शामिल था।
- (v) क्र.भ.बि. ने फिर से उन्हीं तीनों फर्मों से अगस्त 2008 में निविदाएं आमंत्रित की। तथापि, केवल गोडरेज ने निविदा नोटिस का उत्तर दिया तथा ₹ 15.80 करोड़<sup>5</sup> का आधार मूल्य उद्धृत किया। क्र.भ.नि. ने मूल्य का मोल भाव किया तथा फरवरी 2009 में ₹ 16.09 करोड़ (कर पश्चात) पर फर्म को क्रय आदेश दिया था। गोडरेज ने इस आदेश हेतु अंतिम भुगतान दिसम्बर 2010 में प्राप्त किया।

वर्तमान मामलों में प.ऊ.वि. द्वारा अपनाएं प्रापण अभ्यास ने निविदा मूल्यांकन में त्रुटियां, जैसे कि एक ऐसे सत्व का प्रस्ताव करना जो मूल्य मूल्यांकन स्तर पर मूल्य अधिमान लाभ हेतु विचार करने योग्य नहीं था, प्रकट की। इसके अतिरिक्त, क्रय मामले के संसाधन में विभिन्न स्तरों पर लम्बे विलम्ब थे जो अस्वीकरण तथा पुनः निविदा करने का कारण बने जिनका अंत में परिणाम ₹ 3.32 करोड़ के अतिरिक्त व्यय में हुआ।

प.ऊ.वि. ने उत्तर दिया (मई 2012) कि प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण के पश्चात किसी भी कम्पनी हेतु योग्य प्रक्रिया प्रचलन में क्रय मूल्य प्रक्रिया के अनुसार प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि, जो इस मामले में 25 सितम्बर 2007 थी, को कम्पनी/ इसके प्रस्ताव की स्थिति पर आधारित है। इसलिए, क्र.भ.नि. को बोध था कि इस क्रय फाईल में मू.अ.नी. मेसर्स के.उ.प्रौ.सं. को लागू होगी। मेसर्स के.उ.प्रौ.सं., बेंगलोर के प्रस्ताव को 31 जुलाई 2008 तक वैध रखा गया था।

<sup>5</sup> ₹ 17.78 करोड़ का कर पश्चात मूल्य

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि क्र.भ.नि. ने तथ्य को अनदेखा किया था कि फर्म 30 नवम्बर 2007 को वित्तीय बोली के खोले जाने की तिथि को मूल्य अधिमान लाभ हेतु योग्य नहीं थी क्योंकि मूल्य अधिमान के संबंध में इसे के.सा.क्षे.उ. के बराबर माने जाने हेतु योग्यता प्रमाणपत्र इसे केवल 5 दिसम्बर 2007 में जाकर ही जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त, अगर फिर भी हम यह विचार करें कि प.उ.वि. इस तथ्य से अवगत नहीं था कि मूल्य अधिमान का लाभ 31 मार्च 2008 को समाप्त हो जाएगा तो भी के.उ.प्रौ.सं.; जो एक के.सा.क्षे.उ. नहीं था, का प्रस्ताव स्वीकृत करने का प.उ.वि. का निर्णय अनियमित था।

इस प्रकार, प्रथम दृष्टांत में न्यूनतम वैध बोलीकर्ता को क्रय आदेश देने में विफल होने से प.ऊ.वि. ने न केवल पूर्ण प्रापण प्रक्रिया को विलम्ब किया बल्कि ₹ 3.32 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भी किया।

## अध्याय XI : अंतरिक्ष विभाग

### 11.1 माँग प्रभारों का परिहार्य भुगतान

सही प्रकार से विस्तृत खपत आवश्यकताओं का निर्धारण करने में इसरो उपग्रह केन्द्र तथा इसरो टेलीमेटरी, ट्रेकिंग एवं कमांड नेटवर्क की विफलता तथा अनुबंधित माँग को कम करने हेतु कार्यवाही करने में विलम्ब का परिणाम विद्युत की खपत हेतु ₹ 3.72 करोड़ के परिहार्य भुगतान में हुआ।

इसरो उपग्रह केन्द्र (आई.एस.ए.सी.) तथा इसरो टेलीमेटरी, ट्रेकिंग एवं कमांड नेटवर्क (आई.एस.टी.आर.ए.सी.), बेंगलोर, अंतरिक्ष विभाग (अ.वि.) के अंतर्गत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की संघटन इकाईयों ने बेंगलोर में अपनी इकाईयों हेतु विद्युत आपूर्ति के लिए क्रमशः अप्रैल 2007 तथा अप्रैल 2008 में बेंगलोर विद्युत आपूर्ति कम्पनी (बैसकॉम) के साथ एक करार किया। करार आई.एस.ए.सी. द्वारा 5500 के.वी.ए. विद्युत आपूर्ति (अनुबंधित माँग) तथा आई.एस.टी.आर.ए.सी. द्वारा 2500 के.वी.ए. विद्युत आपूर्ति हेतु किए गए थे।

उच्च दाब लाईनों हेतु बैसकॉम की टैरिफ नीति के अनुसार यदि विद्युत खपत अनुबंधित माँग से कम थी तो बिल की माँग जो न्यूनतम अनुबंधित माँग का 75 प्रतिशत अथवा माह के दौरान दर्ज आधिक्य माँग थी, जो भी अधिक थी को अदा किया जाना था।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच ने प्रकट किया कि आई.एस.ए.सी. में अप्रैल 2007 से दिसम्बर 2011 की अवधि के दौरान तथा आई.एस.टी.आर.ए.सी. में अप्रैल 2008 से अप्रैल 2011 की अवधि के दौरान विद्युत की मासिक खपत कभी भी अनुबंधित माँग तक नहीं पहुँची थी। चूंकि विद्युत की खपत अनुबंधित माँग से काफी कम थी इसलिए उच्च दाब लाईनों हेतु बैसकॉम टैरिफ नीति के अनुसार बिल की माँग होने से अनुबंध माँग का 75 प्रतिशत (आई.एस.ए.सी. हेतु 4125 के.वी.ए. तथा आई.एस.टी.आर.ए.सी. हेतु 1875 के.वी.ए.) प्रत्येक माह अदा किया जा रहा था। अवधि के दौरान अनुबंधित माँग की तुलना में दर्ज अधिकतम वास्तविक माँग आई.एस.ए.सी. के मामले में केवल 33 प्रतिशत तथा आई.एस.टी.आर.ए.सी. हेतु 39 प्रतिशत थी जिसने स्पष्ट रूप से दर्शाया कि अनुबंधित माँग वास्तविक आवश्यकता से सार्थक रूप से अधिक थी। इस प्रकार, अधिक अनुबंध माँग हेतु करार का परिणाम वास्तव में उपयोग न की गई विद्युत की लागत के प्रति ₹ 3.72 करोड़ के परिहार्य आधिक्य व्यय करने में हुआ जैसा कि नीचे तालिका में विवरण दिया गया है:



इकाई का नाम	अनुबंध माँग (के.वी.ए.में)	बिल की माँग (अनुबंध माँग का 75%) के.वी.ए.में)	प्रति-माह वास्तविक खपत को पाया जाना (के.वी.ए.में)	बिल की अवधि	निकाले गए प्रभार (₹ लाख में)	वास्तविक भुगतान (₹ लाख में)	आधिक्य भुगतान (₹ लाख में)
इसरो उपग्रह केन्द्र-आई.एस.ए.सी.	5500	4125	1182-1788	अप्रैल 2007 से दिसम्बर 2011	162.22	456.23	294.01
आई.एस.टी.आर.ए.सी.-आई.डी.एस.एन परियोजना	2500	1875	165-979	अप्रैल 2008 से अप्रैल 2011	39.48	117.52	78.04
<b>योग</b>					<b>201.70</b>	<b>573.75</b>	<b>372.05</b>

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2009), आई.एस.ए.सी. ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया (जनवरी 2012) कि आवश्यकता निर्धारण के अनुसार वर्ष 2014 की समाप्ति तक प्रत्याशी विद्युत आवश्यकता लगभग 4000 के.वी.ए. होगी तथा इसलिए इन्होंने 5500 के.वी.ए. से 4000 के.वी.ए. तक (3000 के.वी.ए. की न्यूनतम प्रभारीय माँग का भार डालते हुए) केन्द्र की अनुबंध माँग को घटाने हेतु एक नया करार करने के लिए बैसकॉम को आवेदन किया था (सितम्बर 2011)। इसने आगे बताया था कि आई.एस.ए.सी. 4000 के.वी.ए. तक अनुबंधित माँग को कम करने हेतु बैसकॉम के साथ मामले का अनुसरण कर रहा था तथा उनका आवेदन प्रक्रियाधीन था (जनवरी 2012)।

आई.एस.टी.आर.ए.सी. ने अपने उत्तर में बताया (मई 2011) कि संशोधित निर्धारण के अनुसार इष्टतम अधिकतम माँग 1100 के.वी.ए. तक पहुँचनी थी तथा आई.एस.टी.आर.ए.सी. ने 2500 के.वी.ए. से 1200 के.वी.ए. तक अनुबंध माँग को कम करने हेतु बैसकॉम को अनुरोध किया था (जून 2010)।

विद्युत माँग का अधिक अनुबंध की ओर इंगित करने वाली लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के आधार पर आई.एस.टी.आर.ए.सी. तथा आई.एस.ए.सी. ने केवल क्रमशः जून 2010 तथा सितम्बर 2011 में जाकर ही अनुबंध माँग को कम करने हेतु कार्रवाई प्रारम्भ की। इस प्रकार, प्रथम दृष्टांत में विद्युत खपत आवश्यकताओं का ठीक-ठीक निर्धारण करने में आई.एस.ए.सी. तथा आई.एस.डी.आर.ए.सी. की विफलता सहित अनुबंधित माँग को कम करने हेतु कार्रवाई करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप बिल की माँग के प्रति विद्युत की खपत हेतु ₹ 3.72 करोड़ (दिसम्बर 2011 तक) का परिहार्य भुगतान हुआ।

## अध्याय XII : सामान्य

### 12.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोक लेखा समिति के बार-बार अनुदेशों/सिफारिशों के बावजूद विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित समय सीमा के बीत जाने के पश्चात भी 59 लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर उपचारी/शोधक कार्रवाई प्रस्तुत नहीं की थी।


लोक सभा सचिवालय ने अप्रैल 1982 में सभी मंत्रालयों को यह अनुदेश जारी किए कि वे वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के पास, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सदन के पटल पर प्रस्तुत किए जाते ही उसमें समाविष्ट विविध परिच्छेदों पर की गई उपचारी/संशोधक कार्रवाई को दिखाते हुए टिप्पणी प्रस्तुत करें।

22 अप्रैल 1997 को संसद में प्रस्तुत अपने नौवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में, लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) ने इच्छा व्यक्त की थी कि मार्च 1994 तथा 1995 की वर्ष-समाप्ति की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित लम्बित कार्रवाई टिप्पणियों (का.टि.) के प्रस्तुतीकरण को तीन माह की अवधि के भीतर पूर्ण किया जाना चाहिए तथा मार्च 1996 को समाप्त वर्ष से आगे लेखापरीक्षा प्रस्तुतीकरण की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के परिच्छेदों से संबंधित सभी का.टि., का, लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत पुनरीक्षण कराकर, संसद में प्रतिवेदनों के पेश होने के चार माह के अन्दर प्रस्तुतीकरण की अनुशंसा की थी।

इसके अतिरिक्त, समिति ने 29 अप्रैल 2010 को संसद को प्रस्तुत अपनी ग्यारहवीं रिपोर्ट (पंद्रहवीं लोक सभा) में अनुशंसा की है कि उपचारी कार्रवाई करने तथा लो.ले.स. को का.टि. प्रस्तुत करने में असामान्य विलम्ब के सभी मामलों में मुख्य लेखांकन प्राधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।

31 मार्च 2011 को समाप्त हुई अवधि तक संघ सरकार सिविल को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल अनुच्छेदों पर का.टि. की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा (परिशिष्ट-I) में यह प्रकट हुआ कि मंत्रालयों ने उपर्युक्त निर्देशों के बावजूद अधिकांश परिच्छेदों के संबंध में उपचारी/शोधक का.टि. प्रस्तुत नहीं की थी। उन 271 परिच्छेदों जिन पर

का.टि. भेजी जानी अपेक्षित थी, में से 59 परिच्छेदों से संबंधित का.टि. मार्च 2012 तक भी प्राप्त नहीं हुई थी जैसा कि निम्न चार्ट में दर्शाया गया है:



212 परिच्छेदों के संबंध में अंतिम कार्रवाई टिप्पणी, जो कि पत्राचारधीन थी, विभिन्न स्तरों पर लम्बित थीं। इन 212 परिच्छेदों में से 56 परिच्छेद 10 वर्ष से अधिक पुराने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित थे।

## 12.2 ड्राफ्ट पैराग्राफो के संबंध में मंत्रालयों/विभागों की प्रतिक्रिया


लोक लेखा समिति के दृष्टांत पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के बावजूद मंत्रालयों/विभागों के सचिवों ने इस प्रतिवेदन में सम्मिलित 25 ड्राफ्ट पैराग्राफों में से आठ के संबंध में उत्तर नहीं भेजा था।

लो.ले.स. की अनुशंसा पर, जून 1960 में वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित ड्राफ्ट पैराग्राफों के संबंध में छः सप्ताह के भीतर अपने उत्तर भेजने के निर्देश जारी किए थे।

2012-13 की प्रतिवेदन सं.13

मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में सम्मिलित 25 पैराग्राफों में से आठ में मंत्रालयों/विभागों के सचिवों से उत्तर प्राप्त नहीं किए गए थे। विवरणों को परिशिष्ट-III में दर्शाया गया है।


नई दिल्ली  
दिनांक: 21 अगस्त 2012



(रॉय मथरानी)  
महानिदेशक लेखापरीक्षा  
केन्द्रीय व्यय

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली  
दिनांक: 21 अगस्त 2012



(विनोद राय)  
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

अनुबंध



### अनुबंध-1

(पैरा 2.1.3 के संदर्भ में)

राजस्व प्राप्ति तथा राजस्व व्यय का विवरण

(क) राजस्व प्राप्ति

(₹करोड़ में)

सेवा का नाम	2008-09	2009-10	2010-11
स्टांप की बिक्री	605.76	617.82	614.31
रोकड़ में डाक-भार	2036.45	2097.27	2313.10
धनादेशों/भारतीय डाक आदेशों पर कमीशन	3171.94	3507.99	3963.31
अन्य प्राप्तियाँ	174.79	133.83	172.79
अन्य डाक प्रशासन की कुल प्राप्तियाँ	-126.61	-90.21	-101.18
<b>सकल राजस्व</b>	<b>5862.33</b>	<b>6266.70</b>	<b>6962.33</b>

(ख) राजस्व व्यय

(₹करोड़ में)

श्रेणी	2008-09	2009-10	2010-11
(क) वेतन तथा भत्ते, आकस्मिक व्यय, बोनस, महंगाई भत्ते, आदि	6819.72	9233.76	9802.63
(ख) पेंशनी प्रभार	2274.30	3339.31	3177.41
(ग) स्टाम्प पोस्टकार्ड आदि	27.34	22.08	43.97
(घ) लेखन सामग्री तथा फॉर्म मुद्रण आदि	55.17	64.99	57.21
(ङ) डाक परिवहन (रेलवे तथा हवाई डाकों का भुगतान)	271.59	317.20	351.06
(च) लेखा तथा लेखापरीक्षा	240.89	298.11	278.95
(छ) परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण	67.22	71.49	82.44
<b>कुल</b>	<b>9756.23</b>	<b>13346.94</b>	<b>13793.67</b>

### अनुबंध-II

(पैरा 2.2.6.2 के संदर्भ में)

31 मार्च 2011 को राज्य प्राधिकरणों द्वारा एकबारी जमा राशि की गैर/कम राशि

(₹ लाख में)

क्र.सं.	डाक परिमण्डल	मुख्य डाक घरों का नाम	दिसम्बर 2010 को समाप्त तिमाही के दौरान संवितरित किए जाने वाले वेतन की औसत राशि	31मार्च 2011 एकबारी जमा राशि	कम एकबारी जमा की राशि	एकबारी जमा में कमी की प्रतिशतता
1.	गुजरात	गोधरा	52	0	52	100
		बारडोली	103	0	103	100
		दाहोद	212	0	212	100
2.	राजस्थान	जोधपुर	141	0	141	100
		जैसलमेर	49	0	49	100
		नागौर	69	0	69	100
		डिंडवाना	45	0	45	100
3.	कर्नाटक	कोप्पल	108	0	108	100
4.	बिहार	पूर्णिया	511	110	401	78
		कटिहार	340	180	160	47
		सहरसा	405	150	255	63
5.	पश्चिम बंगाल <sup>1</sup>	बारसात	98	35	63	64
		बशीरहाट	81	25	56	69
		सूरी	94	60	34	36
6.	आन्ध्र प्रदेश	अदीलाबाद एवं मंचेरियल	298	200	98	33
7.	उड़ीसा	सुन्दरगढ़	127	100	27	21
		उदितनगर	82	70	12	15
8.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	413	378	35	8
<b>कुल</b>			<b>3228</b>	<b>1308</b>	<b>1920</b>	<b>59.48</b>

(स्रोत: मु.डा.घ. द्वारा दी गई सूचना)

<sup>1</sup> पश्चिम बंगाल डाक परिमण्डल में, डाकघर द्वारा एक माह में दिए जाने वाले वेतन का 1/5वां भाग पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा मुख्य डाकघर में अग्रिम जमा किया जाना था।



### अनुबंध-III

(पैरा 2.2.6.3 के संदर्भ में)

30 सितम्बर 2011 को अप्राप्त नरेगस चौकों की संख्या एवं राशि

क्र.सं .	मुख्य डाकघर का नाम	चौकों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	अप्राप्त चौकों के माह एवं वर्ष
<b>उड़ीसा परिमण्डल</b>				
1.	उदित नगर	114	39.17	अप्रैल से अगस्त 2011
<b>बिहार परिमण्डल</b>				
2.	सहरसा	202	136.36	--
3.	कटिहार	38	33.13	अगस्त 2010 से अगस्त 2011
<b>छत्तीसगढ़ परिमण्डल</b>				
4.	कोरबा	17	25.85	जून 2010 से जून 2011
<b>कुल</b>		<b>371</b>	<b>234.51</b>	

### अनुबंध-IV

(पैरा 2.2.6.3 के संदर्भ में)

30 सितम्बर 2011 को अस्वीकृत नरेगस चौकों की संख्या एवं राशि

क्र.सं.	मुख्य डाकघर का नाम	चौकों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	अस्वीकृत चौकों के माह एवं वर्ष
उड़ीसा परिमण्डल				
1.	उदित नगर	9	5.37	मार्च 2011 से सितम्बर 2011
बिहार परिमण्डल				
2.	पूर्णिया	74	44.46	--
3.	सहरसा	62	96.94	--
छत्तीसगढ़ परिमण्डल				
4.	रायपुर	3	0.49	मई से नवम्बर 2009
5.	कोरबा	2	2.92	मार्च 2011
<b>कुल</b>		<b>150</b>	<b>150.18</b>	

### अनुबंध-V

(पैरा 2.3.1 के संदर्भ में)

31 मार्च 2011 को सी.एस.डी. तथा मु.डा.घ. में नक़द प्रमाण-पत्रों के अधि-भण्डारण की विवरणिका

परिमण्डल का नाम	31 मार्च 2011 को शेष परिमाण		छः माह के लिए अपेक्षित परिमाण		अतिरिक्त भण्डार		अतिरिक्त भण्डार का अंकित मूल्य (₹ करोड़ में)		सी.एस.डी. द्वारा मांगा गया परिमाण
	सी.एस.डी	मु.डा.घ.	सी.एस.डी	मु.डा.घ.	सी.एस.डी	मु.डा.घ.	सी.एस.डी	मु.डा.घ.	
दिल्ली	2037520	74733	423564	19776	1613956	54957	530.55	8.71	150000
केरल	230900	उ.न.	77400	उ.न.	153500	उ.न.	59.89	उ.न.	40000
महाराष्ट्र	969000	201910	681990	65706	287010	136204	15.93	18.20	उ.न.
पंजाब	748000	51614	291000	12252	457000	39362	228.50	2.85	उ.न.
तमिलनाडु	485115	146222	223452	28842	261663	117380	307.90	39.15	120000
उत्तर प्रदेश	15553962	567254	1803232	160614	13750730	406640	2536.73	56.36	122000
उत्तराखण्ड	-	154997	-	25002	-	129995	-	35.89	-
<b>कुल</b>							<b>3679.50</b>	<b>161.16</b>	
<b>कुल योग</b>							<b>3840.66</b>		

### अनुबंध-VI

(पैरा 2.3.1.2 के संदर्भ में)

31 मार्च 2011 को सी.एस.डी. में स्टांप तथा डाक स्टेशनरी के अधि-भण्डारण की विवरणिका

परिमण्डल का नाम	सी.एस.डी. का नाम	छः माह के लिए अपेक्षित परिमाण	31 मार्च 2011 को शेष परिमाण	अतिरिक्त भण्डार	अतिरिक्त भण्डार का अंकित मूल्य (₹ करोड़ में)	सी.एस.डी. द्वारा मांगा गया परिमाण
1	2	3	4	5	6	7
केरल	अर्नाकुलम	630098	3629552	2999454	203.49	140000
महाराष्ट्र	नासिक	12563916	55114500	42550584	39.36	87800
पंजाब	लुधियाना	28048002	155072000	127023998	70.03	उ.न.
उत्तर प्रदेश	कानपुर	58760050	167773791	109013741	146.50	शून्य
	लखनऊ	15927276	89966282	74039006	39.14	6800000
<b>कुल</b>					<b>498.52</b>	

### अनुबंध-VII

(पैरा 2.4 के संदर्भ में)

ब्याज के अनियमित भुगतान का विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	डाकघर का नाम	अनियमित ब्याज			परिमण्डलों की प्रतिक्रिया
		जमा पर निर्धारित सीमा से अधिक की अदायगी	एकाधिक खातों पर अदायगी	जमा की परिपक्वता पर अदायगी	
<b>उत्तर प्रदेश डाक परिमण्डल</b>					उ.प्र. परिमण्डल के मु.डा.घ. ने बताया ( फरवरी/मार्च 2011) कि नियमों की जानकारी के अभाव में अनियमित खाते खोले गए तथा जाँच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
1	मु.डा.घ. देवरिया		28.64		
2	मु.डा.घ. फैजाबाद		12.58		
3	मु.डा.घ. बदायूं		9.79		
4	मु.डा.घ. अलीगढ़	6.94			
<b>राजस्थान डाक परिमण्डल</b>					राजस्थान परिमण्डल के अंतर्गत आने वाले जयपुर सीटी के एस.एस.पी.ओ. ने बताया (मई 2011) कि ₹ 14.97 लाख की वसूली की गई थी।
5	मु.डा.घ. बीकानेर	4.44			
6	मु.डा.घ. जवाहर नगर	3.65			
7	मु.डा.घ. श्री गंगा नगर		15.65		
8	मु.डा.घ. उदयपुर	3.09	16.26		
<b>आन्ध्र प्रदेश डाक परिमण्डल</b>					सा.डा.घ./मु.डा.घ. ने बताया कि जमाकर्ताओं को पी.पी.एफ. में अनियमित रूम से जमा राशि को निकालने के लिए कहा जाएगा एवं अतिरिक्त अदा ब्याज की वसूली जाँच के बाद कर ली जाएगी।
9	सा.डा.घ. हैदराबाद	4.27	6.71		
10	मु.डा.घ. पलकोल	0.69		3.50	
11	मु.डा.घ. निजामाबाद		28.39		
12	मु.डा.घ. जुबली		3.98	10.06	
13	मु.डा.घ. विशाखापत्तनम			2.47	
14	मु.डा.घ. गुंटुर			1.75	
<b>तमिलनाडु डाक परिमण्डल</b>					तमिलनाडु परिमण्डल के मु.डा.घ. ने बताया कि अतिरिक्त अदा ब्याज की वसूली के लिए कार्रवाई की जाएगी।
15	मु.डा.घ. त्रिचरापल्ली	0.39	6.19		
16	मु.डा.घ. नमक्कल	0.70			
17	मु.डा.घ. डीडीगुल		1.69		
18	मु.डा.घ. वृधाचलम		0.35		
19	मु.डा.घ. कृष्णागिरि		0.31		
20	मु.डा.घ. धर्मपुरी		2.16		
21	मु.डा.घ. सलेम		7.70		
22	मु.डा.घ. तल्लकुलम		2.22		
<b>कर्नाटक डाक परिमण्डल</b>					
23	मु.डा.घ. बीजापुर	7.17			
24	सा.डा.घ. बंगलुरु	11.06			
25	मु.डा.घ. शिमोगा			8.52	

					जाएगा।
<b>गुजरात डाक परिमण्डल</b>					गुजरात परिमण्डल के अंतर्गत सा.डा.घ./मु.डा.घ. ने कहा कि सभी खातों की जाँच की जाएगी तथा वसूली विवरण सूचित किए जाएंगे।
26	मु.डा.घ. अहमदाबाद	3.35			
27	उ.डा.घ. जिला न्यायालय अहमदाबाद	6.20			
28	मु.डा.घ. नवसरी	5.02			
<b>कुल</b>		<b>56.97</b>	<b>142.62</b>	<b>26.30</b>	<b>कुल योग 2.26 करोड़</b>

### अनुबंध -VIII

(पैराग्राफ 3.1 के संदर्भ में)

(लेखापरीक्षित मिशन/केन्द्रों की सूची)

क्र.सं.	मिशन/केन्द्र का नाम
1.	आबू धाबी
2.	आकरा
3.	आदिश अबाबा
4.	अलजीयर्स
5.	अंकारा
6.	अस्टाना
7.	बहरेन
8.	बैंगकाक
9.	बीइर्जींग
10.	बर्मिंघम
11.	ब्रातीस्लावा
12.	ब्रुसेल्स
13.	बुडापेस्ट
14.	कायरो
15.	कैनबेरा
16.	शिकागो
17.	कोलम्बो
18.	दार-ए-सलम
19.	ढाका
20.	दोहा
21.	दुबई
22.	डर्बन
23.	दुशांबे
24.	फ्रैंकफर्ट
25.	गुआंगझू
26.	जिनीवा
27.	हैम्बर्ग
28.	हनोई
29.	हरारे
30.	हेलसिंकी
31.	हांग कांग

क्र.सं.	मिशन/केन्द्र का नाम
32.	होस्टन
33.	इस्लामाबाद
34.	जकार्ता
35.	जेद्दाह
36.	कम्पाला
37.	कैन्डी
38.	काठमांडू
39.	खार्तूम
40.	क्वालालम्पुर
41.	कुवैत
42.	कीव
43.	लागोस
44.	लेबनान
45.	ल्यूबलजाना
46.	लंदन
47.	लुआंडा
48.	मैड्रीड
49.	मैन्डले
50.	मनीला
51.	मापूटो
52.	मिलान
53.	मिन्स्क
54.	मोम्बासा
55.	मास्को
56.	म्यूनिक
57.	मस्कट
58.	नैरोबी
59.	न्यू यार्क
60.	निकोसिया
61.	ओस्लो
62.	ओट्टावा

क्र.सं.	मिशन/केन्द्र का नाम
63.	परामारिबो
64.	पेरिस
65.	फ्नोम पेन्ह
66.	पोर्ट मोरेस्बी
67.	प्राग
68.	प्रेटोरिया
69.	राजशाही
70.	रियाध
71.	रोम
72.	सेन्टियागो
73.	शियोल
74.	शंघाई
75.	सिंगापुर
76.	स्टाकहोम
77.	सुवा
78.	सिडनी
79.	तेहरान
80.	तेल अवीव
81.	द हॉंग
82.	तोक्यो
83.	टोरोन्टो
84.	त्रिपोली
85.	उलानबातार
86.	वैनकोवर
87.	वियेना
88.	वार्सा
89.	वाशिंगटन डीसी
90.	वेलिंग्टन
91.	यंगोन
92.	ज़गरेब

### अनुबंध -IX

(पैराग्राफ 3.1.1 के संदर्भ में)

(क) व्यवसाय बीजा शुल्क का कम उद्ग्रहण (गैर-विनिर्दिष्ट देश)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	मिशन/केन्द्र का नाम	अवधि	मामलों की संख्या	एकत्रित किए जाने वाले व्यवसाया बीजा शुल्क की कुल राशि*	एकत्रित शुल्क**	बीजा शुल्क का कम उद्ग्रहण
1.	आबू धाबी#	जनवरी 2009 से जुलाई 2010	966	52.85	35.23	17.62
2.	आदिश अबाबा#	जुलाई 2008 से जुलाई 2010	1520	83.16	55.44	27.72
3.	अलजीयर्स#	जुलाई 2008 से जून 2010	1016	55.5 8	37.06	18.52
4.	बहरेन#	जुलाई 2008 से जून 2010	601	32.88	21.92	10.96
5.	बीजिंग	जुलाई 2008 से जून 2010	587	40.76	27.20	13.56
6.	बैरुत#	जुलाई 2008 से मार्च 2011	1665	91.09	60.73	30.36
7.	ब्रुसेल्स	जुलाई 2008 से मार्च 2011	13300	1173.38	782.25	391.13
8.	दामास्कस#	अगस्त 2008 से अगस्त 2011	1843	100.83	67.22	33.61
9.	दार-ए.सलाम #	जुलाई 2008 से जून 2010	1088	59.52	39.68	19.84
10.	दुबई#	जुलाई 2008 से अगस्त 2011	4702	257.24	171.49	85.75
11.	दुशांबे#	सितम्बर 2008 से जुलाई 2011	446	24.40	16.27	8.13
12.	गुआंगझू	जनवरी 2009 से जून 2010	74	5.01	3.33	1.68
13.	जेदाह#	जून 2010 से जुलाई 2011	610	33.37	22.25	11.12
14.	काठमांडू#	अगस्त 2008 से मार्च 2011	6	0.33	0.22	0.11
15.	माहे (विक्टोरिया)#	जुलाई 2008 से सितम्बर 2011	109	5.96	3.98	1.98
16.	मैंडले#	मार्च 2009 से मार्च 2011	39	2.13	1.42	0.71
17.	मिलान	जुलाई 2008 से मार्च 2011	29583	2609.92	1739.95	869.97
18.	मोम्बासा#	जुलाई 2008 से दिसम्बर 2010	300	16.41	10.94	5.47
19.	नैरोबी#	अक्टूबर 2010 से जुलाई 2011	1250	68.39	45.59	22.80
20.	ओसाका#	जून 2009 से जून 2010	36	1.97	1.31	0.66
21.	रोम	जुलाई 2008 से मार्च 2011	10690	943.11	628.74	314.37
22.	स्योल	सितम्बर 2009 से दिसम्बर 2010	31850	2162.31	1441.69	720.62
23.	शंघाई#	जुलाई 2008 से जुलाई 2010	2193	119.97	79.98	39.99
24.	द हॉंग	जुलाई 2008 से मार्च 2011	33336	3087.03	2064.98	1022.05
25.	त्रिपोली#	जुलाई 2008 से जुलाई 2010	901	49.29	32.86	16.43
कुल योग			138711	11076.89	7391.73	3685.16

टिप्पणी:

\* एक वर्ष से कम हेतु व्यवसाय बीजा को जारी करने के लिए 120 अमेरिकी डॉलर (गैर विनिर्दिष्ट देशों के नागरिकों के लिए) की दर पर एकत्रित किए जाने वाला व्यवसायिक बीजा शुल्क



- \*\* एक वर्ष से कम के लिए व्यवसाय वीजा को जारी करने हेतु 80 अमेरिकी डॉलर की दर पर मिशन/केन्द्र द्वारा एकत्रित शुल्क
- \*\*\* अनुबंध में # देशों के संबंध में मार्च 2011 हेतु विनिमय की सरकारी दर: 1 अमेरिकी डॉलर=₹ 45.590

(ख) व्यावसायिक वीजा शुल्क का कम उदग्रहण (विनिर्दिष्ट देश)

(₹लाख में)

क्र.सं.	मिशन का नाम तथा केन्द्र	अवधि	मामलों की संख्या	व्यावसायिक वीजा शुल्क की संग्रहित होने वाली कुल राशि	संग्रहित शुल्क	वीजा शुल्क का कम उदग्रहण
1.	अबु धाबी	जनवरी 2009 से जुलाई 2010	70	6.73	2.61	4.12
2.	दुबई	जुलाई 2008 से जुलाई 2010	343	26.78	12.87	13.91
3.	कठमाण्डु	अगस्त 2008 से मार्च 2011	3	0.30	0.11	0.19
4.	माही (विक्टोरिया)	जुलाई 2008 से सितम्बर 2011	16	1.16	0.58	0.58
5.	नैरोबी	अक्टूबर 2010 से जुलाई 2011	57	3.91	2.08	1.83
कुल योग			489	38.88	18.25	20.63

(ग) एक वर्ष से अधिक के लिए जारी व्यावसायिक वीजा का कम उदग्रहण (गैर-विनिर्दिष्ट देश)

(₹लाख में)

क्र.सं.	मिशन का नाम तथा केन्द्र	अवधि	मामलों की संख्या	व्यावसायिक वीजा शुल्क की संग्रहित होने वाली कुल राशि	संग्रहित शुल्क	वीजा शुल्क का कम उदग्रहण
1.	अबु धाबी	अगस्त 2010 से मार्च 2011	527	48.05	28.83	19.22
2.	दुशांबे	सितम्बर 2008 से जुलाई 2011	9	0.82	0.49	0.33
कुल योग			536	48.87	29.32	19.55

## अनुबंध-X

(पैरा 3.1.2 के संदर्भ में)

क. भारतीय समुदाय कल्याण निधि के अतिरिक्त शुल्क का गैर-उदग्रहण

क्र.सं.	मिशन का नाम/केन्द्र	अवधि	पारपत्र	वीजा	प्र.भा.ना. (ओ.सी.आई.)	भा.मू.का व्य. (पी.आई.ओ.)	अन्य कांसुली सेवाएं	सेवाओं की दी गई कुल संख्या	भा.स.क.नि.के प्रभार का प्रति दस्तावेज दर (यू.के. पाउंड स्टर्लिंग)	स्थानीय मुद्रा (यू.के. पाउंड स्टर्लिंग) में कुल प्रभार	कुल प्रभार (₹ में)
1.	भा.उच्चायोग लन्दन	जून 2010 से फरवरी 2011	29707	322306	25630	3472	9889	391004	2.00	782008.00	58024993.60
2.	सी.जी.आई. बर्मिंघम	जून 2010 से फरवरी 2011	6530	84334	13098	1354	4475	109791	2.00	219582.00	16292984.40
3.	सी.जी.आई. एडिनबर्ग	जून 2010 से फरवरी 2011	924	10121	916	64	1215	13240	2.00	26480.00	1964816.00
4.	भा.दू. रोम	जून 2010 से दिसम्बर 2010	3619	12839	74	10	7058	23600	3.00	70800.00	4429956.00
5.	सी.जी.आई. मिलान	जून 2010 से दिसम्बर 2010	7886	36569	358	293	13846	58952	3.00	176856.00	11065879.92
6.	भा.दू. हेग	जून 2010 से अगस्त 2010	240	12197	230	144	1708	14519	3.00	43557.00	2725361.49
7.	भा.दू. पेरिस	जून 2010 से दिसम्बर 2010	1513	101481	3858	174	2759	109785	3.00	329355.00	20607742.35
8.	भा.दू. बर्लिन	जून 2010 से मार्च 2011	526	11360	209	113	625	12833	2.00	25666.00	1605921.62

9.	सी.जी.आई फ्रैंकफर्ट	जून 2010 से मार्च 2011	1471	48261	1119	326	2778	53955	2.00	107910.00	6751928.70		
10.	सी.जी.आई. हैमबर्ग	जून 2010 से मार्च 2011	371	22907	374	66	1016	24734	2.00	49468.00	3095212.76		
11.	सी.जी.आई. म्यूनिख	जून 2010 से मार्च 2011	1145	51906	600	289	2141	56081	2.00	112162.00	7017976.34		
								<b>कुल</b>		<b>868494</b>		<b>कुल</b>	<b>133582773.18</b>

(1 यू.के. पाउंड स्टर्लिंग = ₹ 76.90)

ख. भारतीय समुदाय कल्याण निधि के लिए अतिरिक्त शुल्क का गैर-उदग्रहण

क्र.सं.	मिशन/केन्द्र का नाम	अवधि जबसे भा.स.क.नि. के शुल्क की उगाही होनी थी परन्तु नहीं की गई	प्रदत्त सेवाओं की संख्या	भा.स.क.नि. के @ ₹ 100 प्रति सेवा शुल्क के गैर-उदग्रहण/विलम्बित उदग्रहण के कारण राजस्व घाटा
1.	राजशाही	अप्रैल 2011 से अगस्त 2011	22472	2247200
2.	कोलम्बो	अप्रैल 2011 से मई 2011	23872	2387200
3.	लुयांडा	अप्रैल 2011 से जुलाई 2011	863	86300
4.	कम्पला	अप्रैल 2011 से अगस्त 2011	3564	356400
5.	बैंकाक	नवम्बर 2009 से मार्च 2011	131182	13118200
6.	हांग कांग	अप्रैल 2011 से जून 2011	8090	1077588
<b>कुल</b>			<b>190043</b>	<b>19272888</b>
<b>कुल योग</b>				<b>152855661.18</b>

### अनुबंध-XI

(पैरा 3.1.2 के संदर्भ में)

पारपत्रों, वीजाओं, ओ.सी.आई कार्डों, पी.आई.ओ. कार्डों तथा विविध भारतीय मिशनों/केन्द्रों द्वारा सं.रा.अ. में मई 2010 से मार्च 2011 के दौरान प्रदत्त अन्य सेवाओं का विवरण जहाँ भा.स.क.नि. प्रभारों का उदग्रहण नहीं हुआ

मिशन/केन्द्र का नाम	जारी पारपत्र	जारी वीजा	जारी ओ.सी.आई कार्ड	जारी पी.आई.ओ. कार्ड	अन्य सेवाएं	ओ.सी.आई. विविध सेवाएं	कुल
भा.दू., वाशिंगटन डीसी	11093	49725	9001	3625	10427	--	83871
सी.जी.आई., न्यूयार्क	26625	97178	26399	10114	17765	--	178081
सी.जी.आई, सैनफ्रांसिस्को	18792	91462	10015	8350	7566	347	136532
सी.जी.आई, शिकागो	11228	45059	18434	5129	28426	--	108276
सी.जी.आई, ह्यूस्टन	15905	52807	6802	6819	36937	--	119270
<b>कुल</b>	<b>83643</b>	<b>336231</b>	<b>70651</b>	<b>34037</b>	<b>101121</b>	<b>347</b>	<b>626030</b>

कुल सेवाएं = 6,26,030

भा.स.क.नि. अधिप्रभार = ₹ 100 प्रति सेवा

कुल अधिप्रभार (मई 2010 से मार्च 2011 के दौरान) = ₹ 6,26,03,000 (₹ 6.26 करोड़)

## अनुबंध--XII

(पैरा 3.1.6 के संदर्भ में)

(शुल्क के प्रेषण में विलम्ब)

क्र.सं..	कांसुली शुल्क से संबंधित माह	माननीय म.दू.द्वारा संग्रहित राशि (€ में)	माह जिसमें कांसुली शुल्क प्राप्त कर सरकारी खाते में मिशन द्वारा जमा कराया गया
<b>माननीय म.दू., टेनरिफ</b>			
1.	31 दिसम्बर 2005 तक	1,16,586.00	5 अप्रैल 2006
2.	जनवरी 2006 से दिसम्बर 2007	2,64,493.00	28 अगस्त 2008
3.	जनवरी से दिसम्बर 2008	1,19,086.00	€ 1,18,728.75 नवम्बर 2009 में जमा
4.	जनवरी 2006 से सितम्बर 2009	83,874.00	€ 83,622.38 नवम्बर 2009 में जमा
5.	दिसम्बर 2009	6,117.00	मार्च 2010
6.	जनवरी-फरवरी 2009	15,585.00	मार्च 2010
7.	मार्च 2010	7,471.00	मई 2010
8.	अप्रैल 2010	5,138.00	जून 2010
9.	मई 2010	10,444.00	जुलाई 2010
10.	जून 2010	11,315.00	जुलाई 2010
11.	जुलाई 2010	12,205.00	सितम्बर 2010
12.	अगस्त 2010	12,742.00	अक्तूबर 2010
<b>कुल यो</b>		<b>6,65,056.00</b>	
<b>माननीय म.दू. बारसलोना</b>			
1.	दिसम्बर 2005 तक	31,755.04	23 फरवरी 2009
2.	जनवरी से दिसम्बर 2006	24,073.00	
3.	जनवरी से दिसम्बर 2007	19,922.83	
4.	जनवरी से दिसम्बर 2008	23,110.00	
5.	जनवरी से नवम्बर 2009	21,060.00	नवम्बर 2011
6.	--	552.44	दिसम्बर 2009
7.	--	5,315.67	मार्च 2010
8.	मार्च से मई 2010	4,387.05	जून 2010
9.	--	5,372.11	सितम्बर 2010
<b>कुल योग</b>		<b>1,35,548.49</b>	
		यूरो में राशि	₹ में राशि @1 यूरो = ₹ 69.95 (नवम्बर 09 विनमय दर)
<b>विलम्बित प्रेषण -कुल</b>		<b>8,00,604.49</b>	<b>5,60,02,284.08</b>
<b>लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूली</b>		<b>2,24,020.35</b>	<b>1,56,70,223.48</b>

### अनुबंध -XIII

( पैरा 3.2.1 के संदर्भ में)

लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर मिशनों/केन्द्रों के संदर्भ में प्रभावित वसूलियाँ

(क.) कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा , लंदन		
मिशन का नाम	मामलों की संख्या	कुल (₹ लाखों में)
सी.जी.आई., म्यूनिख	1	0.0220
भा.दू., प्राग	6	0.4040
भा.दू., कोपेनहेगन	1	0.0530
भा.दू., लिस्बन	3	0.6305
भा.दू., बकू	5	1.0720
भा.दू., हेग	6	1.2090
भा.दू., ओस्लो	8	2.6540
भा.दू., पेरिस	11	18.8900
भा.दू., बर्लिन	5	0.7530
सी.जी.आई., व्लादिवोस्तक	4	1.5220
सी.जी.आई., फ्रैंकफर्ट	6	2.0580
भा.दू., डब्लिन	4	1.2170
भा.दू., बिश्कक	1	0.2630
भा.दू., ब्रुसल्स	5	8.0070
भा.दू., बुकारेस्ट	1	0.4110
भा.दू., मैड्रिड	3	1.1600
भा.दू., रोम	4	2.1000
भा.दू., हेल्सिंकी	2	0.3640
भा.दू., मिस्क	1	0.0630
भा.दू., ताशकत	2	0.0790
सी.जी.आई., मिलान	3	0.1400
सी.जी.आई., सेंट पीटर्सबर्ग	5	0.2300
भा.दू., मास्को	3	15.5700
भा.दू., बेलग्रेड	2	0.0900
भा.दू., वारसन	2	0.0300
भा.दू., स्टॉकहोम	3	0.8900
सी.जी.आई., हेमबर्ग	3	0.7900
भा.दू., बर्न	1	0.6900
सी.जी.आई., जिनेवा	3	4.0600
भा.दू., बुडापेस्ट	3	0.5200

भा.दू., वियना	3	2.6900
भा.दू., लुजबानिया	1	0.0400
सी.जी.आई., ईडनबर्ग	5	0.1900
भा.उ.आ., लन्दन	2	0.2700
<b>कुल</b>	<b>118</b>	<b>69.1315</b>

(ख.) कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वाशिंगटन		
मिशन का नाम	मामलों की संख्या	कुल (₹ लाखों में)
भा.दू., वाशिंगटन डीसी	24	6.256
भा.उ.आ., स्पेनपोर्ट	3	0.403
सी.जी.आई., साओ पॉलो	2	0.020
सी.जी.आई., न्यूयार्क	10	2.468
पी.एम.आई., न्यूयार्क	13	1.049
भा.दू., पनामा	9	0.274
भा.उ.आ., जॉर्जटाउन	8	0.389
भा.उ.आ., ओटावा	13	2.656
सी.जी.आई., बैंकुवर	2	0.284
सी.जी.आई., शिकागो	8	0.917
सी.जी.आई., टोरंटो	6	0.290
भा.दू., बोगोटा	4	0.120
सी.जी.आई., ह्यूस्टन	3	0.320
भा.दू., हवाना	1	1.787
भा.दू., ब्यूनोस एयर्स	20	2.738
भा.उ.आ., किंगस्टाउन	9	1.035
सी.जी.आई., सैन फ्रांसिस्को	3	0.358
भा.दू., सैनटियागो	1	0.160
<b>कुल</b>	<b>139</b>	<b>21.524</b>

(ग.) कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, कुआला लाम्पुर		
मिशन का नाम	मामलों की संख्या	कुल (₹ लाखों में)
भा.दू., बीर्जिंग	1	0.0029
सी.जी.आई., गुयांजो	2	0.6981



भा.उ.आ., कुआला लाम्पुर	1	0.0435
भा.दू., टोक्यो	2	0.5550
<b>कुल</b>	<b>6</b>	<b>1.2995</b>
<b>कुल योग</b>	<b>263</b>	<b>91.96</b>

### अनुबंध-XIV

(पैरा 3.2.3 के संदर्भ में)

अधिक भुगतान के मामले

इनवॉइस सं.	वाउचर सं.	दिनांक	राशि (आर.एम.बी. में)	अतिरिक्त भुगतान (आर.एम.बी. में)
<b>तिगुने भुगतान के मामले</b>				
एस.एच.ए./एम.एस.टी.एस. एल./2010/00111-00-991022-ए	3150	30.03.2011	1990	3800
	3115	28.03.2011	1900	
	1609	07.10.2010	1900	
एस.एच.ए./एम.एस.टी.एस. एल./2010/00111-00-991022-बी.	3150	30.03.2011	4460	8920
	3115	28.03.2011	4460	
	1609	07.10.2010	4460	
एस.एच.ए./एम.एस.टी.एस. एल./2010/00111-00-991022-बी.बी.	3150	30.03.2011	5800	11600
	3115	28.03.2011	5800	
	1609	07.10.2010	5800	
<b>दुगने भुगतान के मामले</b>				
एस.एच.ए./एम.एस.टी.एस. एल./2010/00111-00-99-बी.बी.	3150	30.03.2011	6450	6450
	3116	28.03.2011	6450	
एस.एच.ए./एम.एस.टी.एस. एल./2010/00111-00-9910212बी.बी.बी.	3153	30.03.2011	8540	8540
	3116	28.03.2011	8540	
एस.एच.ए./एम.एस.टी.एस. एल./2010/00111-00-991010	3153	30.03.2011	18600	18600
	3116	28.03.2011	18600	
एस.एच.ए./एम.एस.टी.एस. एल./2010/00111-डी	3153	30.03.2011	38920	38920
	3116	28.03.2011	38920	
एस.एच.ए./एम.एस.टी.एस. एल./2010/00111-00-99ए.ए.	3153	30.03.2011	55660	55660
	3116	28.03.2011	55660	
एस.एच.ए./एम.एस.टी.एस. एल./2010/00111-00-991022-ए.ए.	3150	30.03.2011	1820	1820
	3115	28.03.2011	1820	
एस.एच.ए./एम.एस.टी.एस. एल./2010/00111-00-99ए.ए.	3153	30.03.2011	4370	4370
	3116	28.03.2011	4370	
एस.एच.ए./एम.एस.टी.एस. एल./2010/00111-00	3153	30.03.2011	5160	5160
	3115	28.03.2011	5160	
<b>कुल</b>				<b>1,63,840 ₹ 13.32 लाख</b>

1 आर.एम.बी = ₹ 8.129

## अनुबंध-XV

(पैरा 4.1 के संदर्भ में)

कम्प्यूटर सिस्टमों, सॉफ्टवेयर तथा संबंधित उपसाधनों के प्रापण के विवरण

क्र.सं.	अनुमोदन आदेश सं.	अनुमोदन का दिनांक	मद	राशि (₹ लाख में)
<b>मामला - 1</b>				
1.	1-45024/32/2010-आई.टी. -1347	13.12.2010	इटानगर सैक्टर के लिए 48 कम्प्यूटर	24.99
2.	1-45024/33/2010-आई.टी.-1367-71	16.12.2010	गंगटोक सैक्टर के लिए 48 कम्प्यूटर	24.99
3.	1-45024/30/2010 आई.टी.-160-67	25.01.2011	तेजपुर सैक्टर एवं इसके यूनिट 4, 9 तथा 25 बीएनएस के लिए 48 कम्प्यूटर	24.99
4.	1-45024/31/2010-आई.टी.-168-76	26.01.2011	ए एन ओ सेक्टर एवं इसकी इकाइयों 29, 34, 35,36 तथा 38 बीएनएस के लिए 48 कम्प्यूटर	24.97
5.	1-45024/36/2010-आई.टी.-177-80	27.01.2011	एसएचक्यू बीबीआर, 41 तथा 45 बीएनएस के लिए 48 कम्प्यूटर	24.98
6.	1-45024/38/2010-आई.टी.-211-15	28.01.2011	एसपीटी, टीपीटी, एसएस, सीएच. सीएचडी बीएनएस एवं सीआईजेडब्ल्यू स्कूल के लिए 48 कम्प्यूटर	24.97
7.	1-45024/52/2010-आई.टी.-237-41	28.01.2011	एसएचक्यू अमृतसर एवं इसके यूनिटों 21,26,30 तथा 43 बीएनएस के लिए 48 कम्प्यूटर	24.97
8.	1-45024/48/2010-आई.टी.-252-56	29.01.2011	बरेली एवं अलमोड़ा सैक्टरों के लिए 48 कम्प्यूटर	24.97
9.	1-45024/50/2010-आई.टी.-267-71	29.01.2011	देहरादून सैक्टर के लिए 48 कम्प्यूटर	24.97
10.	1-45024/53/2010-आई.टी.-282-86	29.01.2011	एसएचक्यू(शिमला) एवं इसके यूनिटों 2, 15, 17, 19 बीएनएस के लिए 48 कम्प्यूटर	24.98
11.	1-45024/54/2010-आई.टी.-297-301	29.01.2011	एसएचक्यू(दिल्ली), यूनिसिपोल, एवं इसके 22,28,39 तथा 44 बीएनएस के लिए 48 कम्प्यूटर	24.97
12.	1-45024/39/2010-आई.टी.-334-38	31.01.2011	एसएचक्यू(एलडीके) एवं इसके यूनिटों के लिए 48 कम्प्यूटर	24.97
13.	1-45024/47/2010-आई.टी.-349-53	31.01.2011	लखनऊ सैक्टर के लिए 48 कम्प्यूटर	24.97
<b>कुल</b>				<b>324.69</b>
<b>मामला -2</b>				
1.	1-45024/05/2010 आई.टी.-484-88	01.06.2010	ब्लैड सर्वर चैसिस	22.92
2.	1-45024/06/2010-आई.टी.-494-98	02.06.2010	सर्वर सॉफ्टवेयर	24.82

कुल				47.74
मामला - 3				
1.	1-45024/29/2011-आई.टी. - 10004	30.03.2011	आरटीसी करेरा (म.प्र.) के लिए इन्टर-एक्टिव उपकरण	24.83
2.	1-45024/27/2011-आई.टी.- 990-94	30.03.2011	आरटीसी शिवगंगा (तमिलनाडु) के लिए इन्टर-एक्टिव उपकरण	24.83
3.	1-45024/28/2011-आई.टी.- 995-99	30.03.2011	आरटीसी किमिन (अस्साचल प्रदेश) के लिए इन्टर-एक्टिव उपकरण	24.83
4.	1-45024/31/2011-आई.टी.- 1005-09	30.03.2011	सीआइजेडब्ल्यू स्कूल माहिदंडा (उत्तराखंड) के लिए इन्टर-एक्टिव उपकरण	24.83
कुल				99.32
कुल योग				471.75

### अनुबंध -XVI

(पैरा 4.3 के संदर्भ में)

स्टाफ क्वार्टर के निर्माण तक की घटनाओं का कालानुक्रम

अवधि	घटनाएं
नवम्बर 1999	गोमती नगर, लखनऊ में जमीन खरीदने के प्रस्ताव का गृ.मं. द्वारा स्वीकृत किया गया
जुलाई 2002	के.लो.नि.वि. ने आवासीय मकानों को तैयार करने की योजना तथा आरेखन प्रस्तुत किए।
सिम्बर 2002	आ.ब्यू. ने के.लो.नि.वि. से निर्माण योजना तथा आरेखन के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की।
दिसम्बर 2002	आ.सू. द्वारा योजना को स्वीकृत किया गया था तथा के.लो.नि.वि. को परियोजना हेतु प्राथमिक अनुमानों (प्रा.अ.) को प्रदान करने का अनुरोध किया गया था।
जनवरी 2003	के.लो.नि.वि. ने ₹ 6.17 करोड़ के प्रा.अ. प्रस्तुत किए।
जुलाई 2003	आ.ब्यू. ने मंत्रालय को उनकी स्वीकृति हेतु प्रस्ताव अग्रेषित किया।
दिसम्बर 2004	मंत्रालय ने अधिकांश सेवाओं की यथाथ लागत तथा परियोजना की कुल लागत के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की। इसने आ.ब्यू. को सामूहिक सेवाओं के प्रति प्रक्षेपित लागत को कम करने को भी कहा।
फरवरी 2005	मामले को, यह स्पष्ट करते हुए कि सामूहिक सेवाओं के कारण लागत को कम करना संभव नहीं था, मंत्रालय को पुनः प्रस्तुत किया गया था। के.लो.नि.वि. द्वारा यह इंगित किया गया था कि निर्माण कार्य सेवाएं काफी महत्वपूर्ण थीं तथा लागत में कमी आवासीय परिसर को अनुपयोगी करेगी।
मार्च 2005	मंत्रालय ने बताया कि परियोजना हेतु अनुमान 1992 की लागत निर्देशिका पर आधारित थे तथा नवीन लागत निर्देशिका पर आधारित संशोधित अनुमानों हेतु अनुरोध किया।
मई 2005	प्रस्ताव को ₹ 9.67 करोड़ के संशोधित अनुमान के साथ मंत्रालय को पुनः प्रस्तुत किया गया था।
जून 2005	मंत्रालय ने प्रस्ताव स्वीकृत किया तथा आवश्यक संस्वीकृति जारी की।
जून 2006	आ.ब्यू. ने के.लो.नि.वि. द्वारा प्रस्तुत आरेखन/भवन निर्माण योजना को स्थानीय निकायों से स्वीकृत प्राप्त करने हेतु स.आ.ब्यू., लखनऊ को स्मरण कराया।
अगस्त 2006	स.आ.ब्यू., लखनऊ ने निधियों के आवंटन हेतु अनुरोध किया क्योंकि निर्माण योजना की स्वीकृति का जल्द ही स्थानीय निकायों द्वारा प्राप्त किया जाना प्रत्याशित था।
अगस्त एवं दिसम्बर 2006	मंत्रालय ने पहली तथा दूसरी किश्त जारी की।
जुलाई 2009	परियोजना का सिविल कार्य पूर्ण था।
फरवरी 2012	आ.ब्यू. द्वारा परिसर का स्वामित्व ले लिया गया।

### अनुबंध-XVII

(पैरा 6.1 के संदर्भ में)

समाप्त और बंद किए गए थिएटरों का विवरण


(क) समाप्त थिएटरों की संख्या: 20

क्र.सं.	थियेटर का नाम	नगर/शहर	संविदा सं.	बकाया शेष (₹ )	समाप्त किए जाने की तारीख
<b>महाराष्ट्र में</b>					
1	चित्र मंदिर	नासिक	एम 452	31493	01.08.08
2	प्रभात	नासिक	एम 458	45452	01.08.08
3	विजय	नासिक	एम 460	691010	07.10.09
4	ममता	नासिक	एम 462	295111	07.10.09
5	मजेस्टिक	जलना	एम 304	244062	08.04.08
6	आइनोंक्स लेज़र	पुणे	एम 524 - ए	524066	01.05.05
7	आइनोंक्स ऑडी II	पुणे	एम 524 - बी	927026	01.01.05
8	आइनोंक्स ऑडी III	पुणे	एम 524 - सी	566949	01.01.05
9	आइनोंक्स ऑडी IV	पुणे	एम 524 - डी	794944	01.01.05
10	निशात	पुणे	एम 533	251555	19.09.08
11	महेश-1	रायगढ़	एम 223	239442	31.12.08
12	स्टेट	औरंगाबाद	एम 42	188520	08.04.08
13	मोहन	बीद	एम 20	66805	19.07.08
14	गुलजार	औरंगाबाद	एम 35	122789	01.07.08
<b>कुल</b>				<b>4989224</b>	
<b>गुजरात में</b>					
15	जयश्री	जामनगर	जी 227	191916	01.07.09
16	जयश्री	जामनगर	जी 207	115098	31.03.09
17	मेहुल	जामनगर	जी 207 ए	61075	17.05.08
18	मेहुल II	जामनगर	जी 207 बी	52039	17.05.08
19	मेहुल III	जामनगर	जी 207 - सी	23066	01.06.08
20	श्रेयास	खेड़ा	जी 310	3672	01.06.08
<b>कुल</b>				<b>446866</b>	
<b>कुल (I + II)</b>				<b>5436090</b>	

(ख) बंद किए गए थिएटरों की संख्या: 15


क्र.सं.	थियेटर का नाम	नगर/शहर	संविदा सं.	बकाया शेष (₹ )	बंद किए जाने की तारीख
<b>महाराष्ट्र में</b>					
1.	लक्ष्मी सी. मंदिर	नान्देड़	एम 433	4480	2006
2.	सुन्दर सी. मंदिर	रायगढ़	एम 392	69172	06.01.2008
3.	राज लक्ष्मी	रत्नागिरि	एम 614 - ए	7640	05.12.2007
4.	दौलत	पुणे	एम 585	29816	01.01.2009
5.	भाटवल	धुले	एम 262	20432	01.04.2007
6.	विजय	उस्मानाबाद	एम 677	3876	01.01.2008
<b>कुल III</b>				<b>135416</b>	
<b>गुजरात में</b>					
7.	बी.के.	मेहसंग	जी 512	23064	30.03.2007
8.	स्वस्तिक	वलसाड	जी 344	53246	31.12.2004
9.	शक्ति	सुरेन्द्र नगर	जी 185	91842	01.09.2006
10.	गोपी	अमरेली	जी 46	152578	16.10.2007
11.	प्रीतिलद	अमरेली	जी 263	29502	01.03.2007
12.	नटराज	सुरेन्द्र नगर	जी 518	59245	01.06.2000
13.	वसंत	वलसाड	जी 491	56050	01.10.2002
14.	गीता	जूनागढ़	जी 225	8994	01.12.2007
15.	प्रभात	खेड़े	जी 309	26843	01.01.2005
<b>कुल III</b>				<b>501364</b>	
<b>कुल ( III + IV)</b>				<b>636780</b>	

बकाया समाप्त थिएटर	₹ 5436090
बकाया थिएटर	₹ 636780
<b>कुल योग</b>	<b>₹ 6072870</b>





परिशिष्ट



## परिशिष्ट- I

(पैरा 12.1 के संदर्भ में)

मार्च 2012 को मार्च 2011 तक समाप्त वर्ष के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्रतीक्षित कार्यवाही टिप्पणियों की संक्षिप्त स्थिति

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन	सिविल			वैज्ञानिक विभाग			कुल		
			बकाया	कभी प्राप्त नहीं हुए	पत्राचाराधीन	बकाया	कभी प्राप्त नहीं हुए	पत्राचाराधीन	बकाया	कभी प्राप्त नहीं हुए	पत्राचाराधीन
1.	कृषि, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	2009	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		1995	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		1997	-	-	-	2	-	2	2	-	2
		2001	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2003	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2007	-	-	-	2	-	2	2	-	2
		2010	-	-	-	1	-	1	1	-	1
2.	परमाणु ऊर्जा विभाग	1996	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		1997	-	-	-	2	-	2	2	-	2
		1998	-	-	-	2	-	2	2	-	2
		1999	-	-	-	2	-	2	2	-	2
		2000	-	-	-	4	-	4	4	-	4

2012-13 की प्रतिवेदन सं.13

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन	सिविल			वैज्ञानिक विभाग			कुल		
			बकाया	कभी प्राप्त नहीं हुए	पत्राचाराधीन	बकाया	कभी प्राप्त नहीं हुए	पत्राचाराधीन	बकाया	कभी प्राप्त नहीं हुए	पत्राचाराधीन
		2001	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2004	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2005	-	-	-	2	-	2	2	-	2
		2007	-	-	-	3	-	3	3	-	3
		2008	-	-	-	2	-	2	2	-	2
		2009	-	-	-	1	-	1	1	-	1
3.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	2002	-	-	-	1	-	1	1	-	1
4.	रसायन तथा उर्वरक	2010	1	-	1	-	-	-	1	-	1
5.	नागरिक उड्डयन	2009	2	2	-	-	-	-	2	2	-
		2011	1	1	-	-	-	-	1	1	-
6.	वाणिज्य तथा उद्योग	2005	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2009	3	1	2	-	-	-	3	1	2
		2010	1	-	1	-	-	-	1	-	1
	वाणिज्य-चाय बोर्ड	2009	-	-	-	1	-	1	1	-	1
7.	उपभोक्ता मामले	2011	1	1	-	-	-	-	1	1	-
8.	संस्कृति	2003	1	1	-	-	-	-	1	1	-
		2004	1	-	1	-	-	-	1	-	1

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन	सिविल			वैज्ञानिक विभाग			कुल		
			बकाया	कभी प्राप्त नहीं हुए	पत्राचाराधीन	बकाया	कभी प्राप्त नहीं हुए	पत्राचाराधीन	बकाया	कभी प्राप्त नहीं हुए	पत्राचाराधीन
		2006	2	2	-	-	-	-	2	2	-
		2007	2	1	1	-	-	-	2	1	1
		2008	1	1	-	-	-	-	1	1	-
9.	टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र	2003	-	-	-	1	1	-	1	1	-
		2005	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2006	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2010	-	-	-	1	1	-	1	1	-
10.	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी डाक विभाग	2003	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2006	2	-	2	-	-	-	2	-	2
		2007	2	-	2	-	-	-	2	-	2
		2008	2	-	2	-	-	-	2	-	2
		2010	5	3	2	-	-	-	5	3	2
11.	दूरसंचार विभाग	1997	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		1999	2	-	2	-	-	-	2	-	2
		2003	3	-	3	-	-	-	3	-	3
		2004	1	-	1	-	-	-	1	-	1

2012-13 की प्रतिवेदन सं.13

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन	सिविल			वैज्ञानिक विभाग			कुल		
			बकाया	कभी प्राप्त नहीं हुए	पत्राचाराधीन	बकाया	कभी प्राप्त नहीं हुए	पत्राचाराधीन	बकाया	कभी प्राप्त नहीं हुए	पत्राचाराधीन
		2005	2	-	2	-	-	-	2	-	2
		2007	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2010	19	-	19	-	-	-	19	-	19
12.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2001	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2002	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2004	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2005	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2007	-	-	-	1	-	1	1	-	1
13.	कार्मिक योजना तथा शिकायत	2010	1	-	1	-	-	-	1	-	1
14.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	2011	1	-	1	-	-	-	1	-	1
15.	भू-विज्ञान	2001	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2006	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2007	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2008	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2010	-	-	-	1	-	1	1	-	1

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन	सिविल			वैज्ञानिक विभाग			कुल		
			बकाया	कभी प्राप्त नहीं हुए	पत्राचाराधीन	बकाया	कभी प्राप्त नहीं हुए	पत्राचाराधीन	बकाया	कभी प्राप्त नहीं हुए	पत्राचाराधीन
16.	पर्यावरण तथा वन	1997	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2000	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2001	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2002	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2005	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2007	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2008	-	-	-	2	-	2	2	-	2
		2009	-	-	-	7	-	7	7	-	7
		2011	-	-	-	1	-	1	1	-	1
17.	विदेश मामले	2006	4	-	4	-	-	-	4	-	4
		2007	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2008	2	-	2	-	-	-	2	-	2
		2009	6	3	3	-	-	-	6	3	3
		2010	11	7	4	-	-	-	11	7	4
18.	वित्त	1994	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		1999	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2006	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2007	1	-	1	-	-	-	1	-	1

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन	सिविल			वैज्ञानिक विभाग			कुल		
			बकाया	कभी प्राप्त नहीं हुए	पत्राचाराधीन	बकाया	कभी प्राप्त नहीं हुए	पत्राचाराधीन	बकाया	कभी प्राप्त नहीं हुए	पत्राचाराधीन
		2008	2	-	2	-	-	-	2	-	2
		2010	4	3	1	-	-	-	4	3	1
19.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2000	2	-	2	-	-	-	2	-	2
		2005	3	-	3	-	-	-	3	-	3
		2007	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2008	2	-	2	-	-	-	2	-	2
		2009	4	1	3	-	-	-	4	1	3
		2010	5	5	-	-	-	-	5	5	-
		2010	5	5	-	-	-	-	5	5	-
20.	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद	1999	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2000	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2001	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2003	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2004	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2006	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2008	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2010	-	-	-	2	1	1	2	1	1
21.	गृह मामले	2010	3	1	2	-	-	-	3	1	2
	गृह मामले	2008	1	-	1	-	-	-	1	-	1



क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन	सिविल			वैज्ञानिक विभाग			कुल		
			बकाया	कभी प्राप्त नहीं हुए	पत्राचाराधीन	बकाया	कभी प्राप्त नहीं हुए	पत्राचाराधीन	बकाया	कभी प्राप्त नहीं हुए	पत्राचाराधीन
	(संघ शासित क्षेत्र)	2010	9	8	1	-	-	-	9	8	1
22.	मानव संसाधन विकास	2008	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2010	1	-	1	-	-	-	1	-	1
23.	सूचना एवं प्रसारण	2000	1	-	1	-	-	-	1	-	1
24.	विधि तथा न्याय	2003	1	1	-	-	-	-	1	1	-
25.	श्रम तथा रोजगार	2006	1	-	1	-	-	-	1	-	1
26.	खनन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण	1998	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2008	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2010	-	-	-	1	-	1	1	-	1
27.	गैर-नवीकरणीय ऊर्जा	2007	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2010	-	-	-	1	-	1	1	-	1
28.	ग्रामीण विकास	2002	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2007	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2009	1	-	1	-	-	-	1	-	1

2012-13 की प्रतिवेदन सं.13

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन	सिविल			वैज्ञानिक विभाग			कुल		
			बकया	कभी प्राप्त नहीं हुए	पत्राचाराधीन	बकया	कभी प्राप्त नहीं हुए	पत्राचाराधीन	बकया	कभी प्राप्त नहीं हुए	पत्राचाराधीन
29.	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय विभाग	2003	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2004	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2005	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2006	-	-	-	1	1	-	1	1	-
		2007	-	-	-	2	-	2	2	-	2
		2008	-	-	-	3	2	1	3	2	1
30.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग	1995	-	-	-	2	-	2	2	-	2
		1997	-	-	-	4	-	4	4	-	4
		1998	-	-	-	2	-	2	2	-	2
		1999	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2000	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2001	-	-	-	3	-	3	3	-	3
		2002	-	-	-	3	-	3	3	-	3
		2003	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2004	-	-	-	2	-	2	2	-	2
		2006	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2007	-	-	-	1	-	1	1	-	1

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन	सिविल			वैज्ञानिक विभाग			कुल		
			बकाया	कभी प्राप्त नहीं हुए	पत्राचाराधीन	बकाया	कभी प्राप्त नहीं हुए	पत्राचाराधीन	बकाया	कभी प्राप्त नहीं हुए	पत्राचाराधीन
		2008	-	-	-	5	-	5	5	-	5
		2010	-	-	-	2	1	1	2	1	1
31.	सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन	2009	1	1	-	-	-	-	1	1	-
32.	जहाजरानी	2009	1	1	-	-	-	-	1	1	-
33.	समाजिक न्याय तथा अधिकारिता	1996	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2003	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2006	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2010	1	1	-	-	-	-	1	1	-
34.	अंतरिक्ष विभाग	2007	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2009	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2010	-	-	-	2	-	2	2	-	2
35.	वस्त्र	2003	1	1	-	-	-	-	1	1	-
		2007	2	1	1	-	-	-	2	1	1
		2009	3	1	2	-	-	-	3	1	2
36.	पर्यटन	2009	1	-	1	-	-	-	1	-	1
37.	जनजाति मामले	1998	1	-	1	-	-	-	1	-	1

2012-13 की प्रतिवेदन सं.13

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन	सिविल			वैज्ञानिक विभाग			कुल		
			बकया	कभी प्राप्त नहीं हुए	पत्राचाराधीन	बकया	कभी प्राप्त नहीं हुए	पत्राचाराधीन	बकया	कभी प्राप्त नहीं हुए	पत्राचाराधीन
		2006	1	1	-	-	-	-	1	1	-
		2008	1	-	1	-	-	-	1	-	1
38.	शहरी विकास	2009	1	1	-	-	-	-	1	1	-
39.	जल संसाधन	2008	1	1	-	-	-	-	1	1	-
40.	महिला एवं बाल विकास	1999	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2003	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2010	1	1	-	-	-	-	1	1	-
41.	युवा मामले तथा खेल	2011	1	-	1	-	-	-	1	-	1
	<b>कुल</b>		<b>155</b>	<b>52</b>	<b>103</b>	<b>116</b>	<b>7</b>	<b>109</b>	<b>271</b>	<b>59</b>	<b>212</b>

## परिशिष्ट- II

(पैरा 12.2 के संदर्भ में)

ड्राफ्ट पैराग्राफों पर मंत्रालयों/विभागों की प्रतिक्रिया

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	पैराग्राफों की कुल सं.	पैराग्राफों की सं. जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पैराग्राफों के संदर्भ
1.	संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी	6	4	2.3, 2.4, 2.5 तथा 2.8
2.	विदेश मामले	5	-	-
3.	गृह मामले	4	1	4.1
4.	मानव संसाधन विकास	1	-	-
5.	सूचना तथा प्रसारण	1	-	-
6.	कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन	1	-	-
7.	संघ शासित क्षेत्र	3	3	8.1, 8.2 तथा 8.3
8.	महिला तथा बाल विकास	2	-	-
9.	परमाणु ऊर्जा	1	-	-
10.	अंतरिक्ष	1	-	-
कुल		25	8	

